43वीं वार्षिक रिपोर्ट

1 अप्रैल, 2021 - 31 मार्च, 2022

सत्यमेव जयते

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA

भारतीय प्रेस परिषद
नई दिल्ली

भारतीय प्रेस परिषद

वार्षिक रिपोर्ट
(1 अप्रैल, 2021 – 31 मार्च, 2022)

नई दिल्ली

Printed at : Chandu Press, D-97, Shakarpur, Delhi-110092
Phone: 011-42448841, 9810519841

भारतीय प्रेस परिषद

सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

अध्यक्षः न्यायमूर्ति श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद*

14वीं सेवावधि**

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
भारतीय भाषायी समाचारपत्रों के संपादक (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (क))		
श्री अंकुर दुआ	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, मुज़फ्फरनगर बुलेटिन, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
डॉ. बलदेव राज गुप्ता	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	समूह संपादक, एक्सप्रेस न्यूज, हिंदी दैनिक, मध्य प्रदेश
डॉ. खैदेम अथौबा मीतेई	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	निवासी संपादक, ह्यूयेन लानपाओ, मणिपुरी दैनिक, मणिपुर
श्री प्रकाश दुबे	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	समूह संपादक, दैनिक भास्कर, हिंदी दैनिक, मध्य प्रदेश
डॉ. सुमन गुप्ता	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, जन मोर्चा, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
रिक्त***	–	–
संपादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार {धारा 5 की उप–धारा (3) का खंड (क)}		
श्री अंशु चक्रवर्ती	प्रेस क्लब, कोलकाता	श्रमजीवी पत्रकार, आज काल, बंगाली दैनिक, पश्चिम बंगाल
श्री जय शंकर गुप्ता	प्रेस एसोसिएशन	संवाद्दाता, देशबंधु, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री किंगशुक प्रमाणिक	ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस–एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, संगबाद प्रतिदिन, बंगाली दैनिक, पश्चिम बंगाल

* माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यायमूर्ति श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद का कार्यकाल 21.11.2021 को समाप्त हो गया।

** दिनांक 06.10.2021 की राजपत्रित अधिसूचना द्वारा नामांकित XIV कार्यकाल के सदस्य

*** श्री विनोद के. जोस को राजपत्र अधिसूचना, दिनांकित 06.10.2021 के जरिये परिषद के सदस्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, उन्होंने 23.10.2021 को अपना इस्तीफा दे दिया, जिसे तत्कालीन माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6 (5) के अनुसरण में 25.10.2021 को स्वीकार कर लिया गया था।

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
श्री प्रजनानंद चौधुरी	ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस–एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, आनंद बाजार पत्रिका, बंगाली दैनिक कोलकाता
श्री विनोद कोहली	ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस–एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, उत्कल मेल, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री गुरबीर सिंह	ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस–एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, महाराष्ट्र
श्री प्रसन्ना कुमार मोहंती	ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस–एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, इंडस वैली टाइम्स, अंग्रेजी पाक्षिक, ओडिशा
बड़े, मध्यम और छोटे समाचारपत्रों के स्वामी और प्रबंधक {धारा 5 की उपधारा (3) का खंड (ख)}		
रिक्त*	–	–
रिक्त*	–	–
श्री गुरिंदर सिंह	अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचार पत्र फेडरेशन और छोटे–मध्यम–बड़े समाचारपत्र सोसायटी	भारतीय पर्यवेक्षक, अंग्रेजी पाक्षिक, नई दिल्ली
श्री एल.सी भारतीय	अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचार पत्र फेडरेशन और छोटे–मध्यम–बड़े समाचारपत्र सोसायटी	आकाशदीप, हिंदी साप्ताहिक, जयपुर, राजस्थान
श्रीमती आरती त्रिपाठी	अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र संघ (एआईएसएनए)	जय प्रदेश, हिन्दी दैनिक, उत्तर प्रदेश
श्री श्याम सिंह पंवार	अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र संघ (एआईएसएनए)	जन सामना, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश

* उक्त श्रेणी में एकमात्र अधिसूचित एसोसिएशन यानी दी इंडियन न्यूजपेपर्स सोसाइटी ने प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5 (4) के तहत नामों का पैनल दाखिल नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उक्त श्रेणी के तहत दो रिक्तियां हुईं।

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचार एजेंसी
समाचार एजेंसियों के प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ग)}		
श्री सुधाकर नायर	प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई)	कार्यकारी संपादक, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) नई दिल्ली
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद और साहित्य अकादमी से नामित व्यक्ति {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (घ)}		
प्रो. जे. एस. राजपूत	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	
श्री शैलेंद्र दुबे	भारतीय विधिज्ञ परिषद	
श्री माधव कौशिक	साहित्य अकादमी	
लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित सांसद {धारा 5 की उपधारा (3) का खंड (ङ)}		
रिक्त*	लोक सभा	
रिक्त*	लोक सभा	
रिक्त*	लोक सभा	
डॉ. के. केशव राव	राज्य सभा	
श्री राकेश सिन्हा**	राज्य सभा	

सचिव :अनुपमा भटनागर

* इस श्रेणी में नामांकन प्रतीक्षित है।

** राजपत्र अधिसूचना, दिनांकित 11.11.2021 के जरिये अधिसूचित।

विषयसूची

परिचय		
वर्ष के मुख्य आकर्षण		1
अध्याय I	परिषद की भूमिका और कार्य	4
अध्याय II	परिषद के XIII कार्यकाल में किए गए कार्य का संक्षिप्त विवरण (16 मार्च, 2018–29 मई, 2021)	7
अध्याय III	संक्षिप्त विवरण (1 अप्रैल, 2021–31 मार्च, 2022)	12
अध्याय IV	प्रेस की स्थिति एवं भारतीय प्रेस में विश्व मीडिया	22
अध्याय V	अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को निरस्त करने के बाद जम्मू–कश्मीर में मीडिया परिदृश्य पर रिपोर्ट (27.05.2021 को परिषद द्वारा स्वीकृत)	46
अध्याय VI	प्रेस द्वारा दर्ज़ मामलों में दिये गये न्यायनिर्णयों का सांख्यिकीय विश्लेषण	62
अध्याय VII	प्रेस के विरुद्ध दर्ज़ मामलों में दिये गये न्यायनिर्णयों का सांख्यिकीय विश्लेषण	72
अध्याय VIII	परिषद का वित्त, (2021–22)	86
संलग्नक		
क	मामलों का विवरण (16 मार्च 2018 – 29 मई 2021)	112
ख	मामलों का विवरण (1 अप्रैल, 2021 – 31 मार्च 2022)	113
ग	प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरे संबंधी शिकायतों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची (2021–22)	114
घ	प्रेस के विरुद्ध दर्ज़ शिकायतों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची (2021–22)	118
ङ	न्यायनिर्णयन (2021–2022) का आलेख	124

च	परिषद की XIV सेवावधि के लिए व्यक्ति संगमों को अधिसूचित करते हुए राजपत्र अधिसूचना, दिनांकित 12 जुलाई, 2021	125
छ	दिनांक 12 जुलाई, 2021 की राजपत्र अधिसूचना से संबन्धित शुद्धिपत्र जारी करने के संबंध में राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 25 अगस्त, 2021	127
ज	परिषद की XIV सेवावधि के लिए सदस्यों के नामों को अधिसूचित करते हुए राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 06 अक्तूबर, 2021	128
झ	श्री राकेश सिन्हा, सांसद, राज्य सभा को परिषद की XIV सेवावधि के सदस्य के रूप में अधिसूचित करते हुए, राजपत्र अधिसूचना दिनांक 11 नवंबर, 2021	131
ञ	प्रेस द्वारा दर्ज़ शिकायतों में न्यायनिर्णयों से प्रतिपादित सिद्धांतों की सूची	133
ट	प्रेस के खिलाफ दर्ज़ शिकायतों में न्यायनिर्णयों से प्रतिपादित सिद्धांतों की सूची	135

परिचय

भारतीय प्रेस परिषद एक अर्ध–न्यायिक, सांविधिक प्राधिकरण है, जिसे संसद के एक अधिनियम अर्थात् प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित किया गया है जैसे समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों की स्वतंत्रता के संरक्षण में उनकी सहायता करना; उच्च वृतिक मानकों के अनुसार समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए आचार संहिता का निर्माण करना; समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों की ओर से सार्वजनिक रुचि के उच्च मानकों को बनाए रखना सुनिश्चित करना और अधिकार एवं उत्तरदायित्व, दोनों की समुचित भावना को बढ़ावा देना; सार्वजनिक हित और महत्व के समाचारों की सप्लाई और प्रचार–प्रसार को सीमित करने की संभावना संबंधी किसी भी घटना की समीक्षा करना; समाचारपत्रों या समाचार एजेंसियों के उत्पादन या प्रकाशन में लगे सभी वर्गों के व्यक्तियों के बीच समुचित कार्यात्मक संबंध को बढ़ावा देना; और ऐसी घटनाओं से सरोकार रखना, जो प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्वामित्व के संकेंद्रण या अन्य पहलू आदि।

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 20 के संदर्भ में, परिषद वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का सारांश देते हुए और समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों और उनकी प्रतियों का लेखा–जोखा देते हुए, धारा 22 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से हर साल एक बार अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करती है और लेखापरीक्षित खातों के विवरण के साथ उसकी प्रतियां केंद्र सरकार को भेजती है और तत्पश्चात, सरकार द्वारा उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है।

उक्त प्रावधानों के अनुसरण में, परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल, 2021 से शुरू होकर 31 मार्च, 2022 तक) के लिए यह वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें इस अवधि के दौरान परिषद द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण शामिल है।

परिषद का 13वां कार्यकाल 29 मई, 2021 को समाप्त हो गया और 6 अक्टूबर, 2021 की राजपत्रित अधिसूचना द्वारा परिषद का 14वें कार्यकाल के लिए पुनर्गठित किया गया, जिसमें सदस्यों को अधिसूचित किया गया। तत्पश्चात, तत्कालीन माननीय अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद का कार्यकाल 21 नवंबर, 2021 को समाप्त हो गया।

परिषद ने अपने अधिदेश का पालन करते हुए, पंचानवे (95) मामलों पर न्यायनिर्णय दिया। परिषद ने प्रेस परिषद अधिनियम की धारा 13 यानी पत्रकारों को मिलने वाली सुविधाओं से संबंधित मुद्दों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आदेश पारित किए हैं। ऐसे ही एक आदेश में, परिषद ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को उन

पत्रकारों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित नहीं करने का निदेश दिया, जिनके पास ऐसी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में उनकी सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड हैं, इसके अलावा, यह सुनिश्चित करना कि पत्रकार(पत्रकारों) पर हमले से संबंधित मामलों की छानबीन और जांच आदि को शीघ्रता से किया जाये। अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत आने वाले मामलों में, जो प्रेस के मानक को बनाए रखने से संबंधित हैं, इस श्रेणी के तहत परिषद द्वारा पेड समाचार के कई मामलों पर न्यायनिर्णय दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप चूककर्ता समाचारपत्रों की निंदा की गई। प्रेस के खिलाफ और प्रेस द्वारा दर्ज शिकायतों से प्रतिपादित सिद्धांतों को रिकॉर्ड किया गया।

परिषद ने परामर्शदाता की भूमिका को निभाते हुए, महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त विभिन्न संदर्भों जैसे कि मीडिया में एलजीबीटीक्यू समुदाय का चित्रण पर विचार–विमर्श और चर्चा की। अन्य संदर्भों को इस वार्षिक रिपोर्ट में परिषद की कार्यप्रणाली में शामिल किया गया है।

वर्ष 2021 में "कौन मीडिया से नहीं डरता" विषय पर राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, नई दिल्ली में किया गया और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिष्ठित पत्रकार और लेखक श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति उपस्थित थे। कई अन्य राज्यों ने भी इस विषय पर चर्चा के साथ विभिन्न स्तरों पर इस दिन को मनाया और समाचारपत्रों ने भी एक स्वतंत्र और कर्तव्यनिष्ठ प्रेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा करने के लिए यह दिन समर्पित किया।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद की कार्य–प्रणाली का विवरण इस 43वीं वार्षिक रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों और संलग्नकों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

****

वर्ष के मुख्य आकर्षण

इस वर्ष, राष्ट्रीय प्रेस दिवस " कौन मीडिया से नहीं डरता?" विषय पर विचार–विमर्श के साथ संगोष्ठी के माध्यम से कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में मनाया गया। इस अवसर पर, श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, प्रख्यात पत्रकार और लेखक, विशिष्ट अतिथि और मुख्य वक्ता थे।

श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, प्रख्यात पत्रकार अपने विचार साझा करते हुए एवं दर्शकों को संबोधित करते हुए

राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2021 के प्रतिभागी

समीक्षाधीन अवधि के दौरान परिषद द्वारा तीन परिषद की बैठकें आयोजित की गयीं जिनमें से एक बैठक वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई और 2 बैठकें व्यक्तिगत रूप से आयोजित की गईं।

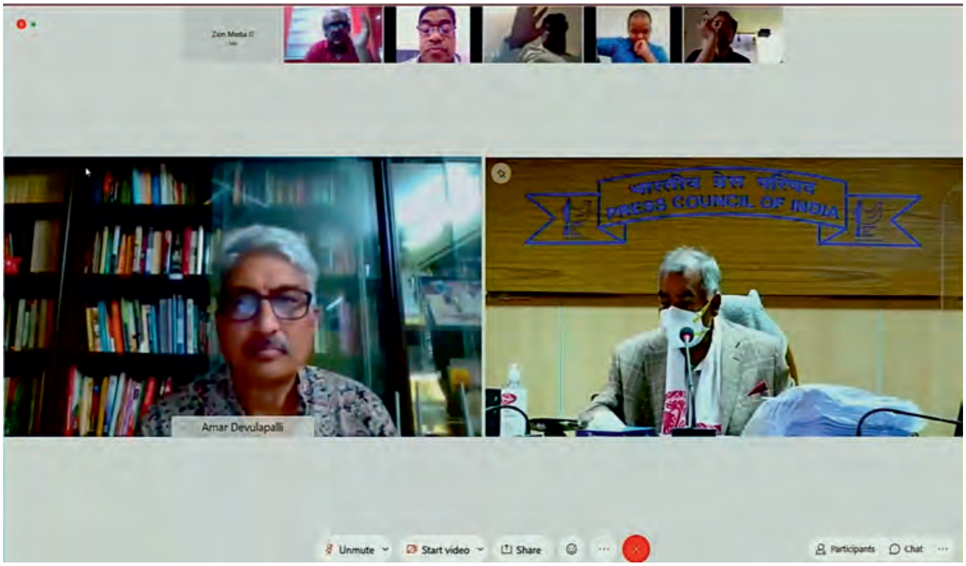

परिषद की बैठक 27–29 मई, 2021 को वर्चुअल तरीके से की गयी

26 अक्टूबर, 2021 को नई दिल्ली में परिषद की XIV सेवावधि की पहली बैठक

परिषद में 14.09.2021 से 28.09.2021 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया।

अध्याय–I
परिषद की भूमिका और कार्य

भारतीय प्रेस परिषद एक अर्ध–न्यायिक सांविधिक स्वायत्त निकाय है, जिसकी पुनः स्थापना वर्ष 1979 में संसद के एक अधिनियम, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत प्रेस की स्वतन्त्रता को संरक्षित करने और भारत में समाचारपत्रों एवं न्यूज़ एजेंसियों के स्तर को सुधारने के दोहरे उद्देश्य के साथ की गई है । इसे पहली बार 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 के तहत समान दोहरे उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग की संस्तुतियों पर स्थापित किया गया था । हालांकि 1965 के अधिनियम को 1975 में निरस्त कर दिया गया था और आपातकाल के दौरान प्रेस परिषद को समाप्त कर दिया गया था। तत्पश्चात, इसी तर्ज़ पर 1965 के अधिनियम की तरह एक नया अधिनियम बनाया गया और प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत वर्ष 1979 में प्रेस परिषद की पुनः स्थापना की गई।

परिषद एक निगमित निकाय है जिसका उत्तराधिकार निरंतर बना रहता है। इसमें अध्यक्ष और 28 सदस्य शामिल हैं। परिपाटी के अनुसार, इसके अध्यक्ष, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं, जिन्हें एक समिति द्वारा नामित किया जाता है जिसमें राज्य सभा के सभापति, लोक सभा के अध्यक्ष (स्पीकर) तथा परिषद के 28 सदस्यों में से ही उनके द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति होता है। (अट्ठाईस) 28 सदस्यों में से (तेरह) 13 श्रमजीवी पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें से (छह) 6 समाचारपत्रों के संपादक होते हैं और शेष (सात) 7 संपादकों से भिन्न अन्य श्रमजीवी पत्रकार होते हैं। (छह) 6 सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होते हैं जोकि समाचारपत्रों के स्वामी होते हैं या समाचारपत्रों के प्रबंधन का कार्य करते हैं, (दो) 2 सदस्यों में से प्रत्येक बड़े, मध्यम व छोटे समाचारपत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। (एक) 1 सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होता है जो, कि समाचार एजेंसियों का प्रबंधन करते है। इसके (तीन) 3 सदस्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद और साहित्य अकादमी द्वारा नामित किया जाता है जो क्रमशः शिक्षा, विधि और साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और (पांच) 5 सदस्य संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, (तीन) 3 लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं और (दो) 2 राज्य सभा के सभापति द्वारा पाठकों की अभिरूचि/जनमत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किए जाते हैं ।

जैसा कि अधिनियम की धारा 13 में बताया गया है, भारतीय प्रेस परिषद का उद्देश्य प्रेस की स्वतन्त्रता का संरक्षण और भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर

को बनाए रखना और उनमें सुधार करना है। यह अधिनियम परिषद को सलाहकार की भूमिका भी प्रदान करता है जिसमें यह स्व–प्रेरणा से या अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन सरकार द्वारा भेजे गए मामलों का अध्ययन कर सकती है और किसी विधेयक, विधान, कानून या ऐसे अन्य मामलों के संबंध में अपनी राय व्यक्त कर सकती है जो प्रेस से संबंधित हों और यह सरकार को या संबंधित व्यक्तियों को अपनी राय व्यक्त कर सकती है । जन–महत्त्व के मामलों में भी अपने सांविधिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए परिषद, *स्वप्रेरणा से* संज्ञान ले सकती है और घटनास्थल की जांच करने के लिए विशेष समिति का गठन कर सकती है ।

अधिनियम की धारा 13 के तहत परिभाषित अपने उद्देश्यों में आगे कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य जो प्रेस परिषद को करने आवश्यक है, उसमें समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों की स्वतन्त्रता बनाए रखने में उनकी सहायता करना है; समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों, पत्रकारों के लिए उच्च व्यावसायिक मानदंडों के अनुसार आचार संहिता का निर्माण करना; समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों की ओर से यह सुनिश्चित करना कि वे लोक रूचि के उच्च स्तर को बनाए रखेंगे और उनमें अधिकारों और कर्तव्यों, दोनों की समुचित भावना को बढ़ावा देना; ऐसी किसी घटना पर नज़र रखना जिसमें लोक रूचि और लोक महत्त्व के समाचारों के प्रचार–प्रसार को रोकने की संभावना हो; समाचार एजेंसियों में या समाचारपत्रों के प्रस्तुतीकरण या प्रकाशन में लगे हुए सभी श्रेणियों के लोगों में समुचित कार्यात्मक संबंध को बढ़ावा देना; और ऐसी किसी घटना जैसे समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्वामित्व के संकेन्द्रण या अन्य पहलुओं, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता है, पर विचार करना ।

इस निकाय का *उद्देश्य* इस संकल्पना में निहित है कि एक लोकतान्त्रिक समाज में, प्रेस का भी स्वतंत्र और उत्तरदायी होना ज़रूरी है । अतः यह नैतिक मूल्यों और मानकों के अनुरूप कार्य करती है । इस दिशा में आगे कार्य करते हुए, यह समाचारपत्रों समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए उच्च नैतिक तथा वृत्तिक मानकों के अनुरूप आचार संहिता तैयार करती रही है जिसे पत्रकारिता के आचरण के मानक के रूप में प्रकाशित किया जाता है। इसका प्रयोजन न केवल प्रेस के हित प्रहरी के रूप में कार्य करना है बल्कि पत्रकारिता जगत में एक नई भावना को जगाना है ।

परिषद अपने कार्यों का निर्वहन मुख्यतया परिषद को प्राप्त शिकायतों पर न्यायनिर्णयों द्वारा करती है, शिकायतें या तो प्रेस के विरूद्ध पत्रकारिता नीतियों का उल्लंघन करने पर या प्रेस द्वारा उसकी स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप के बारे में होती हैं। जब परिषद जांच के

बाद संतुष्ट होती है कि किसी समाचारपत्र या समाचार एजेंसियों ने पत्रकारिता नीतियों के मानकों का उल्लंघन या सार्वजनिक रूचि के विरूद्ध कार्य किया है या किसी संपादक या श्रमजीवी पत्रकार ने कोई वृत्तिक कदाचार किया है तो परिषद उन्हें चेतावनी दे सकती है, फटकार या भर्त्सना कर सकती है या उनके आचरण को लेकर असहमति व्यक्त कर सकती है। परिषद को जैसा कि प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 के तहत निर्दिष्ट है, किसी भी प्राधिकरण, जिसमें सरकार भी शामिल है, द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने पर टिप्पणी, जैसी वह उचित समझें, करने का भी अधिकार प्राप्त है। प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा (14) की उप–धारा (1), या उप–धारा (2), जैसा भी मामला हो, के तहत परिषद के निर्णय अंतिम होंगे और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी।

परिषद, अपने फंड्स का बड़ा भाग केंद्र सरकार से, संसद द्वारा उचित विनियोजन के बाद, सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त करती है, साथ ही इसके पास अपने फंड्स होते हैं जो समाचारपत्रों से उनकी ग्रेडेड संरचना के अनुसार शुल्क के रूप में तथा अन्य प्राप्तियों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं ।

****

अध्याय–II

परिषद के XIII कार्यकाल में किए गए कार्य का संक्षिप्त विवरण (16 मार्च, 2018 से 29 मई, 2021)

भारतीय प्रेस परिषद एक सांविधिक अर्ध–न्यायिक स्वायत्त निकाय है जिसका उत्तराधिकार निरंतर बना रहता है। इसकी पुनः स्थापना प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5 और 6 के साथ पठित प्रेस परिषद (सदस्यों के नामांकन के लिए प्रक्रिया) नियम 1978 *(और इसके संशोधन)* के अनुसार हर तीन वर्षों में की जाती है। तदनुसार, परिषद के XIII कार्यकाल के लिए आठ (8) और बीस (20) सदस्यों को भारत के आधिकारिक राजपत्र में क्रमशः 16 मार्च, 2018 और 30 मई, 2018 को तीन साल की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया। सदस्यों का उक्त कार्यकाल दिनांक 15 मार्च 2021 एवं 29 मई 2021 को समाप्त हुआ। इस कार्यकाल की अध्यक्षता माननीय श्री न्यायमूर्ति चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद ने की।

उपर्युक्त अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, परिषद को विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है जैसे कि श्रमजीवी पत्रकार, समाचार पत्रों के मालिक और प्रबंधक, समाचार एजेंसी के प्रबंधक, विधि, संस्कृति, शिक्षा एवं संसद सदस्य। परिषद ने अपने तीन वर्षों की अवधि के दौरान कोविड महामारी का सामना किया। इस चुनौतीपूर्ण समय में भी इसने लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से अपनी गतिविधियों का प्रदर्शन किया। परिषद द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2018 से 29 मई, 2021 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गएः–

परिषद का कार्य

प्रेस की स्वतंत्रता और उसके स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले मामलों पर चर्चा करने के लिए XIII अवधि के दौरान पूर्ण परिषद द्वारा 30 बैठकें (01 विशेष बैठक और 02 असाधारण बैठकों सहित) की गईं। प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, व्यापक कार्यकलापों को देखते हुए कई उपसमितियों के गठन के कारण परिषद का कार्यभार काफी बढ़ गया। दो जांच समितियां, जो स्थायी समितियां हैं, जिनको अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, परिषद को प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच करके परिषद के कार्यभार की बड़ी मात्रा को वहन करती हैं। समीक्षाधीन अवधि

के दौरान, जांच समितियों द्वारा 44 बैठकें की गईं और अंतिम न्यायनिर्णय हेतु उन्होंने परिषद को अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत कीं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान (16 मार्च, 2018 से 29 मई, 2021 तक) परिषद में कुल **5102** शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से **948** शिकायतें प्रेस स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए सरकार के प्राधिकारियों के विरुद्ध प्रेस द्वारा की गई थीं और **4154** शिकायतें पत्रकारिता नीति के उल्लंघन के लिए प्रेस के विरुद्ध थीं। पिछले वर्ष से लंबित **532** मामलों के साथ, परिषद द्वारा निपटान के लिए कुल **5634** मामले थे। इनमें से **4829** मामलों का निपटान कार्यकाल के दौरान न्यायनिर्णय के माध्यम से या मामलों के न्यायाधीन होने के कारण, जैसा कि अधिनियम की धारा 14 (3) के तहत विहित किया गया है, या वापिस लिए जाने पर या जारी न रखे जाने पर या अधिनियम की धारा 14 (1) या 15 (4) के तहत जांच करने के पर्याप्त आधारों की कमी के कारण या पक्षों के मध्य मामले के निपटान के कारण, (धारा 14 (1) के परंतुक द्वारा विहित), अध्यक्ष महोदय द्वारा संक्षेप में निपटान के माध्यम से किया गया। विस्तृत विवरण **अनुलग्नक क** में है।

स्वतः संज्ञान

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, दिनांक 29 मई, 2021 को परिषद का तीन वर्षीय तेरहवां कार्यकाल पूरा हो गया। इन तीन वर्षों के दौरान, परिषद द्वारा कई महत्वपूर्ण मामलों पर विचार–विमर्श किया गया। परिषद ने मीडियाकर्मियों के खिलाफ उल्लंघन और प्रेस की स्वतंत्रता पर मंडरा रहे खतरे की घटनाओं के संदर्भ में **122** मामलों में स्वतः संज्ञान लिया और अपना निर्णय सुनाया।

समझौता ज्ञापन

परिषद ने अपने तेरहवें कार्यकाल के दौरान, श्रीलंका प्रेस परिषद के साथ द्विपक्षीय समझौते (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए और दोनों देशों में पत्रकारिता के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में सहयोग के उद्देश्य के साथ–साथ पत्रकारिता नैतिकता और प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने हेतु, प्रेस परिषद नेपाल और बांग्लादेश प्रेस परिषद के बीच समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2018 अर्थात् 16 नवंबर, 2018 के अवसर पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

विश्व प्रेस निकायों के साथ सहभागिता

विश्व प्रेस/मीडिया परिषद के आमंत्रण पर परिषद ने वर्ष 2018 और 2019 में

पत्रकारिता संबंधी मुद्दों पर विचारों का आदान–प्रदान करने के लिए निम्नलिखित संगोष्ठियों में भाग लिया:

1. मीडिया अध्ययन और पत्रकारिता में डिप्लोमा प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह हेतु श्रीलंका प्रेस परिषद के निमंत्रण पर, माननीय अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद ने सचिव और परिषद के तीन सदस्यों सहित 28 से 31 अक्टूबर, 2018 तक श्रीलंका, कोलंबो का दौरा किया।

2. बांग्लादेश प्रेस परिषद के निमंत्रण पर, माननीय अध्यक्ष, न्यायमूर्ति चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद ने सचिव, और परिषद के चार सदस्यों सहित 17 फरवरी 2019 से 21 फरवरी 2019 तक बांग्लादेश के महामहिम राष्ट्रपति के संरक्षण में आयोजित बांग्लादेश प्रेस परिषद दिवस के अवसर पर संगोष्ठी में भाग लेने हेतु ढाका, बांग्लादेश का दौरा किया।

3. वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ प्रेस काउंसिल्स (डब्ल्यूएपीसी) के निमंत्रण पर, भारतीय प्रेस परिषद के दो सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 11 से 15 सितंबर, 2019 तक बाकू, अज़रबैजान में वार्षिक साधारण अधिवेशन (एजीएम) में भाग लिया।

4. प्रेस परिषद नेपाल के निमंत्रण पर, भारतीय प्रेस परिषद के दो सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 22 से 25 सितंबर, 2019 तक काठमांडू, नेपाल में स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। समारोह में विचारधाराओं और सांस्कृतिक विरासत का आदान–प्रदान हुआ।

संगोष्ठियां / कार्यशालाएं

मीडिया से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के अपने अधिदेश के अंतर्गत परिषद देश के विभिन्न हिस्सों में संगोष्ठियां आयोजित करती रही है। परिषद के तेरहवें कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित विषयों पर राष्ट्रीय प्रेस दिवस (वर्ष वार) मनाया गया:

राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2018	"डिजिटल युग में पत्रकारिता नीति और चुनौतियां"
राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2019	"रिपोर्टिंग – व्याख्या: एक यात्रा"
राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2020	"कोविड–19 महामारी के दौरान मीडिया की भूमिका और मीडिया पर इसका प्रभाव"

प्रेस एवं पंजीकरण अपील बोर्ड

प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम, 1867 की धारा 8 (ग) के अधीन भारतीय प्रेस परिषद को, उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन घोषणा को प्रमाणित न किए जाने या धारा 8 (ख) के अधीन बाद में इसे रद्द किए जाने के मजिस्ट्रेट के आदेशों पर अपील अधिकारिता सौंपी गई है। इस बोर्ड में भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष और भारतीय प्रेस परिषद के सदस्यों में से परिषद द्वारा नामित एक अन्य सदस्य होता है।

दो बेंच बोर्ड, जिसमें माननीय अध्यक्ष के साथ प्रो. (सुश्री) सुषमा यादव/श्री उत्तम चंद्र शर्मा वैकल्पिक सदस्य थे, ने इस अवधि (2018 से 2021) के दौरान 11 बैठकें कीं और 28 अपीलों का निपटान किया।

परिषद की वेबसाइट

परिषद की अपनी वेबसाइट (*www-presscouncil-nic-in*) है, जिसमें परिषद के इतिहास, न्यायनिर्णयन, आदेश, प्रेस विज्ञप्तियों और परिषद के अधिनियमों/नियमों/विनियमों की जानकारी उपलब्ध है। इसमें आम जनता के लाभ के लिए अधिदेश के तहत, विभिन्न प्रकाशन अर्थात् परिषद की वार्षिक रिपोर्ट, पत्रकारिता के आचरण के मानक, प्रेस परिषद समीक्षा आदि भी दिए गए हैं।

राजभाषा का प्रचार–प्रसार

परिषद के न्यायनिर्णयों और अन्य घोषणाओं को द्विभाषी रूप में तैयार किया गया और सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित किया गया।

इंटर्नशिप

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13(2)(ख), (ग) और (घ) के अनुसार, पत्रकारिता वृतिकों में जिम्मेदारी और जन सेवा की भावना को बढ़ावा देने और उन्हें जानकारी देने तथा परिषद के कृत्यों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए, परिषद, पत्रकारिता के छात्रों के लिए एक वर्ष में दो बार योग्यता आधारित इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित करती है, अर्थात ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम (एसआईपी) और शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम (डब्ल्यूआईपी)। एसआईपी, 3 जून, 2019 से 2 जुलाई, 2019 तक और डब्ल्यूआईपी 2 जनवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2020 तक आयोजित किया गया। बाद में कोविड–19 महामारी के प्रकोप और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण कार्यक्रम को समीक्षाधीन शेष अवधि के लिए रोक दिया गया था।

पत्रकारिता के आचरण के मानक

परिषद की 13वीं सेवावधि के दौरान, पत्रकारिता के आचरण के मानक के दो संस्करण जारी किए गए, जिनके शीर्षक थे, पत्रकारिता के आचरण के मानक, संस्करण 2019 और पत्रकारिता के आचरण के मानक, संस्करण 2020।

****

अध्याय–III
संक्षिप्त विवरण
(1 अप्रैल, 2021–31 मार्च, 2022)

परिषद की कार्यप्रणाली

प्रेस परिषद विनियम, 1979 (बैठकों और कार्य संचालन की प्रक्रिया) के विनियम 3 के अनुसार किसी एक वर्ष में परिषद की साधारण बैठकें चार से कम नहीं होगी और किन्हीं दो साधारण बैठकों के बीच का अंतराल सामान्यतः चार माह से अधिक नहीं होगा । तदनुसार, परिषद ने अपने कार्यों के निर्वहन के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सात (7) पूर्ण परिषद की बैठकें कीं और प्रेस की स्वतंत्रता तथा उसके मानकों से संबद्ध महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की। प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 8(1) के अनुसार, परिषद इस अधिनियम के तहत अपने कार्य के निष्पादन के लिए, परिषद को सौंपे गए कार्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने सदस्यों में से सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य के लिए समय–समय पर समितियों का गठन करती है। प्रेस परिषद के समक्ष दर्ज की गई शिकायतों की जांच के लिए गठित की गई जांच समितियां, तदनुसार, अपनी संस्तुतियां देती हैं। परिषद के अध्यक्ष जांच समितियों की अध्यक्षता करते हैं।

जांच समितियां परिषद में प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच शुरू करके परिषद के कार्य की बड़ी मात्रा का दायित्व सँभालती हैं। जांच समितियों की कार्यवाही आम जनता के लिए खुली है । मामलों के पक्षकारों को मौखिक या दस्तावेजी प्रासंगिक साक्ष्य, प्रस्तुत करने / देने की आवश्यकता होती है और उन्हें अधिवक्ताओं / प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व करने की भी अनुमति होती है। जांच समिति अपनी संबंधित जांच समाप्ति पर पक्षकारों द्वारा दिए गए अभिलेखों और मौखिक निवेदनों पर विचार करती है और जांचे गए मामलों से संबंधित अपनी संस्तुतियां परिषद के समक्ष अंतिम अनुसमर्थन के लिए रखती है।

चूंकि परिषद के XIII कार्यकाल के सदस्यों की अवधि 29 मई, 2021 को समाप्त हो गई, उस अवधि में गठित जांच समितियां I और II भंग हो गईं। तत्पश्चात, 26 अक्टूबर, 2021 को परिषद के XIV कार्यकाल के सदस्यों में से जांच समिति I और II का गठन किया गया और हालांकि तत्कालीन अध्यक्ष का कार्यकाल 21 नवंबर, 2021 को समाप्त हो गया, इसलिए जांच समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

उक्त अवधि के दौरान, परिषद ने जांच समितियों की रिपोर्ट पर विचार–विमर्श करने के बाद पंचानवे (95) मामलों में न्यायनिर्णय किया।

स्व–प्रेरणा से संज्ञान

मीडिया कर्मियों के विरूद्ध हिंसा और प्रेस की स्वतंत्रता के अतिक्रमण के संबंध में परिषद ने इस साल के दौरान निम्नलिखित मामलों में स्व–प्रेरणा से संज्ञान लिया:–

1. केरल में हिट एंड रन मामले में, श्री एसवी प्रदीप, पत्रकार के मारे जाने के संबंध में स्वतः संज्ञान;

2. असम के तिसुकिया में हिट एंड रन मामले में समाचार चैनल, प्रतिदिन टाइम्स के पत्रकार, श्री परय भूयान की मौत के संबंध में स्वतः संज्ञान;

3. प्रेस की स्वतन्त्रता में कथित हस्तक्षेप और कटौती के संबंध में दिल्ली सरकार के खिलाफ, श्री मनोज तिवारी, सांसद, से प्राप्त पत्र के संबंध में स्वतः संज्ञान;

4. उत्तर प्रदेश के पत्रकार, श्री सुलभ श्रीवास्तव को शराब माफिया को धमकी देने के बाद उनकी मृत्यु एवं पुलिस के इसे दुर्घटना कहे जाने के मामले में स्वतः संज्ञान;

5. श्री श्याम सिंह पंवार और श्री अशोक कुमार नवरतन से श्री कृष्ण तिवारी, रिपोर्टर, सीडीओ को शारीरिक हमले के संबंध में और असामाजिक तत्वों के संबंध में प्राप्त संचार के संबंध में;

6. त्रिपुरा में एक राजनीतिक रैली के दौरान पत्रकार पर कथित हमले पर भारतीय प्रेस परिषद ने स्वतः संज्ञान लिया;

7. जम्मू और कश्मीर में पत्रकारों को डराने और परेशान करने के संबंध में सुश्री महबूबा मुफ्ती अध्यक्ष, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से प्राप्त पत्र के संबंध में स्वतः संज्ञान;

8. श्री रमन कश्यप, रिपोर्टर, एबीपी, न्यूज चैनल की मौत पर भारतीय प्रेस परिषद द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया;

9. सुश्री स्वर्णा और समृद्धि, पत्रकारों को त्रिपुरा पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के संबंध में स्वतः संज्ञान और;

10. श्री अविनाश झा, पत्रकार, मधुबनी, बिहार के निधन के संबंध में स्वतः संज्ञान;

परिषद ने पत्रकारिता नीति और सार्वजनिक रुचि के मानकों के उल्लंघन के लिए समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के खिलाफ स्वतः संज्ञान भी लिया।

1. आउटलुक पत्रिका द्वारा पेड समाचार के प्रकाशन के संबंध में स्वतः संज्ञान;
2. द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा समाचार के रूप में विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में स्वतः संज्ञान;
3. दैनिक जागरण द्वारा समाचार के रूप में विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में स्वतः संज्ञान;
4. हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा समाचार के रूप में विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में स्वतः संज्ञान;

प्रेस विज्ञप्ति

वर्ष के दौरान, परिषद ने सरकार या अन्य प्राधिकारियों या अन्यथा द्वारा इसे अग्रेषित किए गए पत्रकारिता नीति के साथ–साथ प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित मामलों पर, 27 प्रेस विज्ञप्तियां जारी कीं।

परिषद के समक्ष शिकायत

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कुल **1175** शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से **290** शिकायतें प्रेस स्वतंत्रता में कटौती अथवा प्रेस/पत्रकारों/मीडियाकर्मियों पर हमले के लिए सरकारी प्राधिकारियों/पुलिस/व्यक्तियों के विरूद्ध प्रेस द्वारा की गई थीं और **885** शिकायतें पत्रकारिता नीति के उल्लंघन के लिए प्रेस के विरूद्ध थीं। पिछले वर्ष के **643** लंबित मामलों के साथ, परिषद द्वारा निपटान के लिए कुल **672** मामले थे, जिनका निपटान समीक्षाधीन वर्ष के दौरान न्यायनिर्णय के माध्यम से या मामलों के न्यायाधीन होने के कारण, जैसा कि अधिनियम की धारा 14 (3) के तहत विहित किया गया है, या वापिस लिए जाने पर या जारी न रखे जाने पर या अधिनियम की धारा 14 (1) या 15 (4) के तहत जांच करने के पर्याप्त आधारों की कमी के कारण या पक्षों के मध्य मामले के निपटान के कारण, (धारा 14 (1) के परंतुक द्वारा विहित), अध्यक्ष महोदय द्वारा संक्षेप में निपटान के माध्यम से किया गया। विस्तृत विवरण **अनुलग्नक ख** में है।

केंद्र सरकार और अन्यों से प्राप्त संदर्भ

प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों से समलैंगिक समुदाय को अशोभनीय तरीके से चित्रित करने से रोकने के लिए, भारत सरकार को

उपयुक्त नियमों, विनियमों को तैयार करने के अनुरोध के संबंध में, श्री पी. सेंथिल कुमार, चेन्नई से प्राप्त अभ्यावेदन। (17/24/2021)

प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और ओ.टी.टी. प्लेटफार्मों द्वारा समलैंगिक समुदाय को अशोभनीय तरीके से चित्रित करने से रोकने के लिए, भारत सरकार को उपयुक्त बाध्यकारी नियमों, विनियमों को तैयार करने के अनुरोध के संबंध में, श्री पी. सेंथिल कुमार, पेरुंगुडी, ओएमआर, चेन्नई से प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अग्रेषित संदर्भ, पत्र संख्या, एम–22013/19/2021–प्रेस (III) दिनांकित 13.10.2021 प्राप्त हुआ।

रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री पर विचार करते हुए, परिषद ने 16/11/2021 की यह राय थी कि समलैंगिक समुदाय को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और निम्नलिखित को पत्रकारिता के आचरण के मानक में निम्नलिखित को शामिल करने का सुझाव दिया। *"समलैंगिक समुदाय के बारे में कोई भी कहानी/समाचार प्रकाशित करते समय, समाचार पत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि वे ऐसा कुछ भी प्रकाशित न करें, जो विधिविरुद्ध हो और न ही उन्हें अशोभनीय या अपमानजनक तरीके से चित्रित करें।"* हालांकि, परिषद ने, इस मुद्दे पर एक व्यापक दिशा–निर्देशों या मानकों की दृष्टि से, अधिकार–आधारित संगठनों और एलजीबीटीक्यू समुदाय के साथ निकटता में काम करने वाले व्यक्तियों से विशेषज्ञ राय आमंत्रित करने का निर्णय लिया।

मामला परिषद में सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

सूचना प्रौद्योगिकी स्थायी समिति की 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) के कामकाज की समीक्षा' विषय की जांच के संबंध में, लिखित उत्तरों हेतु, बिंदुओं की सूची के प्रासंगिक बिंदु (बिंदुओं) के लिखित उत्तरों की मांग संबंधी एमआईबी से प्राप्त संदर्भ। (17/15/2021)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन सं. 30/1/आईटी/2022 दिनांक 04–05–2021 के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के विषय की परीक्षा के संबंध में 'सेंट्रल ब्रॉड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) के कामकाज की समीक्षा' विषय पर बिन्दु संख्या 44, अर्थात, "क्या इन मध्यवर्ती दिशानिर्देशों को अपनाने के परिणामस्वरूप, किसी अन्य अधिनियम/नियमों जैसे पीसीआई अधिनियम, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम,1952, केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम के तहत प्रोग्राम कोड, आदि में परिणामी परिवर्तन करने की कोई योजना है"? यदि हां, तो विवरण दें", जो प्रेस

परिषद अधिनियम, 1978 में संशोधन/ परिवर्तन से संबंधित है, पर परिषद से जवाब/ टिप्पणी मांगी है।

रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद, परिषद के दिनांक 16.2.2021 के प्रस्ताव को एमआईबी को भेज दिया गया, जो इस प्रकार हैः

"सरकार को, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और अन्य मीडिया को शामिल करते हुए प्रेस परिषद अधिनियम में ही संशोधन करने का सुझाव देने का संकल्प लिया गया है। जब भी ऐसा कानून प्रस्तावित हो, तब परिषद के विचार प्राप्त किए जा सकते हैं।"

श्री दिग्विजय सिंह, माननीय संसद सदस्य द्वारा राज्यसभा में दिनांक 03.02.2021 को 'शून्यकाल' के दौरान पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर वापस लेने की मांग से संबंधित मामला उठाया गया। (17/23/2021)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, **भारत सरकार** ने ईमेल दिनांकित 27.09.2021 के माध्यम से, राज्यसभा में 03.02.2021 को 'शून्य' काल के दौरान, श्री दिग्विजय सिंह, माननीय संसद सदस्य द्वारा "पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर वापस लेने की मांग" और "कठोर कानूनों के तहत पत्रकारों को फंसाये जाने के संबंध में", उठाए गए मामले पर संसदीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त पत्र संख्या 15013/11/2021–सीएसआर.ण्ण् दिनांकित 17.09.2021 के संबंध में, प्रेस परिषद से टिप्पणी की मांग की।

रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखने के बाद, परिषद के सचिवालय ने अपने पत्र दिनांक 01.10.2021 के माध्यम से प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 के तहत शिकायत निवारण तंत्र पर एक संक्षिप्त विवरण के साथ परिषद के कामकाज का अवलोकन प्रस्तुत किया। इसके अलावा, धारा 15 के तहत, प्रेस परिषद की सामान्य शक्ति का भी उल्लेख किया गया, जो किसी भी प्राधिकरण/सरकार के बाहरी प्रभाव के बिना प्रेस का स्वतंत्र कामकाज सुनिश्चित करती है।

धर्म विधेयक 2021 पर आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन और प्रसार पर रोक (17/10/2021)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, **भारत सरकार** के पत्र सं. एच–11014/1/2021–प्रेस दिनांकित 26–02–2021 के संबंध में श्री अजय भट्ट, सांसद द्वारा धर्म विधेयक, 2021 पर आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन और प्रसार के लिए संसद में पेश करने के लिए प्रस्तावित निजी सदस्य विधेयक, की टिप्पणियों के लिए परिषद पर विचार किया गया था।

परिषद द्वारा मामले पर विस्तार से विचार किया गया। परिषद ने सर्वसम्मति से नोट किया गया कि **विधेयक के प्रावधान से प्रेस की स्वतंत्रता कम होगी। तदनुसार, इसे "अस्वीकार" किये जाने की संस्तुति की गई** और तदनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को 06.07.2021 को सूचित किया गया।

<u>सीआईटी (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी) संबंधी स्थायी समिति द्वारा डीडीजी 2022–23 की जांच के संबंध में एमआईबी से प्राप्त पत्र–बिंदुओं की साक्ष्योपरांत सूची संबंधी (17/5/2022)</u>

एमआईबी ने ईमेल दिनांक 03–03–2022 के माध्यम से, अनुदान की मांगों (डीडीजी –2022–23) की जांच के संबंध में, लोकसभा सचिवालय से ओएम संख्या 13/1/आईटी/2021 दिनांक 28–02–2022 की एक प्रति अग्रेषित की है जोकि संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के बिंदुओं की पूरक सूची से बिन्दु सं. 54 अर्थात, *"कृपया पत्रकार स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कानून का विवरण दें"* से संबन्धित परिषद की राय के संदर्भ में है।

इस मामले पर विचार किया गया और प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 और प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979 के तहत प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा और संरक्षण से संबंधित प्रावधानों के आधार पर टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2021

इस वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस "कौन मीडिया से नहीं डरता?" विषय पर आयोजित किया गया। कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ और प्रख्यात पत्रकार और लेखक एवं विशिष्ट अतिथि, श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, और माननीय न्यायमूर्ति, श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद, अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद ने समारोह का उद्घाटन किया। कई अन्य राज्यों ने भी इस विषय पर चर्चा के साथ विभिन्न स्तरों पर इस दिन को मनाया और समाचार पत्रों ने भी एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता घोषित करने के लिए इस दिन को समर्पित किया।

हिन्दी भाषा का प्रचार–प्रसार

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद ने अपने आधिकारिक प्रयोग में हिंदी के

प्रचार–प्रसार पर विशेष ध्यान दिया। परिषद की "राजभाषा कार्यान्वयन समिति" की नियमित बैठकें परिषद में प्रत्येक तिमाही में आयोजित की गईं।

परिषद के कर्मचारियों के लाभ के लिए राजभाषा संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। 14 सितंबर पूरे भारत में 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह, हिन्दी के प्रयोग पर बल देने के लिए, परिषद के सचिवालय में दिनांक 14.09.2021 से 28.9.2021 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी दिवस का मुख्य समारोह 24 सितंबर, 2021 को मनाया गया। इस अवसर पर, सचिव, श्रीमती अनुपमा भटनागर, ने परिषद के कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों ने परिषद में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विचार साझा किए। समारोह के दौरान, स्लोगन–लेखन प्रतियोगिता के साथ–साथ भारतीय प्रेस परिषद के कर्मचारियों को कार्यालय के काम में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए हिंदी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्रेस परिषद की वेबसाइट की सामग्री को अद्यतन किया गया जो राजभाषा हिंदी में भी उपलब्ध है।

वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी) की तर्ज़ पर वार्षिक रिपोर्ट (हिंदी) के प्रकाशन और तिमाही हिन्दी गृह पत्रिका 'प्रेस परिषद समीक्षा' के प्रकाशन के अलावा, न्यायनिर्णयों, और अधिकथनों को हिंदी में रिकॉर्ड किया गया और उन्हें सार्वजनिक किया गया।

पारदर्शिता तंत्र

भारतीय प्रेस परिषद की सचिव कार्यालय की मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। परिषद का सतर्कता तंत्र, जिसमें उप सचिव, अवर सचिव (प्रशासन) और अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) शामिल हैं, ने सचिव (सीवीओ) और परिषद के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं । इसने सचिवालय में किसी भी प्रकार के अनैतिक कृत्य को रोकने और उनका मुक़ाबला करने के लिए नियमित और आकस्मिक जांच की। 26 अक्टूबर, 2021 से 1 नवंबर, 2021 तक परिषद के सचिवालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2021 मनाया गया।

शिकायत निवारण तंत्र आंतरिक और बाह्य स्तर पर स्थापित है। इसमें शिकायत निदेशक– सचिव, पीसीआई, शामिल हैं। व्यथित आम लोग, जो अपनी शिकायतों के संबंध में शिकायत निदेशक से मिलना चाहते हैं, कार्यालय में शाम 4:00 से 5:00 बजे

के बीच बुधवार को ऐसा कर सकते हैं । स्टाफ से संबंधित शिकायतों को परिषद के स्टाफ शिकायत अधिकारी जोकि अवर सचिव, श्री टी.गऊ खनगिन हैं, द्वारा देखा जाता है।

परिषद का पुनर्गठन

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के अनुसरण में, परिषद की संरचना में एक अध्यक्ष और अट्ठाईस (28) अन्य सदस्य होते हैं तथा परिषद के ये अन्य सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। तदनुसार, परिषद के सदस्यों के पिछले कार्यकाल की अवधि 29 मई, 2021 को समाप्त हो गयी।

परिषद के पुनर्गठन की प्रक्रिया विज्ञापन नोटिस दिनांक 7 मार्च, 2021 के माध्यम से शुरू की गई थी, जिसमें परिषद द्वारा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के साथ पठित प्रेस परिषद (व्यक्तियों के संघों की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया) नियम, 2021 के अनुसरण में व्यक्तियों के पात्र संघों से दावों को आमंत्रित किया गया। उपर्युक्त अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात, पात्र संघों को अधिसूचना दिनांक 12.07.2021 और शुद्धिपत्र दिनांक 25.08.2021 के जरिये अधिसूचित किया गया। **अनुलग्नक च और छ**।

चूंकि व्यक्तियों के संघों को भारत के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, प्रेस परिषद (सदस्य के नामांकन की प्रक्रिया) नियम, 1978 (यथासंशोधित) के उप–नियम (2) और (3) के साथ पठित अधिनियम के अनुसरण में परिषद के सेवानिवृत्त हो रहे अध्यक्ष ने अधिसूचित संघों से नामों के पैनल आमंत्रित किए। परिषद के अध्यक्ष ने परिषद के अठारह (18) सदस्यों को नामांकित किया और अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (5) के अनुसार सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों के साथ इसे अधिसूचित करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अग्रेषित किया।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 6 अक्टूबर, 2021 और 11 नवंबर, 2021 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में बाईस (22) सदस्यों के नाम अधिसूचित किए। इन सदस्यों में से एक सदस्य ने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक और रिक्ति हो गई। **अनुलग्नक ज और झ**।

सदस्य का त्यागपत्र

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(3)(क) के अनुसरण में, दिनांक 6.10.2021 की राजपत्रित अधिसूचना के जरिये, श्री विनोद के. जोस को भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य के रूप में अधिसूचित किया गया और उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से 22.10. 2021 को अपना त्यागपत्र दे दिया, जो प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6(5) के अनुसरण में, माननीय अध्यक्ष द्वारा 25.10.2021 को स्वीकार कर लिया गया था।

प्रेस एवं पंजीकरण अपील बोर्ड

प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम, 1867 की धारा 8 (ग) के अधीन भारतीय प्रेस परिषद को, उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन घोषणा को प्रमाणित न किए जाने या उक्त अधिनियम की धारा 8 (ख) के अधीन बाद में इसे रद्द किए जाने के मजिस्ट्रेट के आदेशों पर अपील अधिकारिता सौंपी गई है। इस बोर्ड में भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष और भारतीय प्रेस परिषद के' सदस्यों में से परिषद द्वारा नामित एक अन्य सदस्य होता है।

परिषद के तेरहवें कार्यकाल के सदस्यों की अवधि 29 मई, 2021 को समाप्त होने के कारण, उस अवधि में गठित प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड भंग हो गया। तत्पश्चात, 26 अक्टूबर, 2021 को परिषद के ग्प्ट कार्यकाल के लिए नए सदस्यों, श्री गुरिंदर सिंह/श्री जय शंकर गुप्ता के साथ प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड का गठन किया गया और बाद में तत्कालीन अध्यक्ष का कार्यकाल 21 नवंबर, 2021 को समाप्त हो गया, और समीक्षाधीन अवधि के बाद अगले अध्यक्ष को अधिसूचित करते हुए 17 जून, 2022 को राजपत्र अधिसूचना जारी की गई। अतः उक्त अवधि में प्रेस एवं पंजीकरण अपील बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई।

समीक्षाधीन अवधि में परिषद द्वारा अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां की गईं:

परिषद में 16 जनवरी, 2022 से 31 जनवरी, 2022 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। कार्यालय में कार्य योजना के अनुसार विभिन्न गतिविधियाँ की गईं जैसे पुरानी फाइलों को हटाना, रिकॉर्ड प्रबंधन, अनुभागों और गलियारों का रखरखाव, और ई एवं सामान्य कचरे का निपटान। "कोविड –19 के प्रसार को रोकने के उपाय" विषय पर एक लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता संबंधी लेखों की जांच अवर सचिव और सहायक निदेशक (राजभाषा) की एक समिति द्वारा की गई। इस लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

परिषद में 21 जून, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। दिन की शुरुआत योग सत्र के साथ हुई, जिसके बाद ”दैनिक जीवन में योग का महत्व” विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई।

****

अध्याय–IV
प्रेस की स्थिति एवं भारतीय प्रेस में विश्व मीडिया

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बढ़ते वेब न्यूज़ पोर्टल्स और न्यूज़ एप्लिकेशन के आगमन के साथ प्रिंट मीडिया का प्रभाव कम होने पर भी, समाचारपत्रों ने अपने विश्लेषण की गहराई, दृष्टिकोण और विस्तृत सूचना पर ध्यान देने के कारण पाठकों के बीच अपना स्थान बनाए रखा है। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि प्रिंट मीडिया द्वारा अधिकृत स्थान पर उसका ही आधिपत्य होगा, भले ही संचरण (Transmission) के तरीके में बदलाव हो।

समाचारपत्रों को अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में कार्य करना होता है, जिसमें केवल योग्यतम ही बना रह सकता है, इसलिए, सामाजिक जिम्मेदारियों या कॉर्पोरेट मुनाफे में समझौता किए बिना प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान करने के लिए तकनीकी प्रगति को उन्नत करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है।

निम्नलिखित उन **कतरनों*** का संग्रह है जिनमें समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारतीय प्रेस जगत में महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया गया है।

मीडिया सदनों के लिए कानून बनाने की याचिका पर कर्नाटक सरकार ने जवाब मांगा

बेंगलुरुः कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मीडिया घरानों के लिए नियम बनाने के निदेश देने की मांग संबंधी याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा, जो उन्हें असभ्य और अश्लील सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने से रोक पाएंगे।

सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी और यूनियन कार्यकर्ता, एच नागभूषण राव द्वारा दायर याचिका में पुलिस से ऐसी वीडियो क्लिप और अन्य आपत्तिजनक सामग्री को डिजिटल मीडिया में लीक नहीं करने की भी मांग की गई है। पूर्व मंत्री, रमेश जरकीहोली से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न मामले के एक महीने बाद दायर की गई याचिका ने कर्नाटक सरकार को हिलाकर रख दिया।

मुख्य न्यायमूर्ति, अभय श्रीनिवास ओका और न्यायमूर्ति, सूरज गोविंदराज की पीठ ने इस संबंध में राज्य सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा राज्य पुलिस को नोटिस जारी किया।

(हिंदुस्तान टाइम्स, 13 अप्रैल, 2021, नई दिल्ली)

---

* समाचार कतरनों का संपादन पीसीआई द्वारा किया गया है।

जम्मू–कश्मीर रिपोर्टिंग पर परामर्शिका वापस लें

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) ने 17 अप्रैल को कश्मीर पुलिस से मुठभेड़ों की लाइव रिपोर्टिंग के खिलाफ उनकी परामर्शिका वापस लेने का आह्वान किया।

"सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ों सहित संघर्ष क्षेत्रों से लाइव रिपोर्टिंग, किसी भी जिम्मेदार मीडिया के सबसे महत्वपूर्ण पत्रकारिता संबंधी कर्तव्यों में से एक है, और पत्रकारों की ओर से अत्यधिक धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। गिल्ड ने कहा, "सबसे अच्छा यह रहेगा कि सुरक्षा एजेंसियों की रणनीति और योजनाओं की ईमानदारी से रक्षा करने के साथ–साथ पत्रकारों को स्थिति में हस्तक्षेप करने और मुद्दे को सनसनीखेज बनाने, जिससे दर्शकों की भावनायें भड़क सकती हैं, से दूर करने के उद्देश्य से, ऐसे दृश्यों की रिपोर्टिंग के संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी किए जा सकते हैं।"

(द हिंदू, 18 अप्रैल, 2021, नई दिल्ली)

वयोवृद्ध पत्रकार मनोहर अंधारे का 87 वर्ष की आयु में निधन

नागपुर मराठी दैनिक, युगधर्म के पूर्व संपादक, मनोहर पी. अंधारे का 30 अप्रैल, 2021 को सिकंदराबाद में निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे।

वे नागपुर स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में मीडिया अध्ययन के प्रोफेसर भी थे। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा, पत्रकारों की पेंशन समिति में नामित किया गया था और वे आईएफ़डबल्यूजे की कमेटी ऑन जस्टिस यू.एन.बचावत वेतन बोर्ड के राष्ट्रीय संयोजक थे तथा उन्होंने नैशनल कनफैडरेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ एजेंसीस के महासचिव सहित कई अन्य पदों पर कार्य किया।

(द एशियन एज, 01 मई, 2021, नई दिल्ली)

मीडिया रिपोर्टों पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा कि न्यायाधीशों और वकीलों के बीच अदालती कक्षों में मौखिक आदान–प्रदान सहित न्यायालय की कार्यवाही की रीयल–टाइम रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।

"प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, हम सोशल मीडिया फ़ोरम के माध्यम से रिपोर्टिंग के प्रसार को देख रहे हैं जो अधिक व्यापक स्तर पर दर्शकों को रीयल–टाइम अपडेट

प्रदान करता है। "यह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो मीडिया के पास है, का विस्तार है। यह खुली अदालत का प्रभावशाली विस्तार है"

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक फैसले में कहा।

अदालती कार्यवाही की इस तरह की लाइव रिपोर्टिंग आशंका के बजाय जश्न का कारण है।

(द हिंदू, 7 मई, 2021, नई दिल्ली)

'टूलकिट' पोस्ट पर 'मैनिपुलेटिड मीडिया' टैग पर सरकार की आपत्ति

नई दिल्लीः "सरकार के प्रयासों को.......... कम आंकने के लिए बनाए गए टूलकिट के संदर्भ में भारतीय राजनीतिक नेताओं द्वारा किए गए ट्वीट्स" को मैनिपुलेटिड मीडिया टैग देने के लिए सरकार ने ट्विटर को एक नोटिस भेजा है। यह निदेश तब आया जब इस प्लैटफॉर्म (ट्विटर) ने भाजपा के संबित पात्रा द्वारा कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए दस्तावेज परिचालित करने का आरोप लगाते हुए 'मैनिपुलेटिड मीडिया' टैग किया।

(हिंदुस्तान टाइम्स, 22 मई, 2021, नई दिल्ली)

भोपाल गैस त्रासदी की चेतावनी देने वाले पत्रकार का पोस्ट–कोविड जटिलताओं के कारण निधन

वयोवृद्ध पत्रकार, राजकुमार केसवानी, जिन्हें भोपाल गैस त्रासदी की पूर्वसूचना देने के लिए जाना जाता है, का 21 मई, 2021 को शहर के एक अस्पताल में पोस्ट–कोविड जटिलताओं के कारण निधन हो गया। वह 72 वर्ष के थे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निधन पर शोक व्यक्त किया और पत्रकार की पत्नी, सुनीता केसवानी से फोन पर बात की। गैस त्रासदी संबंधी लेखों में पत्रकार के काम को देखते हुए चौहान ने ट्विटर पर भी अपनी संवेदना व्यक्त की।

(द इंडियन एक्सप्रेस 22 मई 2021, नई दिल्ली)

कोविड से मरने वाले पत्रकारों के परिजनों को मिलेंगे 5 लाख रुपये

केंद्र सरकार ने पत्रकार कल्याण योजना के तहत "कोविड–19 के कारण जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता" प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 27 मई 2021 को जारी एक बयान में कहा गया।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रेस सूचना ब्यूरो ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वर्ष 2020 और 2021 में महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों के विवरण का समाकलन और संकलन किया था।"

(हिंदुस्तान टाइम्स, 28 मई, 2021, नई दिल्ली)

वयोवृद्ध स्क्राइब बसंत दास का निधन

वयोवृद्ध पत्रकार बसंत दास का एक प्राइवेट कोविड अस्पताल में निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे।

उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका सहित कई समाचार पत्रों के लिए कार्य किया।

दास कई पुस्तकों के रचयिता हैं। सीएम नवीन पटनायक, ओपीसीसी प्रमुख निरंजन पटनायक, दीर्घानुभवी नेता, बिजय महापात्रा और कई अन्य लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका पुत्र हैं।

(द संडे स्टेट्समैन, 30 मई, 2021, नई दिल्ली)

चीन के मुस्लिम हिरासत शिविरों का पर्दाफाश करने के लिए पीआईओ लेखक ने जीता पुलित्जर

भारतीय मूल के दो पत्रकार 11 जून, 2021 को पुलित्जर पुरस्कार के विजेताओं में शामिल थे। बज़ फीड न्यूज़ की मेघा राजगोपालन ने अपने सहयोगियों के साथ शिनजियांग क्षेत्र में मुसलमानों की व्यापक स्तर पर हिरासत के लिए चीनी सरकार द्वारा निर्मित विशाल नई आधारभूत संरचना की पहचान करने के लिए "स्पष्ट और सम्मोहक कहानियों, जिनमें उपग्रह इमेजरी और वास्तुशिल्प विशेषज्ञता के साथ–साथ दो दर्जन पूर्व कैदियों के साथ साक्षात्कार का उपयोग किया गया, की श्रृंखला के लिए" अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग पुरस्कार जीता।

नील बेदी, भारतीय मूल के अन्य पत्रकार ने टैम्पा बे टाइम्स के एक सहयोगी के साथ, "संसाधनपूर्ण, रचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए स्थानीय रिपोर्टिंग पुरस्कार जीता, जिसमें उजागर किया गया था कि कैसे एक शक्तिशाली शेरिफ़ ने एक गुप्त खुफिया ऑपरेशन चलाया, जिसने निवासियों को परेशान किया और स्कूल के बच्चों को वर्गीकृत करने के लिए ग्रेड और बाल कल्याण रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया।

(संडे टाइम्स, 13 जून, 2021, नई दिल्ली)

धर्म परिवर्तनः याचिका में महिला की निजता की मांग

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 जुलाई, 2021 को न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी से उत्तर प्रदेश की एक 32 वर्षीय महिला के हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तन पर दुर्भावनापूर्ण सामग्री के प्रकाशन का दावा करने वाली याचिका पर जवाब देने को कहा।

जस्टिस रेखा पल्ली ने याचिका पर ज़ी मीडिया और नवभारत टाइम्स से भी जवाब मांगा।

अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा दिये गए आश्वासन को भी रिकॉर्ड में लिया कि महिला, जोकि इस समय दिल्ली में रहती हैं और जिन्हें यह आशंका थी कि दिल्ली पुलिस एजेंसियों द्वारा उन्हें यूपी ले जाया जाएगा, को सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

महिला की ओर से पेश अधिवक्ता, तान्या अग्रवाल ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। धर्म परिवर्तन प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर नाम और धर्म परिवर्तन के संबंध में समाचारपत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जाने के बाद से उसे धमकियां मिलने लगीं। उसने कहा कि उसके नाम और पहचान का खुलासा करते हुए मीडिया रिपोर्टें भी प्रकाशित की गईं। याचिका में मांग की गई है कि उनकी निजता और गरिमा की रक्षा के लिए रिपोर्टों को तुरंत वापिस लिया जाए।

(द हिंदू, 13 जुलाई, 2021, दिल्ली)

मानसून सत्र के दौरान सदन के अंदर मीडिया ब्रीफिंग पर प्रतिबंध

आगामी मानसून सत्र के दौरान हरियाणा विधानसभा परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की प्रेस ब्रीफिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मीडियाकर्मियों को सत्र को हरियाणा निवास से कवर करना होगा, जहां वे सीधा प्रसारण देख सकते हैं।

यहां तक कि मुख्यमंत्री या विपक्ष के नेता या किसी मंत्री को भी मीडिया से वार्ता करने के लिए हरियाणा निवास जाना होगा।

सत्र के दौरान सदन की सुरक्षा को लेकर अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसले लिये गये।

पिछले सत्र के दौरान, अकाली दल के विधायकों ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मुख्यमंत्री, श्री मनोहर लाल खट्टर की सुरक्षा में सेंध लगाई थी।

(द ट्रिब्यून, 17 अगस्त, 2021, गुरुग्राम)

बाल अधिकारों के संरक्षण में मीडिया की भूमिका पर बल दिया गया

कृष्णा कांता हांडिकि स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी (केकेएचएसओयू), जो यूनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र बाल कोष) प्रायोजित परियोजना को लागू कर रही है, ने दिनांक 24 अगस्त, 2021 को धेमाजी कन्या महाविद्यालय में 'असमिया बच्चों पर कुपोषण का प्रभाव' और 'बच्चों के खिलाफ हिंसा खत्म' करने के संबंध में मीडिया कार्यशाला आयोजित की।

दिवसीय कार्यशाला, जिले के प्रिंट मीडिया पत्रकारों के लिए थी। आयोजकों ने कुपोषित बच्चों और बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मुद्दों पर मीडिया कवरेज की आवश्यकता के बारे में पत्रकारों को जागरूक किया।

वरिष्ठ पत्रकार, मृणाल तालुकदार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केकेएचएसओयू के मास कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख, डॉ. जयंत कुमार शर्मा, एएमसीएच (डिब्रूगढ़) में कम्यूनिटी मैडिसिन की प्रमुख, डॉ. तूलिका गोस्वामी और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, किशोर कुमार कलिता ने सूझ–बूझ वाले व्यक्तियों के रूप में भाग लिया।

डॉ. जयंत कुमार सरमा ने प्रिंट मीडिया के भविष्य, श्रमजीवी पत्रकार के भावी दृष्टिकोण के साथ–साथ केकेएचएसओयू द्वारा संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ कैरियर के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मीडिया, बाल हित और समाज के अन्य वर्ग के हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

(द असम ट्रिब्यून, 25 अगस्त, 2021, गुवाहाटी)

'पत्रकार एफआईआर रद्द करने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते'

हालांकि, स्वतंत्र भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण अधिकार हैं, यह सुरक्षित रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर, 2021 को कहा कि न्यायालय पहुंचने सहित अन्य कानूनी उपायों का सहारा लिए बिना एफआईआर को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सीधे संपर्क करने के लिए वह नया रास्ता नहीं बना सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि उच्चतम न्यायलाय में आने से पहले उच्च न्यायालय पहुंचने सहित वैकल्पिक कानूनी उपायों को उपयोग में लिया जाना चाहिए, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, बी.आर. गवई और बीवी नागरत्ना की न्यायपीठ ने कहा कि हालांकि बेंच नहीं चाहती कि मीडिया को दबाया जाए, लेकिन साथ ही मीडियाकर्मियों के खिलाफ एफ़आईआर रद्द करने के लिए सीधे शीर्ष न्यायालय पहुंचने के लिए कोई अलग रास्ता नहीं बनाया जा सकता था। यह स्पष्ट करते हुए, कि मीडियाकर्मियों के खिलाफ एफ़आईआर रद्द करने के लिए अन्य कानूनी उपायों का उपयोग किए बिना शीर्ष न्यायालय पहुँचना वांछनीय नहीं था, फिर भी न्यायालय ने न्यूज पोर्टल, द वायर के तीन पत्रकार, सीराज अली, मुकुल सिंह

चौहान और इस्मत आरा का दो महीने की गिरफ्तारी से बचाव किया। न्यायालय ने उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने को कहा।

(द एशियन ऐज, 9 सितंबर, 2021, नई दिल्ली)

प्रिंट मीडिया अधिकतर लोगों के बीच अभी भी लोकप्रिय

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तीव्र प्रगति के बावजूद, समाज के अधिकतर लोगों में प्रिंट मीडिया आज भी, सबसे लोकप्रिय है।

"बहुत हद तक यह सच है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कई बड़ी चुनौतियों को सामने लाया है, लेकिन प्रिंट मीडिया अब तक बहुत समझदारी से बाधाओं से निपटने में कामयाब रहा है।"

13 सितंबर, 2021 को सोनितपुर जिले की ऐतिहासिक बस्ती के पहले समाचार पत्र पोखेकिया जनमत के पांचवें स्थापना दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित, नेपाली दैनिक, हमरो प्रजाशक्ति के संपादक, अंजन उपाध्याय ने यह टिप्पणी की थी।

बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार और सेवानिवृत्त शिक्षक, रमेश चंद्र बोरा ने की, जबकि पोखेकिया जनमत के संपादक और प्रकाशक, नारायण फोयल ने बैठक का उद्देश्य और इसकी चार साल की यात्रा के इतिहास के बारे में बताया।

(असम ट्रिब्यून, 15 सितंबर, 2021, गुवाहाटी)

जागरण समूह के अध्यक्ष का निधन; राष्ट्रपति, पीएम ने की, उनके योगदान की सराहना

जागरण प्रकाशन समूह के अध्यक्ष और संरक्षक, योगेन्द्र मोहन गुप्ता का लंबी बीमारी के बाद कानपुर में निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे। राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति, श्री एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया।

(द टाइम्स ऑफ इंडिया, 16 अक्टूबर, 2021, नई दिल्ली)

सत्य और साहस जैसे मूल्यों के लिए भास्कर को खास अवार्ड

दैनिक भास्कर समूह को दमदार रेपोर्टिंग के लिए इस वर्ष का प्रेम भाटिया उत्कृष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार किया जाएगा। अवाड्र्स की प्रतिष्ठित ज्यूरी ने कोरोना के दौर में

हुयी मौतों की हकीकत दिखानी वाली दैनिक भास्कर समूह की रेपोर्टिंग टीम की सराहना करते हुए इस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की।

(दैनिक भास्कर 26 अक्तूबर, 2021, नई दिल्ली)

वरिष्ठ स्क्राइब का निधन

चिंग–टैम दैनिक के पूर्व संपादक, मनिहर गोस्वामी का 26 अक्टूबर, 2021 को इंफाल पूर्वी जिले में उनके वांगखेई कोन्सम लेकई निवास पर निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे।

ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन (एएमडब्ल्यूजेयू) और एडिटर्स गिल्ड मणिपुर (ईजीएम) ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है।

(द असम ट्रिब्यून, 27 अक्टूबर, 2021, गुवाहाटी)

देवी पर आपत्तिजनक पोस्ट को रद्द करें, उच्च न्यायालय ने ट्विटर से कहा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए, 29 सितंबर, 2021 को ट्विटर से अपने प्लैटफॉर्म से हिंदू देवी से संबंधित कुछ आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए कहा कि सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी को "आम जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए" क्योंकि वह यहां कारोबार कर रही थी।

ट्विटर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता, सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि न्यायालय इसका उल्लेख आदेश में करे और कंपनी उसके निदेशों का पालन करेगी। हालांकि, मुख्य न्यायमूर्ति, डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह ट्विटर को यह सलाह नहीं देने वाली है कि क्या करना है।

"आप इसे हटायेँ। राहुल गांधी के मामले में भी आपने ऐसा ही किया है।' उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा और आगे यह भी कहा कि ट्विटर अच्छा काम कर रहा था और लोग इससे खुश थे।

(द टाइम्स ऑफ इंडिया, 30 अक्टूबर, 2021, नई दिल्ली)

डिब्रूगढ़ फोटोग्राफर ने जीता अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

असमिया समाचार दैनिक, असमिया प्रतिदिन के एक स्टाफ फोटोग्राफर, सौरव दुआरा ने अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफिक ग्रुप, फोटोआर्ट द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता (ब्लैक एंड व्हाइट), 2021 में लगभग 55 प्रतिभागियों में से चौथा पुरस्कार जीता है।

(दी असम ट्रिब्यून, 10 नवम्बर, 2021, गुवाहाटी)

पत्रकार कमलकांत बुधकर नहीं रहे

लंबे समय से बीमार चल रहे वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार कमलकांत बुधकर का 14.11.2021 को निधन हो गया। वह 72 साल के थे और पिछले काफी समय से पैरालिसिस की बीमारी से जूझ रहे थे। हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी विश्व विघालय में पत्रकारिता विषय के असोसिएट प्रोफेसर रहे बुधकर हरिद्वार प्रेस क्लब के संस्थापक भी थे।

(नवभारत टाइम्स, 15, नवम्बर, 2021, नई दिल्ली)

पत्रकारों की गिरफ्तारी : प्रेस परिषद ने त्रिपुरा से मांगा जवाब

त्रिपुरा पुलिस द्वारा दो पत्रकारों की गिरफ्तारी का संज्ञान लेते हुए भारतीय प्रेस परिषद ने राज्य से रिपोर्ट मांगी है। पत्रकारों को अदालत ने 5 नवंबर, 2021 को रिहा कर दिया।

17 नवंबर, 2021 को प्रेस परिषद ने एक बयान में, कहा कि उसके "संज्ञान" में आया है कि पत्रकार स्वर्ण झा और समृद्धि सकुनिया को "त्रिपुरा पुलिस ने त्रिपुरा में सांप्रदायिक झड़पों पर रिपोर्टिंग करने पर गिरफ्तार किया था"। प्रेस परिषद के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त न्यायामूर्ति, श्री सी के प्रसाद ने "इसे गंभीरता से लिया है और इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है" तथा त्रिपुरा सरकार से टिप्पणी मांगी है।

सकुनिया और झा को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के कथित प्रयासों पर गिरफ्तार किए जाने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 15 नवंबर, 2021 को जमानत दे दी थी।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 18 नवंबर, 2021, नई दिल्ली)

मुफस्सिल पत्रकारिता के अग्रदूत, भाबेश बरुआ का निधन

असम में मुफस्सिल पत्रकारिता के अग्रदूत और असम प्रेस कॉरेस्पोंडेंट्स यूनियन (एपीसीयू) के संस्थापक सचिव, भाबेश बरुआ का दिनांक 17 नवंबर, 2021 को निधन हो गया। वह 85 वर्ष के थे।

उन्होंने 1965 में पलासबाड़ी से एक पाक्षिक पत्रिका, पशेकिया स्वाधीनता, प्रकाशित करके एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने अपने मरणासन्न होने तक तत्कालीन नटुन दैनिक और दैनिक अग्रदूत के संवाददाता के रूप में भी काम किया।

बरुआ ने 1993 में, राज्य के सभी मुफस्सिल संवाददाताओं को एक साथ लाकर काहिकुची में एपीसीयू का गठन किया। वे हमेशा वेतन बोर्ड की संस्तुतियों को लागू

करने के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने संस्तुतियों को लागू न किए जाने के विरोध में पत्रकार पेंशन को नामंजूर कर दिया।

(द असम ट्रिब्यून, 19 नवंबर, 2021, गुवाहाटी)

वरिष्ठ पत्रकार सम्मानित

जिले के वरिष्ठ पत्रकार एवं सोनितपुर प्रेस क्लब के सदस्य, कुसमाखर उपाध्याय, जो तेजपुर चनमारी के स्थायी निवासी हैं, को हाल ही में, पीडब्ल्यूडी कन्वेंशन सेंटर, गुवाहाटी में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया।

(द सेंटिनल, 20 अक्टूबर, 2021, गुवाहाटी)

राज्य सभा ने पायनियर के संपादक, डॉ. मित्रा को दी श्रद्धांजलि

राज्यसभा ने 29 नवंबर, 2021 को पूर्व सांसद और द पायनियर के संपादक, डॉ. चंदन मित्रा को श्रद्धांजलि दी। डॉ मित्रा का निधन 1 सितंबर, 2021 को 66 वर्ष की आयु में हुआ।

डॉ मित्रा के योगदान की सराहना करते हुए, तत्कालीन सभापति, एम वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन, शहरी और ग्रामीण विकास, विरासत और शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दिया।

सदन की कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद, दिवंगत सांसद और प्रख्यात पत्रकार को श्रद्धांजलि देते हुए, श्री नायडू ने कहा कि सामाजिक मुद्दों और संस्कृति में उनकी (डॉ. मित्रा की) गहरी रुचि के कारण मित्रा ने अपने आसपास की दुनिया के बारे में व्यापक और सामंजस्य स्थापित किया, जो पत्रकारिता का सर्वोत्कृष्ट गुण है।

(द पायनियर, 30 नवंबर, 2021, नई दिल्ली)

पूर्वोत्तर के पत्रकार को पीईसी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया

जनेवा स्थित प्रेस एम्ब्लम कैमपैन (पीईसी) ने पूर्वोत्तर भारत स्थित पत्रकार, नवा ठकुरिया को मीडियाकर्मियों के अधिकारों की रक्षा करने और आदर्शात्मक प्रतिबद्धता के साथ प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए उनके लगातार पहल करने के लिए पुरस्कृत किया है।

(द स्टेट्समैन, 1 दिसंबर, 2021, नई दिल्ली)

सरकार, मीडिया काउंसिल का गठन करे जिसे सांविधिक शक्तियां दी जाये, हाउस आईटी पैनल ने कहा

मीडिया में नैतिक मानकों पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए, कांग्रेस नेता, शशि

थरूर की अध्यक्षता में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने संस्तुति की है कि सरकार, भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की तर्ज पर ही प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हेतु सांविधिक शक्तियाँ प्रदान करते हुए मीडिया परिषद का गठन करे।

बुधवार को संसद को सौंपी गई 'मीडिया कवरेज में नैतिक मानक' पर अपनी रिपोर्ट में, समिति ने कहा कि पीसीआई और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी जैसे मौजूदा नियामक निकाय उतने प्रभावी नहीं हैं, क्योंकि उनका "सामर्थ्य सीमित है" और एनबीएसए, एक स्व–नियामक निकाय, "अपने आदेशों के स्वैच्छिक अनुपालन पर निर्भर है"।

समिति ने कहा कि उसकी "दृढ़ राय है कि संघ और सभी प्रकार के मीडिया को कवर करने के लिए पीसीआई के पुनर्गठन की आवश्यकता है"।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय को "व्यापक मीडिया परिषद की स्थापना की संभावना का पता लगाना चाहिए, जिसमें न केवल प्रिंट मीडिया को शामिल किया जाए, और अपने आदेशों को जहां आवश्यक हो, लागू करने के लिए इसे सांविधिक शक्तियों से लैस किया जाए"।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 2 दिसंबर, 2021, नई दिल्ली)

टीवी पत्रकार विनोद दुआ का 67 वर्ष की आयु में निधन

वयोवृद्ध पत्रकार, विनोद दुआ ने ब्लैक एंड व्हाइट युग में दूरदर्शन से अपना करियर शुरू किया और उसके बाद के दशकों में डिजिटल स्पेस में अपनी पहचान बनाई, का दिनांक 4 दिसंबर, 2021 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया।

(संडे टाइम्स, 5 दिसंबर, 2021, नई दिल्ली)

पत्रकार को पुलिस हिरासत में सेनेटाइजर पिलाया गयाः एनएचआरसी ने छत्तीसगढ़ सरकार को जारी किया नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रायपुर के एक पत्रकार, सुनील नामदेव को पुलिस हिरासत के दौरान जबरन सैनिटाइजर पीने के लिए मजबूर किए जाने के आरोपों को बेहद गंभीरता से लेते हुए रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

इस पर गौर करते हुए, कि पत्रकार सुनील नामदेव को पुलिस हिरासत में पानी की जगह सैनिटाइजर दिए जाने की घटना को एनएचआरसी ने बहुत गंभीरता से लिया है, आयोग के विधि प्रभाग के सहायक रजिस्ट्रार इंद्रजीत कुमार ने पुलिस को पत्र भेजकर कार्रवाई रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर देने को कहा है।

नामदेव की पत्नी, मनमीत कौर ने आयोग के समक्ष दर्ज़ की गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके पति को सेनेटाइजर पिलाया ताकि वे उन्हें सुला सके। हालांकि, जैसे ही स्क्राइब को इस बात का अहसास हुआ, उन्होंने तुरंत डॉक्टरों को घटना के बारे में सूचित कर दिया, शिकायतकर्ता ने बताया।

कोर्ट ने, मामले की गंभीरता को देखते हुए, तत्काल ही घटना की जांच के आदेश दिए। लेकिन घटना के नौ महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई जांच नहीं की, उसकी पत्नी ने आरोप लगाया है।

उन्होंने न्यायालय को यह भी बताया कि मुख्यमंत्री के एक उप सचिव, एक आईपीएस अधिकारी और उनकी पत्नी तथा मुख्यमंत्री, भूपेश बघेल के करीबी विश्वासपात्र एवं कुछ अन्य अधिकारी उनके द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन और उनके द्वारा प्रकाशित समाचारों के कारण उनके जीवन के शत्रु हो गए हैं।

(द स्टेट्समैन, 28 दिसंबर, 2021, नई दिल्ली)

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार को त्रिपुरा पुलिस की कठोर कार्रवाई से बचाया

पिछले साल की सांप्रदायिक हिंसा पर ट्वीट करने के लिए, त्रिपुरा पुलिस द्वारा कथित रूप से परेशान किए गए लोगों को न्यायिक संरक्षण देना जारी रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी, 2022 को राज्य पुलिस को पत्रकार, समीउल्लाह शब्बीर खान के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया।

याचिकादाता की ओर से पेश अधिवक्ता, शाहरुख आलम ने न्यायमूर्ति, डी वाई चंद्रचूड़ और ए एस बोपन्ना की पीठ से कहा कि केवल, सांप्रदायिक हिंसा के बारे में ट्वीट करना और ट्वीट के साथ पुलिस को टैग करना अपराध नहीं माना जा सकता है और ऐसा करने के लिए याचिकादाता को अक्टूबर माह से सभी ट्वीट्स के साथ मोबाइल नंबरों को संरक्षित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

याचिकादाता ने ट्वीट में त्रिपुरा पुलिस को टैग करते हुए त्रिपुरा सांप्रदायिक हिंसा और पूजा स्थलों की कथित तोड़फोड़ का जिक्र करते हुए एक ट्वीट किया।

(द टाइम्स ऑफ इंडिया, 11 जनवरी 2022, नई दिल्ली)

प्रख्यात पत्रकार सैम राजप्पा का निधन

वरिष्ठ पत्रकार, सैम राजप्पा, जिन्हें पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय प्रेस परिषद के प्रतिष्ठि त राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार से संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया था, का कनाडा में निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे और उनके दो बेटे हैं।

मद्रास रिपोर्टर्स गिल्ड ने, सैम राजप्पा, जिन्होंने चेन्नई में अपने शानदार करियर के कई साल बिताये, के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

(द एशियन एज, 17 जनवरी 2022, नई दिल्ली)

अनिल बरुआ को पत्रकारिता पुरस्कार

दैनिक असम के पूर्व संपादक, प्रख्यात पत्रकार, अनिल बरुआ, जिन्हें गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया को कोविड–19 की मौजूदा स्थिति के कारण बाद में औपचारिक रूप से पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

इस पुरस्कार में एक लाख रुपये की राशि, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र दिया जाता है।

(द असम ट्रिब्यून, 29 जनवरी 2022, गुवाहाटी)

फर्जी समाचार पर सरकार ने ट्विटर, एफबी से कार्रवाई की मांग की

50 से अधिक यूट्यूब चैनलों और कई ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल को राष्ट्र–विरोधी और फर्जी समाचार सामग्री की वजह से ब्लॉक करने के कुछ ही दिनों बाद, भारत सरकार ने एक बैठक में, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से फर्जी समाचार और भारत विरोधी सामग्री के विरुद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

इसने गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, स्नैपचैट और कू से अपने प्लेटफॉर्मों पर ऐसी सामग्री के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, पर डाटा साझा करने के लिए कहा है।

यह पता चला है कि जहां प्लेटफार्मों ने कॉपीराइट उल्लंघन से लेकर बाल शोषण तक विभिन्न मामलों में 8 मिलियन से अधिक वीडियो को हटाने का दावा किया है, वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय यह जानना चाहता था कि क्या उनके पास अब तक विशेष रूप से भारत को लेकर सामग्री को हटाने का कोई डाटा है।

माना जा रहा है कि सरकार ने राष्ट्र–विरोधी और फर्जी समाचार/विघटनकारी सामग्री से संबंधित ब्लॉकिंग/हटाने का विवरण देने के लिए प्लेटफार्मों को लेकर कड़ा रुख किया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, हालांकि, इस बात पर जोर दिया कि चूंकि फ़्लैग की गई सामग्री 'पूरी तरह से फ़र्जी' थी और बहस का विषय नहीं थी, इसलिए कोई नीति कार्रवाई को नहीं रोक सकती।

(द इकोनॉमिक टाइम्स, 3 फरवरी 2022, नई दिल्ली और गुड़गांव)

स्क्राइब को पुरस्कार

दैनिक असम के वरिष्ठ पत्रकार, मुनीन्द्र दास को उनकी पुस्तक, असमर नृगोस्ठिया उत्तरनार इतिहास के लिए जगदधात्री–हरमोहन दास साहित्य पुरस्कार से 06 फरवरी, 2022 को एक समारोह में सम्मानित किया गया।

जगदधात्री–हरमोहन दास ट्रस्ट द्वारा प्रदान किये जाने वाले इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र और 20,000/– रुपये नकद प्रदान किये जाते हैं।

(द असम ट्रिब्यून, 6 फरवरी 2022, गुवाहाटी)

गिल्ड ने यूपी पत्रकार पर हुए अत्याचार की जांच की मांग की।

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस आरोप की न्यायिक निगरानी में जांच की मांग की है कि आगरा के एक पत्रकार, गौरव बंसल को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया था।

हिंदी अखबार में काम करने वाले एक पत्रकार को, एक सरकारी अधिकारी को 15 मार्च, 2022 को उसकी ड्यूटी में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जैसा कि आरोप लगाया गया है, वह कुछ लोगों के साथ 8 मार्च को मतगणना केंद्र गए और अफवाह फैलाकर यह हंगामा किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बदली जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक उसने सरकारी अधिकारियों के साथ भी बदसलूकी की।

उनकी रिहाई की मांग करते हुए, गिल्ड ने कहा कि पत्रकार को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था और "चुनावी कदाचार के बारे में रिपोर्ट करने" के लिए उसे कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया था, उसे लेकर वह हैरान थे।

(द हिंदू, 22 मार्च, 2022, दिल्ली)

"फ़ैक्ट चेक" से लगेगी 'फेक न्यूज' पर लगामः अपूर्व चंद्रा

'फेक न्यूज' पर लगाम लगाने के लिए 'फ़ैक्ट चेक' को महत्वपूर्ण बताते हुए सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि सही खबरों को सही तरीके से आम जनता तक पहुंचाना बेहद आवश्यक है। उन्होने कहा है कि कोरोना के समय में सरकारी सूचना तंत्र के माध्यम से लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई गई, जिससे महामारी से बचाव में जनता को मदद मिली। चंद्रा 25 मार्च, 2022 को भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) में भारतीय सूचना सेवा, ग्रुप 'ए' के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

(राष्ट्रीय सहारा, 26 मार्च, 2022, नई दिल्ली)

गूगल पर प्रतिस्पर्धा नियामक की निगाह

इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (आईएनएस) ने एक बयान में कहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), देश के मुख्य प्रतिस्पर्धा नियामक, ने तकनीकी दिग्गज, गूगल द्वारा "प्रभुत्व के दुरुपयोग" की जांच का आदेश दिया है।

आईएनएस ने गूगल पर होस्ट की गई सामग्री के लिए उचित मूल्य की मांग करते हुए कहा है कि समाचार प्रकाशकों को उनके द्वारा दी गई सामग्री के लिए उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।

स्टेटमेंट में कहा गया कि "गूगल द्वारा एकत्र किए गए कुल विज्ञापन राजस्व और विज्ञापन राजस्व का कितना वास्तविक प्रतिशत मीडिया संगठनों को हस्तांतरित किया जा रहा है, इस तथ्य पर समाचार मीडिया घरानों को पूरी तरह से अंधेरे में रखा जाता है। यूरोपीय प्रकाशक परिषद ने भी गूगल के खिलाफ एक प्रतिस्पर्धा शिकायत दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि गूगल ने विज्ञापन तकनीक मूल्य श्रृंखला का पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है और इस प्रकार वह अपनी प्रबल स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है।"

सोसायटी ने यह भी आरोप लगाया है कि गूगल एलएलसी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गूगल आयरलैंड लिमिटेड और गूगल एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक, भारतीय ऑनलाइन समाचार मीडिया बाजार में "न्यूज रेफरल सर्विसेज और गूगल एड टेक सर्विसेज से संबंधित अपनी प्रबल स्थिति का दुरुपयोग कर रही है, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4 का उल्लंघन है।

प्रेस वक्तव्य में कहा गया "आईएनएस ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध कराए जाने वाले समाचारों के निर्माता/प्रकाशक को ऐसे ग्राहकों, जो गूगल के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके समाचार आइटम खोजते हैं, के लिए उपयुक्त सामग्री तैयार करने में भारी निवेश किये जाने के बावजूद, उनकी सामग्री के लिए उन्हें उचित मूल्य का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

न्यूज़पेपर सोसायटी के अनुसार, सीसीआई ने प्रथम दृष्ट्या पाया है कि "प्रबल पद के दुरुपयोग के ये आरोप, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के दायरे में हैं और इसके लिए महानिदेशक द्वारा विस्तृत जांच की आवश्यकता है"।

स्टेटमेंट में अंत में कहा गया, "सीसीआई ने तदनुसार आईएनएस द्वारा प्रस्तुत जानकारी को डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए), जिसने इसी तरह के

विवादों पर सीसीआई के समक्ष जानकारी दर्ज़ की है, द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को एक साथ जोड़ने का आदेश पारित किया ।"

(हिंदुस्तान टाइम्स, 27 मार्च, 2022, नई दिल्ली)

भारतीय प्रेस में विश्व मीडिया

हिरासत में लिए गए पत्रकार को रिहा करें, जापान का म्यांमार से आग्रह

अप्रैल 19 को टोक्यो में सरकार ने म्यांमार से यांगून में सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लिए गए एक स्वतंत्र जापानी पत्रकार को रिहा करने का आह्वान किया।

एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, सरकार के प्रवक्ता, कात्सुनोबु काटो ने कहा कि टोक्यो, उस पत्रकार की जल्द रिहाई की मांग कर रहा था, जिसे डीपीए समाचार एजेंसी की रिपोर्टिंग के अनुसार म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगून में घर पर गिरफ्तार किया गया था।

काटो ने पत्रकार की पहचान नहीं बतायी, लेकिन जापानी मीडिया ने उनका नाम युकी किताजुमी बताया, जो निक्केई बिजनेस डेली के पूर्व रिपोर्टर थे, जो अब यांगून में रहते हैं।

क्योडो न्यूज ने म्यांमार में जापानी दूतावास का हवाला देते हुए बताया कि कथित रूप से "फर्जी समाचार" फैलाने के लिए किताजुमी की जांच चल रही है।

क्योडो के अनुसार, उन्हें शहर की इनसेन जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां कई राजनीतिक बंदियों को कैद करके रखा गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी के अंत में, तख्तापलट विरोधी रैली को कवर करते हुए पत्रकार को सुरक्षा बलों ने कुछ समय के लिए हिरासत में भी लिया था।

जुंटा ने 23,000 से अधिक कैदियों को माफी दी क्योंकि म्यांमार ने नए साल का अपना पारंपरिक जश्न मनाना शुरू कर दिया था, राज्य द्वारा संचालित प्रसारक, एमआरटीवी ने दोहराया, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था, कि जिन्हें मुक्त किया गया था, तख्तापलट विरोधी प्रदर्शनकारी उन लोगों में से थे।

तख्तापलट के कारण व्यापक विरोध किया गया, जिसका उत्तर सैनिकों ने आबादी पर हिंसक कार्रवाई करके दिया।

एक गैर–लाभकारी संगठन, असिसटैन्स एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिसनर्स (एएपीपी) के अनुसार, लगभग 2,850 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और 48 बच्चों सहित कम से कम 598 लोग मारे गए।

(द पायनियर, 20 अप्रैल, 2021, नई दिल्ली)

बांग्लादेश का खोजी पत्रकार शासकीय गुप्त बात कानून के तहत गिरफ्तार

पुलिस ने 18 अप्रैल को बताया कि वरिष्ठ बांग्लादेशी पत्रकार, रोज़िना इस्लाम को औपनिवेशिक युग के शासकीय गुप्त बात कानून का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद राइट्स ग्रुप्स और उसके सहकर्मियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

परिचालन के आधार पर सबसे बड़े दैनिक समाचार पत्र, बांग्ला दैनिक प्रथम अलो की एक वरिष्ठ रिपोर्टर, रोज़िना को कथित रूप से अनुमति लिए बिना अपने सेल फोन से एक दस्तावेज़ की तस्वीर क्लिक करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा 17 मई को पांच घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया। बाद में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय ने उसके खिलाफ आधी रात को शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के तहत मामला दर्ज किया, जब उसने अपनी रात पुलिस हिरासत में बिताई।

उसे ढाका के एक न्यायालय में पांच दिनों की हिरासत में भेजने की मांग संबंधी याचिका हेतु पेश किया गया था, जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया और सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसरण हेतु उसे जेल भेज दिया। न्यायाधीश ने कहा कि वह अभियोजन पक्ष के आरोप और उसकी जमानत याचिका सहित बचाव पक्ष के बयानों पर विचार करेंगे।

अभियोजन पक्ष के एक वकील ने रिपोर्टरों को बताया कि "चाहे आरोप सही हो या गलत, एक मामला दर्ज़ किया गया है" जिसे निपटाने के लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता है।

रोज़िना ने हाल ही में कोविड–19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के कथित कदाचारों को उजागर करने वाली कई रिपोर्टें प्रकाशित की हैं, जिनपर जनता का ध्यान

आकर्षित किया गया है। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई रिपोर्टें भी प्रकाशित कीं, जिनमें स्वास्थ्य मंत्रालय में खरीद और डॉक्टरों की भर्ती में कथित भ्रष्टाचार शामिल था।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 19 मई, 2021, नई दिल्ली)

म्यांमार की सैन्य अदालत ने दो पत्रकारों को सुनाई जेल भेजे जाने की सजा

म्यांमार की एक सैन्य अदालत ने दो पत्रकारों को उनकी रिपोर्टिंग के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई, जिसकी राइट्स ग्रुप्स द्वारा यह कहकर निंदा की गई कि यह एक ऐसा कदम है, जो देश के तख्तापलट के बाद से स्वतंत्र प्रेस पर सबसे नवीनतम हमले के रूप में है।

डेमोक्रेटिक वॉइस ऑफ बर्मा के 31 वर्षीय पत्रकार, आंग क्याव और ऑनलाइन समाचार एजेंसी, मिज़िमा के 38 वर्षीय स्वतंत्र रिपोर्टर, ज़ॉ ज़ॉ को दक्षिणी म्यांमार के एक शहर, मायिक के न्यायालय ने दोषी ठहराया।

दंड संहिता में हाल ही में संशोधित प्रावधान के तहत दोनों पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया गया था, जो उपद्रव को भड़का सकता है, एक ऐसा आरोप जो आलोचकों का कहना है कि वाक् स्वतन्त्रता का अपराधीकरण करता है।

आंग सान सू की की निर्वाचित सरकार को म्यांमार की सेना द्वारा तख्तापलट में उखाड़ फेंकने के बाद से पत्रकारों के खिलाफ यह सजा नवीनतम कदम है। म्यांमार असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिसनर्स के अनुसार, अधिग्रहण के बाद से लगभग 901 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से आधे से अधिक अभी भी हिरासत में हैं, और 33 अभी भी छिपे हुए हैं।

समाचार एजेंसी ने बताया कि वो "ज़ॉ ज़ॉ को दी गई दो साल की जेल की सजा का स्पष्ट रूप से विरोध करती है और सत्तारूढ़ जुंटा द्वारा अन्यायपूर्ण, हिरासत में लिए गए सभी पत्रकारों की तत्काल रिहाई की मांग करती है, जिसमें ज़ॉ ज़ॉ और हिरासत में लिए गए अन्य चार मिज़िमा पत्रकार शामिल हैं"।

(द पायनियर, 4 जून, 2021, नई दिल्ली)

अमेरिकी सरकार का कहना है कि अब पत्रकारों के रिकॉर्ड को जब्त नहीं किया जाएगा

अमेरिकी न्याय विभाग ने 4 जून, 2021 को कहा कि वह, अब रहस्योद्घाटन जांचों के दौरान पत्रकारों के रिकॉर्ड को गुप्त रूप से प्राप्त नहीं करेगा। यह समाचार संगठनों

और प्रेस स्वतंत्रता समूहों द्वारा निंदा की गई इस प्रैक्टिस को छोड़ देने संबंधी में एक नीतिगत बदलाव है।

राष्ट्रपति, जो बाइडेन द्वारा ली गई प्रतिज्ञा के पश्चात यह बदलाव किया गया, जिन्होंने कहा कि पत्रकारों के रिकॉर्ड को जब्त करना "एकदम गलत" था और वह न्याय विभाग को इस कार्रवाई को जारी रखने की अनुमति नहीं देंगे।

डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन प्रशासनों ने क्लासीफाइड जानकारी देने वाले स्रोतों की पहचान करने के प्रयास में पत्रकारों के रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए सम्मन और अदालती आदेशों का उपयोग किया।

लेकिन पिछले एक महीने में इस प्रैक्टिस की नए सिरे से जांच की गई क्योंकि न्याय विभाग के कर्मियों ने द वाशिंगटन पोस्ट, सीएनएन और द न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों को सतर्क किया कि उनके फोन रिकॉर्ड ट्रम्प प्रशासन के अंतिम वर्ष में प्राप्त किए गए थे।

(हिंदुस्तान टाइम्स, 7 जून, 2021, नई दिल्ली)

हांगकांग के पुलिस चीफ ने की फर्जी समाचार संबंधी कानून की मांग

हांगकांग के नए पुलिस प्रमुख ने फर्जी समाचार संबंधी कानून की मांग की और राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत वित्त केंद्र में उनके अधिकारियों पर भरोसा कम करने के लिए मीडिया को दोषी ठहराया।

उनकी ओर से यह आह्वान तब किया गया जब अधिकारियों ने असंतोष जताने पर व्यापक कार्रवाई की और जब मुखर समाचार पत्र, एपल डेली को, एक कठिन नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अपने खातों के बंद होने के कुछ ही दिनों बाद ही बंद होने के लिए मजबूर होना पड़ा।

पुलिस प्रमुख, रेमंड सिउ ने कहा कि इसमें ज्यादातर दोष मीडिया का है। श्री सिउ ने कहा, "मैं समझता हूं कि ऐसे कुछ निवासी हैं जो अभी भी हमारे विरुद्ध हैं। इस संबंध में, मैंने अपने साथियों से कहा कि इनमें से खराब हुए कई संबंध और पुलिस से दुश्मनी, फर्जी खबरों के कारण है"।

उन्होंने आगे कहा, "फिलहाल फेक न्यूज की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई कानून होता है तथा उस कानून को लागू करके इन लोगों के साथ न्याय करने में हमें सहायता मिल सके, तो हम इसका स्वागत करते हैं।"

(द हिंदू, 27 जून, 2021, नई दिल्ली)

रिहा हुए अमेरिकी संपादक ने कहा कि म्यांमार में उसे प्रताड़ित किया गया

म्यांमार सुरक्षा बलों ने एक अमेरिकी पत्रकार को मुक्के मारे, थप्पड़ मारे और पीटा और एक सप्ताह से अधिक समय तक उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर पूछताछ की, तीन महीने से अधिक हिरासत में रहने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका भेजे जाने के बाद, उसने बताया। ऑनलाइन समाचार प्लैटफ़ार्म, कामयुत मीडिया के 44 वर्षीय प्रधान संपादक, नाथन मोंग को 9 मार्च को एक छापे में हिरासत में लिया गया और 15 जून को रिहा किया गया। उन्होंने बताया कि उनके सहयोगी, हनथर न्येन, जो अभी भी हिरासत में हैं, को काफी अधिक कठोर यातना दी गई थी, जैसा कि अन्य लोगों को दी गई थीं,जिनसे वह जेल में मिला था। जुंटा के एक प्रवक्ता से जब अनुरोध किया गया कि वह नाथम मान्ग द्वारा दिए गए विवरण, जो उन हजारों लोगों में से कुछ को प्रतिध्वनित करता है, जिन्हें सेना के सत्ता संभालने के बाद से हिरासत में लिया गया, पर टिप्पणी करें, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 28 जून, 2021, नई दिल्ली)

म्यांमार की सेना ने और पत्रकारों को गिरफ्तार किया

टेलीविजन, जिसपर सेना का अधिकार है, ने 21 अगस्त, 2021 को बताया कि म्यांमार की सैन्य सरकार ने दो और स्थानीय पत्रकारों को गिरफ्तार किया है, जो तख्तापलट के बाद से मीडिया पर व्यापक कार्रवाई में, हिरासत में लिए गए दर्जनों लोगों में यह नवीनतम है।

सिथु आंग माएंट पर देशद्रोह और गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया गया, जोकि एमवाड्डी के अनुसार जुंटा के आलोचक थे और उन्होंने लोगों से हड़ताल में शामिल होने और गैरकानूनी घोषित किए गए विपक्षी दलों को समर्थन देने का आग्रह किया था।

हेत हेत खिन पर सिथू आंग माएंट, एक आपराधिक संदिग्ध को शरण देने और नकली राष्ट्रीय एकता सरकार के लिए काम करने और उसका समर्थन करने का आरोप लगाया गया था।

बीबीसी मीडिया एक्शन ने एक बयान में कहा कि वह हेत हेत खिन की सुरक्षा और उन पर लगे आरोपों को लेकर चिंतित है और स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है।

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आर एस एफ) ने कहा कि इन दोनों को बिना सम्पर्क के रखा जा रहा है।

"हम उनकी हिरासत की मनमानी शर्तों की कड़ी निंदा करते हैं, जो उस क्रूरता को दर्शाता है, जिसके साथ सेना जुंटा पत्रकारों के साथ व्यवहार करती है", इसके एशिया पैसिफिक डेस्क प्रमुख, डेनियल बास्टर्ड ने कहा।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 23 अगस्त, 2021, नई दिल्ली)

पत्रकारों का उत्पीड़न

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने पत्रकारों के उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर सरकार के पक्ष को सुनने के लिए तीन वरिष्ठ कर्मियों को 25 अगस्त, 2021 को अपने समक्ष पेश होने को कहा है।

चार पृष्ठों की याचिका, जिसमें शिकायत की गई थी कि पाकिस्तान में पत्रकारों को सुरक्षा एजेंसियों के हाथों डराने–धमकाने की बढ़ती घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, के जवाब में न्यायालय ने निदेश जारी किये।

न्यायालय ने खेद व्यक्त किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि एफआईए ने अपने जनादेश की सीमा को लांघा है और न्यायपालिका में मुल्क के भरोसे को कम किया है। न्यायमूर्ति, क़ाज़ी फैज़ और न्यायमूर्ति जमाल खान मंडोखेल की दो–न्यायाधीशों वाली एससी पीठ ने सूचना और प्रसारण, धार्मिक मामलों और मानवाधिकार मंत्रालयों के सचिवों के साथ–साथ काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स (सीपीएनई); ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स सोसाइटी (एपीएनएस); पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (पीबीए); पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (पीएफयूजे) और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (पेमरा) को भी नोटिस जारी किए और उनसे यह बताने को कहा कि आवेदन में लगाए गए आरोप सही थे या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन (पीएएस) के पूर्व अध्यक्ष, अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी द्वारा पत्रकारों के उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान आकर्षित करने के बाद उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर विचार किया। आदेश के अनुसार पत्रकारों को परेशान किया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, उन पर हमला किया जा रहा था और उन्हें गोली मारी जा रही थी। अपराधियों के लिए कोई सज़ा निर्धारित नहीं हैं और जिन्हें पत्रकारों की रक्षा करनी चाहिए और प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए, वे स्वयं ही इसमें शामिल हैं।"

(द सेंटीनेल, 26 अगस्त 2021, गुवाहाटी)

पुलित्जर बोर्ड ने अफगानिस्तानी पत्रकारों को दिये विशेष प्रशस्ति पत्र

पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड ने अफगानिस्तान में उन लोगों के लिए विशेष प्रशस्ति पत्र की घोषणा की, जिन्होंने अपने युद्धग्रस्त देश से समाचारों और छवियों को उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाला।

प्रशस्ति पत्र में $100,000 के आपातकालीन राहत अनुदान दिये जाने का उद्देश्य अफगानिस्तान में पत्रकारिता में शामिल पुरुषों और महिलाओं की पुनर्वास या अपना काम सुरक्षित रूप से जारी रखने में मदद करना है।

(द पायनियर, 28 अगस्त, 2021, नई दिल्ली)

लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पाक पत्रकार की गोली मारकर हत्या

लाहौर प्रेस क्लब (एलपीसी) के बाहर, अज्ञात लोगों ने दिनांक 24 जनवरी, 2022 को एक पाकिस्तानी पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी, पुलिस ने बताया।

पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) के एक कर्मी ने पीटीआई को बताया, "हसनैन शाह, जो अपने 40 के दशक में थे, प्रेस क्लब के बाहर अपनी कार खड़ी कर रहे थे, तभी दो मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई"।

उन्होंने कहा कि दोनों हथियारबंद लोग भीड़भाड़ वाले इलाके से भागने में सफल रहे।

लाहौर का रहने वाला शाह कैपिटल टीवी के लिए क्राइम रिपोर्टर के तौर पर काम कर रहा था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं।

पाकिस्तान में पत्रकार संघों ने शाह की हत्या की निंदा की है और उनके हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 25 जनवरी 2022, नई दिल्ली)

तिजुआना में एक सप्ताह के भीतर दूसरे पत्रकार की गोली मारकर हत्या

राज्य सरकार ने बताया, 23 जनवरी को उत्तरी सीमावर्ती शहर, तिजुआना में एक मैक्सिकन पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो एक सप्ताह के भीतर क्षेत्र में दूसरी हत्या है। बाजा कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय द्वारा बताया गया कि लूर्डेस माल्डोनाडो, एक ऐसी पत्रकार, जिसे दशकों का अनुभव था, की तिजुआना के पड़ोस सांता फे, में उनकी कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई। फोटो जर्नलिस्ट,

मार्गरिटो मार्टीन, 49, की तिजुआना में उनके घर के बाहर सिर में गोली लगने से मौत हो जाने के एक हफ्ते से भी कम समय में यह हत्या हुई।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 25 जनवरी 2022, नई दिल्ली)

यूरोपीय अदालत का कहना है कि तुर्की ने पत्रकार के अधिकारों का उल्लंघन किया

यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने 25 जनवरी को फैसला सुनाया कि तुर्की ने जर्मन–तुर्की पत्रकार, डेनिज़ युसेल, जिसे एक साल के लिए तुर्की में जेल में डाल दिया गया था और बाद में कुर्द विद्रोहियों के पक्ष में प्रचार में लिप्त होने का दोषी ठहराया गया था, के अधिकारों का उल्लंघन किया है।

उसे एक साल के लिए परीक्षण से पूर्व हिरासत में रखा गया और वह अपनी रिहाई के बाद जर्मनी लौट आया। 2020 में, इस्तांबुल की एक अदालत ने युसेल को आतंकवादी प्रचार में शामिल होने के आरोप में दोषी ठहराया और उसे दो साल और नौ महीने से अधिक की जेल की सजा सुनाई। एक साल पहले, तुर्की के सर्वोच्च न्यायालय, संवैधानिक न्यायालय ने कहा था कि युसेल की साल भर की हिरासत के कारण उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। उनके मामले के कारण जर्मनी के साथ एक राजनयिक संकट पैदा हो गया, जिसने तुर्की पर जर्मन नागरिकों, जिन पर पीकेके या यूएस–आधारित मौलवी, फतुल्लाह गुलेन के नेतृत्व वाले नेटवर्क से संबंध होने का संदेह था, की "मनमाने ढंग से गिरफ्तारी" करने का आरोप लगाया।

युसेल ने डाई वेल्ट को बताया, "स्ट्रासबर्ग में न्यायाधीशों ने प्रमाणित किया है कि स्वतंत्रता और राय की स्वतंत्रता के मेरे अधिकार का उल्लंघन हुआ था।"

(द पायनियर, 26 जनवरी 2022, नई दिल्ली)

'राजद्रोह संबंधी प्रकाशन' के लिए हांगकांग में 2 को जेल

हांगकांग के न्यायालयों ने 31 जनवरी,2022 को राजद्रोह संबंधी सामग्री प्रकाशित करने के लिए दो व्यक्तियों को जेल में डाल दिया, इस शहर को 1997 में चीन को सौंपे जाने के बाद से मुद्रित सामग्री के लिए सजा दिलाने के लिए, औपनिवेशिक युग के कानून का इस्तेमाल, पहली बार किया गया है।

राजद्रोह हांगकांग के ब्रिटिश औपनिवेशिक अतीत की वापसी है, लेकिन इसे धूल चटा दी गई है क्योंकि अधिकारियों ने असहमति पर व्यापक कार्रवाई की है।

पत्रकारों, संघ के सदस्यों और एक प्रमुख रेडियो डीजे सहित कई लोगों को कानून के तहत हिरासत में लिया गया है और वे आगामी मुकदमों का सामना कर रहे हैं।

(द हिंदू, 1 फरवरी 2022, नई दिल्ली)

रूस ने जर्मन अखबार की वेबसाइट ब्लॉक की

रूसी अधिकारियों ने यूक्रेन को लेकर प्रसारित किए जा रहे संदेश को नियंत्रित करने के अपने प्रयासों के तहत, जर्मन अखबार, बिल्ड की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया।

संचार और मीडिया नियामक, रस्कोमनादज़र ने कहा कि उसने अभियोजक के अनुरोध पर बिल्ड की वेबसाइट को ब्लॉक किया है। रस्कोमनादज़र ने बताया कि रूसी सैनिकों के खिलाफ हिंसा का आह्वान करने के लिए इस्तेमाल किए जाने के बाद से ही इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक को रूस में पहले ही ब्लॉक कर दिया गया था।

रूसी अधिकारियों ने बीबीसी, यूरोपीय समाचार नेटवर्क यूरोन्यूज़, अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित, वॉयस ऑफ अमेरिका और राडियो फ्री यूरोप/राडियो लिबर्टी, जर्मन ब्रॉडकास्टर डॉयचे वेले और लातविया स्थित वेबसाइट, मेडुजा सहित विदेशी मीडिया वेबसाइटों पर भी पाबंदी लगा दी है। बिल्ड का कहना है कि वह यूक्रेन में रूस के युद्ध पर रिपोर्टें रूसी भाषा में और "अधिनायकवादी तानाशाही" के प्रति इसके झुकाव की अपनी वैबसाइट पर और इसके लाइव वीडियो प्रसारण के कुछ हिस्सों के उपशीर्षक रूसी भाषा में दे रहा है।

उसने जानकारी दी, कि इसका रूसी भाषा में टेलीग्राम चैनल भी है।

(द पायनियर, 28 मार्च, 2022, नई दिल्ली)

****

अध्याय–V

*अनुच्छेद 370 और 35(ए) को निरस्त करने के बाद जम्मू–कश्मीर में मीडिया परिदृश्य पर रिपोर्ट (27.05.2021 को परिषद द्वारा स्वीकृत)

जम्मू और कश्मीर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसने भारत के विचार को क्रियान्वित करने में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भूमिका निभाई है। भारतीय राष्ट्र, जिसकी सीमाएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैं, भारत के लोगों के सामूहिक अवचेतन का हिस्सा है। आजादी के बाद से इसने कई उतार–चढ़ाव देखे हैं, जिनमें पाकिस्तान के हमले, हमारे संविधान में विशेष दर्जा, घाटी से हिंदुओं का पलायन, आतंकवाद और कई अन्य अत्याचार शामिल हैं।

अगस्त 2019 में, केंद्र ने भारत के संविधान के अनुच्छेद– 370 और 35–ए के तहत विशेष दर्जे को रद्द कर दिया और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया, जिससे जम्मू और कश्मीर को दो अलग–अलग केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित किया गयाः विधायिका के साथ जम्मू कश्मीर और विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख। यह सब तब हुआ जब कश्मीर घाटी में पूरे राज्य को घेराबंदी, तालाबंदी, मोबाइल संचार और इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के साथ प्रतिबंधात्मक गिरफ्तारियों के तहत रखा गया था। इसके सामाजिक–राजनीतिक क्षेत्रों में भारी परिवर्तन देखे गए, जिसने मीडिया और श्रमजीवी पत्रकारों के दिन–प्रतिदिन के वृतिक एवं व्यक्तिगत कामकाज को प्रभावित किया।

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने गहन विचार–विमर्श के पश्चात, भूतपूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य में 370 और 35–ए के निरस्त किए जाने के बाद, प्रभात दास (संयोजक), बलविंदर सिंह जम्मू (सह–संयोजक), कमल–नारंग और सैयद रज़ा हुसैन रिज़वी की चार सदस्यीय उप–समिति को भेजकर वहाँ की जमीनी स्थिति जांचने का निर्णय लिया और उनसे एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। हालांकि, कुछ लॉजिस्टिक्स और अन्य समस्याओं के कारण, समिति, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर का दौरा नहीं कर सकी।

---

*तत्कालीन माननीय अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद एवं परिषद के सदस्य, श्री अशोक उपाध्याय, श्री सी.के. नायक, श्री जय शंकर गुप्ता, श्री ओम प्रकाश खेमकर्णी और श्री पी.के. जैन रिपोर्ट से अलग रहे।

इस दौरान समिति के संयोजक, प्रभात दास को कुछ चिकित्सकीय समस्याएँ हुईं और दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई। परिषद ने समिति के संयोजक के रूप में सह–संयोजक बलविंदर सिंह जम्मू को नामित करने का निर्णय लिया।

बलविंदर सिंह जम्मू (संयोजक), कमल नैन नारंग और सैयद रजा हुसैन रिजवी की उप–समिति ने धारा 370 और 35ए के निरस्त होने के बाद राज्य में मीडिया की जमीनी हकीकत का अध्ययन करने के लिए, 2019 में 9 दिसंबर से 12 दिसंबर 2019 तक जम्मू और 2020 में 14 मार्च से 17 मार्च तक श्रीनगर का दौरा किया। शुरुआत में कमेटी 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक श्रीनगर और जम्मू का दौरा करना चाहती थी। चूंकि 8 दिसंबर को श्रीनगर के लिए उड़ानें रद्द कर दी गई थीं, सदस्यों ने अपने कार्यक्रम में बदलाव किया और 9 से 12 दिसंबर तक जम्मू का दौरा किया और श्रीनगर की अपनी यात्रा स्थगित कर दी।

उप समिति ने अपने दौरे के दौरान सभी हितधारकों के साथ बातचीत की और प्रिंट/फोटो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकारों के साथ कई अलग–अलग बैठकें कीं। इसने मीडिया घरानों के संपादकों और मालिकों के साथ बैठकें भी कीं। जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों में पत्रकारों की समस्याएं भौगोलिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कारणों से अलग–अलग हैं।

कश्मीर के संपादकों के साथ बैठक

कश्मीर एडिटर्स गिल्ड (केईजी) का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें बशीर मंजर, मसूद हुसैन, मंजूर अंजुम, जहूर मलिक और हारून राशिद शामिल थे, ने समिति से मुलाकात की और शुरुआती दिनों में पूर्ण लॉकडाउन और लंबे समय तक इंटरनेट और संचार सेवायें बंद होने के कारण उन्हें हुई समस्याओं के बारे में बताया। स्थिति का आकलन करने और उनकी कठिनाइयों को जानने के लिए एक टीम भेजने के लिए पीसीआई की सराहना करते हुए, उन्होंने महसूस किया कि यह थोड़ा विलंबित प्रतिक्रिया कुछ देर से आयी थी क्योंकि धारा 370 के निरस्त होने के सात महीने बाद टीम श्रीनगर आई थी।

गिल्ड के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि समाज के अन्य वर्गों के अलावा, कश्मीर की मीडिया बिरादरी को इंटरनेट और संचार सेवायें बंद होने के कारण पीड़ा का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि, "चूंकि प्रतिबंधों के कारण ग्रामीण इलाकों से रिपोर्ट एकत्र करना मुश्किल है, समाचारपत्रों और पत्रकारों को सरकारी हैंडआउट्स (प्रकाशन, वक्तव्य) पर निर्भर रहना पड़ता है और इससे मीडिया की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।" दूसरे, खबरों के प्रवाह में कमी के कारण अखबारों के प्रबंधन को अपने–अपने अखबारों के

पृष्ठ कम करने पड़े और ज्यादातर मामलों में सोलह पृष्ठों के अखबार चार पृष्ठों के रह गए।

उन्होंने कहा कि इंटरनेट और संचार सेवाओं के अभाव में स्थानीय समाचारपत्रों का प्रकाशन संभव नहीं था। हालांकि, उन्होंने कहा, सभी बाधाओं के बावजूद, स्थानीय समाचारपत्र संगठनों ने यह सुनिश्चित किया कि समाचार पत्र हर सुबह उपलब्ध रहें और सूचना सेवायें बंद होने की ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी वे जो भी जानकारी एकत्र कर पाये थे, उसे अपने पाठकों के साथ साझा कर न सकें। प्रतिनिधिमंडल ने उप–समिति को सूचित किया कि कश्मीर टाइम्स और कश्मीर रीडर जैसे कुछ समाचारपत्रों के लिए सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए हैं, जिसके कारणों के बारे में जानकारी अधिकारियों को ही थी।

उन्होंने आगे कहा कि संचार और इंटरनेट सेवायें बंद होने के कारण, स्थानीय समाचारपत्रों को भारी नुकसान हुआ क्योंकि समाचारों की कवरेज बुरी तरह प्रभावित हुई थी। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त की घटना के बाद विभिन्न मीडिया घरानों में काम करने वाले लगभग 30 प्रतिशत युवा पत्रकारों ने आर्थिक तंगी के कारण अपनी नौकरी गवां दी। गिल्ड के सदस्यों ने कहा कि वे इस नुकसान से उबरने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंटरनेट और संचार संबंधी सेवायें बंद होने के कारण, विश्वसनीय रिपोर्टिंग विशेष रूप से राज्य के जिला मुख्यालयों और छोटे शहरों से न होने के कारण, विभिन्न अखबारों की विश्वसनीयता खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि जब भी कानून और व्यवस्था की कोई समस्या हुई तो सरकार ने संचार सेवायें बंद कर दीं जिसके परिणामस्वरूप विश्वसनीय सूचनाओं का प्रवाह रुक जाता था। उन्होंने मांग की, कि मीडिया घरानों और पत्रकारों को निर्बाध इंटरनेट सुविधा मिलनी चाहिए। वास्तव में, सितंबर के मध्य में ही लैंडलाइन टेलीफोन सेवायें बहाल की गईं।

पत्रकार संगठनों से बातचीत

उप–समिति ने जम्मू–कश्मीर एडिटर्स फोरम, कश्मीर प्रेस क्लब और वीडियो जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के प्रतिनिधियों सहित कई पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। समिति ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स के लिए काम करने वाले कई वरिष्ठ पत्रकारों से भी मुलाकात की। जम्मू–कश्मीर संपादक फोरम के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें राशिद राहिल, पीरजादा निसार, अर्शीद रसूल, फारूक अहमद वानी और फरजाना मुमताज शामिल थे, ने प्रतिबंधों और इंटरनेट तथा संचार सेवा के अंतरिम एवं अन्य साधन न होने के कारण उन्हें होने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया।

उन्होंने जम्मू–कश्मीर की पत्रकार बिरादरी के भरण–पोषण के लिए पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा और अन्य प्रस्तावों जैसी कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करके मीडिया क्षेत्र की तरक्की और विकास के लिए ठोस उपाय किए जाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने, कश्मीर के पत्रकारों के लिए मीडिया सुविधा केंद्र, जिसने मीडिया संगठनों को समाचारपत्र प्रकाशित करने में सक्षम बनाया और अपने संबंधित मीडिया संगठनों के लिए, वे जो भी जानकारी एकत्र कर सकते थे, उसे भेजने और उनकी नौकरियों के नुकसान को रोकने की कोशिश की, की स्थापना करने के लिए, डीआईपीआर द्वारा की गई समयबद्ध पहल और प्रयासों की सराहना की।

पीसीआई उप समिति को सूचित किया गया कि सरकार ने बिना कोई कारण बताए कुछ दैनिक समाचारपत्रों को विज्ञापन देना बंद कर दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने छपाई संबंधी सामग्री/न्यूज़प्रिंट पर कर में रियायतों की भी मांग की। इस अवसर पर, समिति ने संपादकों सहित पत्रकारों को अन्य रियायतों के अलावा स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजनाओं के तहत शामिल किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

कश्मीर प्रेस क्लब

उप–समिति के साथ बातचीत करते हुए, कश्मीर प्रेस क्लब के एक प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मीडियाकर्मियों ने 5 अगस्त, 2019 के बाद कश्मीर में बहुत कठिन समय देखा है। प्रतिनिधिमंडल ने पत्रकारों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न मुद्‌दों पर प्रकाश डाला, जिसमें सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस द्वारा, मान्यता प्राप्त पत्रकारों को घटनाओं को कवर करने की अनुमति नहीं देना शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उनके सवालों पर विचार नहीं किया गया और न ही उनके जवाब दिए गए। उन्होंने इस बात की भी आलोचना की, कि 5 महीने बाद भी पत्रकारों को इंटरनेट सेवा की सुविधा बहाल नहीं की गई, हालांकि यह सुविधा शुरुआत में ट्रैवल एजेंसियों, हाउसबोट मालिकों, होटलों और कुछ व्यावसायिक घरानों को प्रदान की गई थी, लेकिन इस समय पत्रकारिता के कारोबार को चलाने के लिए मीडिया घरानों को सबसे आवश्यक सुविधा प्रदान नहीं की गई। उन्होंने बताया कि इंटरनेट और संचार सुविधा पूरी तरह से बंद होने के कारण पत्रकारों के पास टेलीविजन या रेडियो से समाचारों का लिप्यंकन करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था और इस तरह वे अपने मीडिया हाउस चला पा रहे थे। बहरहाल, पत्रकारों की विश्वसनीयता दांव पर थी, क्योंकि मीडियाकर्मी पूर्ण रूप से, सूचना मिले बिना ही काम करते थे।

वीडियो पत्रकार संघ के साथ बातचीत

मेहराज–उद–दीन अहमद, बशीर अहमद, जहांगीर अजीज, मेहराजुद दीन और मुदासिर अहमद सहित वीडियो जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के एक प्रतिनिधिमंडल ने पीसीआई उप समिति से मुलाकात की और अपने मुद्दों को रखा। प्रतिनिधिमंडल ने समिति को अवगत कराया कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ थे, क्योंकि पुलिस और सुरक्षा बलों ने उन्हें किसी सार्वजनिक विरोध या अन्य किसी कार्यक्रम को कवर करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि वीडियो/फोटो जर्नलिस्ट्स को फ्रंटलाइन पर काम करना होता था, लेकिन उनकी कोई भी गलती हुए बिना या उनके द्वारा किसी कानून का उल्लंघन किए बिना ही, उन्हें बेरहमी से पीटा गया।

उन्होंने कहा कि कश्मीर से बाहर के मीडियाकर्मियों को रहने और खाने की सुविधा के साथ–साथ, सभी कार्यक्रमों को कवर करने की अनुमति भी दी गई थी। ऐसे आरोप थे कि उनमें से कुछ ने अपनी रुचि के स्रोतों से प्राप्त इनपुट के आधार पर तथ्यों की पुष्टि किए बिना समाचार दिये। स्थानीय मीडिया और पत्रकारों को, घाटी के बाहर चैनलों और समाचारपत्रों में प्रेरित और अप्रमाणिक समाचार प्रकाशित या प्रसारित करने के बाद जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। प्रतिनिधिमंडल ने प्रेस परिषद से आग्रह किया कि वह श्रमजीवी पत्रकारों को, बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के, स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को करने में सक्षम बनाने के लिए कदम उठाए।

वरिष्ठ पत्रकारों से मुलाकात

बाद में, गौहर गिलानी, हिलाल अहमद मीर, और नासे गनई सहित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स के लिए काम करने वाले कई वरिष्ठ पत्रकारों ने उपसमिति के सदस्यों के साथ बातचीत की और 5 अगस्त, 2019 के बाद की स्थिति और कश्मीर में पिछले 7 महीनों के दौरान कार्यरत मीडियाकर्मियों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर विस्तृत विचार–विमर्श किया। उनमें से कुछ ने प्रश्न किया कि घाटी में श्रमजीवी पत्रकारों की कार्यस्थितियों की जांच करने में पीसीआई को इतना समय क्यों लगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि घाटी में पत्रकारिता का अपराधीकरण हो गया है और सुरक्षा बल और पुलिस, मान्यता प्राप्त पत्रकारों तक को भी पीट रहे थे, जब वे समाचार कवर करने के लिए मैदान में थे एवं पुलिस नियमित रूप से पत्रकारों को पुलिस स्टेशनों

और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन केंद्रों में बुलाती थी। उन्होंने कहा कि "सरकार की मंजूरी के बिना कोई भी समाचार लिखने पर पूर्ण प्रतिबंध था और पत्रकार, सिमट कर सिर्फ स्टेनोग्राफर बनकर रह गए थे।" उन्होंने आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35–ए के तहत विशेष दर्जा दिए जाने वाले प्रावधान को निरस्त करने की पूर्व संध्या पर, घाटी के प्रमुख समाचारपत्रों को निदेश दिया गया था कि वे संभावित निरस्तीकरण के संबंध में कोई रिपोर्ट या कॉलम/राय न छापें और न ही विरोध पर समाचार प्रकाशित करें।

प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि मीडिया को अपने विचार व्यक्त करने और सार्वजनिक मुद्दों तथा विचारों को उजागर करने के लिए पर्याप्त स्थान और स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि पत्रकारों के साथ उग्रवादियों की तरह व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और न ही उन्हें पुलिस स्टेशनों में बुलाया जाना चाहिए। "यदि रिपोर्टिंग में कोई विसंगति पायी जाती है, तो डीआईपीआर को पत्रकार या संबंधित मीडिया हाउस के समक्ष इस मुद्दे को उठाना चाहिए"।

फोटो जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन की ओर से प्रतिनिधित्व

फोटो जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व कर रहे निसार अहमद, सैयद मुजफ्फर, उमर गनई, बिआला बहादुर और यासीन डार ने विभिन्न मुद्दे पर उप समिति का ध्यानाकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35–ए के निरस्त होने के बाद, अधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण फोटो पत्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते थे। उन्हें विरोध प्रदर्शनों को कवर करने की अनुमति नहीं थी और विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्ट/तस्वीरों को समाचारों में देने पर रोक लगाई गयी थी। उन्होंने कहा कि फोटो पत्रकारों को घटनाओं के कवरेज में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और सरकार द्वारा उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें निदेश दिया जा रहा था कि समाचारपत्रों में क्या प्रकाशित किया जाए और क्या नहीं।

उन्होंने शिकायत की, कि सुरक्षा बलों ने पत्रकारों की बाइकों को क्षतिग्रस्त कर दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही अब तक मुआवजा दिया गया। इस पर, उप–समिति के सदस्यों ने प्रतिनिधियों को सलाह दी कि ऐसी घटनाओं की सूचना भारतीय प्रेस परिषद को दी जानी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि इंटरनेट सेवायें बंद होने के कारण, फोटो पत्रकार अपनी तस्वीरों को प्रसारित करने में सक्षम नहीं थे। यहां तक कि हाल ही में 2जी स्पीड पर इंटरनेट सेवाओं की आंशिक बहाली ने भी उनकी

समस्याओं को कम नहीं किया है, क्योंकि उन्हें अपनी तस्वीरें भेजने के लिए हाई–स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता होती है।

उन्होंने कहा कि स्थानीय पत्रकारों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, जबकि राष्ट्रीय मीडिया को काम करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान की गई हैं और उन्हें अपने वृतिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कर्फ्यू पास भी दिए गए हैं। फोटो पत्रकारों ने नाराजगी व्यक्त की, कि उन्हें आधिकारिक कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जा रहा था और हाल ही में, पुलिस शहीद दिवस के दौरान भी उन्हें आधिकारिक समारोह को कवर करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया।

एक अन्य बैठक में, कश्मीर न्यूज सर्विस (केएनएस) और कश्मीर प्रेस सर्विसेज (केपीएस) प्रतिनिधिमंडल ने पत्रकारों की बिरादरी के बारे में कई मुद्‌दों को उठाया, विशेष रूप से 5 अगस्त, 2019 की स्थिति के बाद अपने वृतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए मीडिया बिरादरी के सामने आने वाली कठिनाई जम्मू–कश्मीर के उन पत्रकारों के लिए परेशानी का सबब साबित हुई, जो जम्मू–कश्मीर के अधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते थे। केएनएस सहयोगी, तसादुक रशीद ने कहा कि 5 अगस्त, 2019 के बाद, मीडियाकर्मी स्वतंत्र माहौल में अपने वृतिक कर्तव्यों को निभाने में विफल रहे। उन्हें परेशान किया गया, डराया गया और प्रतिबंधित किया गया, जिससे पत्रकारों का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार हो गया।

उन्होंने आगे कहा कि कई मीडियाकर्मियों को वृतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए, पूरे कश्मीर में कई स्थानों पर सरकारी बलों के आक्रोश का सामना करना पड़ा और यहां तक कि कैमरे भी तोड़ दिए गए और प्रेस कार्ड का निरादर किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों द्वारा सामना किए जा रहे आवास संकट का मुद्दा भी उठाया और एक उपयुक्त बीमा पॉलिसी के तहत सभी मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को कवर करने की मांग रखी। संचार सुविधाएं बंद होने पर श्रीनगर शहर में मीडिया सुविधा केंद्र को इंटरनेट संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए, श्रीनगर शहर में "मीडिया सुविधा केंद्र" की स्थापना करने वाले सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय की भूमिका की बैठक के दौरान, पत्रकारों ने, सराहना की। प्रतिनिधिमंडल ने सभी जिला और तहसील मुख्यालयों में दौरे पर आए दल से भी प्रेस क्लब/मीडिया सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए आग्रह किया, ताकि अनुचित परिस्थितियों के दौरान बिरादरी के सामने आ रही समस्याओं को कुछ हद तक कम किया जा सके।

पीसीआई सदस्यों ने सभी प्रतिनिधिमंडलों को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि सभी मुद्‌दों को जम्मू–कश्मीर प्रशासन के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने यह भी

कहा कि पत्रकार बिरादरी के फायदे के लिए, पीसीआई देश के अन्य हिस्सों की तरह ही जम्मू–कश्मीर में एक तंत्र स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उप–समिति ने सभी प्रतिनिधिमंडलों से समग्र मीडिया परिदृश्य और अपने वृतिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों पर दैनिक आधार पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी।

मीडिया सुविधा केंद्र का दौरा

उप–समिति ने मीडिया बिरादरी के फायदे के लिए 10 अगस्त, 2019 से विभाग द्वारा स्थापित, मीडिया सुविधा केंद्र का निरीक्षण भी किया। उन्हें डीआईपीआर के अधिकारियों द्वारा एमएफसी के कामकाज और पिछले सात महीनों के दौरान मीडिया बिरादरी को प्रदान की जा रही सहायता/सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रारंभ में, मीडिया सुविधा केंद्र में छह टर्मिनल थे और बाद में इस संख्या को बढ़ाकर आठ कर दिया गया, लेकिन चार सौ से अधिक पत्रकार थे, जिन्हें समाचारों और तस्वीरों को फ़ाइल करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था।

इस सुविधा का उपयोग करने वाले पत्रकारों में से एक पत्रकार ने टिप्पणी की, कि "एक पत्रकार को समाचार फ़ाइल करने के लिए केवल दस मिनट ही मिलते हैं, क्योंकि अन्य पत्रकारों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। पत्रकार पेन ड्राइव के साथ आते थे और फिर उन्हें अपने समाचार फ़ाइल करने होते थे और अपना काम दस मिनट में पूरा करना होता था, जिसमें वृतिक गोपनीयता की कोई गुंजाइश नहीं होती थी और कोई भी उनकी समाचारों या रिपोर्टों को देख सकता था"।

उप–समिति ने बारामूला का दौरा किया, जहां उन्होंने बारामूला जिले के स्थानीय मीडियाकर्मियों के साथ संवादात्मक बैठक की और वर्तमान परिस्थितियों के मद्देज़र, मीडिया परिदृश्य के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की। उपायुक्त बारामूला, डॉ. जी.एन. इटू भी बैठक में शामिल हुए। बैठक की शुरुआत, पत्रकारों के संक्षिप्त परिचय से हुई, जिसमें उन्होंने टीम को घटनाओं को कवर करने में आने वाली बुनियादी समस्याओं के बारे में बताया और अपनी निम्नलिखित मांगें रखीं:

- जिला मुख्यालय में प्रेस क्लब की स्थापना
- किसी भी कानून–व्यवस्था की स्थिति के दौरान, बार–बार इंटरनेट बंद होने की स्थिति में हाई–स्पीड इंटरनेट सुविधा की बहाली और इंटरनेट सुविधा की वैकल्पिक व्यवस्था

- स्थानीय पत्रकारों की मान्यता, सूचना विभाग के बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी करना, तहसील सूचना केन्द्रों में जनशक्ति की तैनाती।

टीम ने जिला मुख्यालय में प्रेस क्लब के लिए जगह उपलब्ध कराने का जिला प्रशासन से अनुरोध किया। बारामूला के उपायुक्त ने बताया कि यह जल्द से जल्द किया जाएगा। उन्होंने तहसील सूचना केन्द्रों पर जल्द से जल्द स्टाफ तैनात करने का भी वादा किया। संयुक्त निदेशक सूचना, कश्मीर डिवीजन ने समिति को सूचित किया कि प्रत्यायन नीति से संबंधित मानकों की समीक्षा के लिए एक प्रस्ताव प्राधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा, ताकि जिलों में वृतिक पत्रकारों को भी मान्यता मिल सके।

वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत

17 मार्च को कुपवाड़ा के जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन, जम्मू–कश्मीर मीडिया एसोसिएशन सहित मीडियाकर्मी निकायों के कई प्रतिनिधिमंडलों और अन्य व्यक्तिगत प्रतिनिधिमंडलों ने उप–समिति के सदस्यों से मुलाकात की और अपने मुद्दों और सुझावों को रखा। व्यक्तिगत स्तर पर पत्रकारों और उनके संगठनों से मिलने के अलावा, उप–समिति ने श्री दिलबाग सिंह, डीजीपी, उपायुक्त, श्रीनगर, बारामूला सहित नागरिक और पुलिस प्रशासन के लगभग सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और जम्मू–कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी), विजय कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) के साथ बैठकें कीं । उन्होंने सिविल अधिकारियों के साथ पत्रकारों की समस्याओं को साझा किया और उनके निवारण का आग्रह किया। आईजीपी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह उप–समिति द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर गौर करेंगे और नियमित अंतराल पर पत्रकारों से मिलेंगे।

कुपवाड़ा के पत्रकार संघ का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें "तसदुक हुसैन, सुहैल यूसुफ शाह, पीरजादा जुबैर और राही मुस्ताक और कुछ अन्य शामिल थे, ने उप–समिति से मुलाकात की और कुपवाड़ा जिले में मीडिया परिदृश्य और 5 अगस्त के बाद की स्थिति के बारे में जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कैसे वे पिछले सात महीनों के दौरान अपनी नौकरी जारी रख सके।" उन्होंने बताया कि कुपवाड़ा के मीडियाकर्मियों को जिला प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिला और उन्हें ड्यूटी करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

प्रतिनिधिमंडल ने समिति को सूचित किया कि जिले में 42 मीडियाकर्मी थे, जिनमें से 35 मीडियाकर्मियों ने 5 अगस्त के बाद अपनी नौकरी गवां दी, क्योंकि संचार/इंटरनेट सेवायें पूरी तरह से बंद थीं। यह भी पता चला कि कुछ पत्रकारों ने बैंकों के बकाया

ऋण पर मासिक किश्तों के भुगतान में चूक की है। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि उन्हें दिन–प्रतिदिन के सार्वजनिक मुद्दों को उजागर करने की अनुमति नहीं दी गई और विभिन्न एजेंसियों द्वारा उन्हें अक्सर परेशान किया गया। उन्होंने प्रेस क्लब की सुविधा देने और अन्य लाभों की भी मांग की, ताकि वे अधिक उत्साह और समर्पण के साथ अपना काम कर सकें।

प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि मीडिया बिरादरी पर इंटरनेट संबंधी प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि मीडिया बिरादरी के कल्याण के लिए सभी कदम उठाए जाने के अलावा, तहसील और जिला स्तर पर कार्यरत पत्रकारों को मान्यता प्राप्त पत्रकार पहचान पत्र प्रदान किए जाने चाहिए।

तारिक अहमद मीर, अर्शीद अहमद मीर, नूर मोहम्मद, बिलाल अहमद, और ज़होर्र अहमद भट सहित जम्मू–कश्मीर मीडिया एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी पीसीआई टीम से मुलाकात की और कश्मीर में 5 अगस्त के बाद के मीडिया परिदृश्य का संक्षिप्त विवरण दिया। प्रतिनिधिमंडल ने, कश्मीर की पत्रकार बिरादरी हेतु, मीडिया सुविधा केंद्र की स्थापना करने के लिए, डीआईपीआर द्वारा उचित समय पर की गई पहल और प्रयासों की सराहना की, जिसके कारण मीडिया घराने अपने समाचारपत्रों को प्रिंट कर सके। भारतीय प्रेस परिषद की टीम के सदस्यों ने पत्रकारों के कथन को धैर्यपूर्वक सुना और सभी प्रतिनिधिमंडलों को आश्वासन दिया कि उनके सही मुद्दों और परेशानियों को पीसीआई द्वारा उचित मंचों पर उठाया जाएगा।

जम्मू क्षेत्र के दौरे पर रिपोर्ट

जम्मू क्षेत्र में अनुच्छेद 35ए एवं अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के पश्चात, मीडिया की स्थिति का आकलन करने के लिए, भारतीय प्रेस परिषद की तीन सदस्यीय उप समिति ने संयोजक, बलविंदर सिंह जम्मू के नेतृत्व में कमल नैन नारंग और सैयद रज़ा हुसैन रिज़वी सदस्यों के साथ, 9 से 12 दिसंबर 2019 तक जम्मू का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान, उप–समिति ने, जम्मू–कश्मीर सरकार के जनसंपर्क विभाग के कर्मियों, पुलिस महानिदेशक, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के श्रमजीवी पत्रकारों और संपादकों के साथ बैठकें कीं, ताकि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति पर उनके विचार और प्रतिक्रिया प्राप्त करने तथा मीडिया के कामकाज पर इसके प्रभाव का पता लगाया जा सके। समिति ने कुछ अखबारों के कार्यालयों का भी दौरा किया और संपादकों तथा प्रबंधन के साथ चर्चा की।

जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करते हुए

पहली बैठक जम्मू–कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग के कर्मियों के साथ हुई।

बैठक में निदेशक, सुश्री सय्यद सेहरिश असगर सहित विभाग के कर्मियों ने विभाग की समग्र कार्यप्रणाली के बारे में बताया। स्थानीय पत्रकारों के अनुसार, राज्य में मीडिया को दी जा रही सहायता सुविधाएं पर्याप्त नहीं थीं, वह 'ऊँट के मुंह में जीरे' के समान थीं।

एडिटर्स गिल्ड टीम के साथ बातचीत

उप–समिति ने जम्मू न्यूजपेपर्स एडिटर्स गिल्ड (जेएनईजी) के अध्यक्ष, ए.के. साहनी के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाक़ात की और इंटरनेट प्रतिबंध से लेकर स्थानीय समाचारपत्रों को विज्ञापन जारी करना, भुगतान, सामाजिक और अन्यथा संपादकों तथा पत्रकारों की सुरक्षा और कानून में किए गए बदलाव सहित सभी मामलों पर चर्चा की। जेएनईजी के अध्यक्ष, राज दलूजा का मानना था कि तहसील स्तर पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन बहाल किए जा सकते थे, ताकि आम जनता और पत्रकार सूचना प्रसारित और समाचार साझा कर सकते थे। गिल्ड का मानना था कि सरकार दुबई और कॉर्पोरेट कार्यालयों में इस्तेमाल किए गए तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य जैसे सोशल मीडिया ऐप के बिना इंटरनेट सुविधा को बहाल करने पर विचार कर सकती है।

संपादकों ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को संचार सुविधा बंद किए जाने के तुरंत बाद, समाचारपत्रों को समाचारपत्र प्रकाशित करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में स्थिति में सुधार हुआ और समाचारपत्रों की छपाई फिर से शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि संचार पर प्रतिबंध के कारण, बारामूला, अनंतनाग और पुंछ आदि जैसे कुछ क्षेत्रों से समाचार प्रवाह प्रभावित हुआ।

समाचारपत्र कार्यालय का दौरा

उप–समिति ने डेली एक्सेलसियर के कार्यालय का दौरा किया और इसके प्रधान संपादक, कमल रोहमेत्रा और कार्यकारी संपादक, नीरज रोहमेत्रा के साथ बातचीत की और मीडिया तथा मीडियाकर्मियों के कामकाज पर प्रतिबंधों के प्रभाव पर चर्चा की। यह चर्चा, 5 अगस्त 2019, जब केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के विशेष संवैधानिक प्रावधानों को खत्म कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू–कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था, के पश्चात मीडिया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों के कामकाज पर केंद्रित थी। टीम ने जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद मीडिया को लाभ दिये जाने पर भी चर्चा की।

बैठक के दौरान, केंद्र शासित प्रदेश के दोनों बारी–बारी से राजधानी शहरों, श्रीनगर और जम्मू में, मीडिया केंद्रों के कार्यचालन/कामकाज की भी समीक्षा की गई। उन्होंने

मीडिया और मीडियाकर्मियों के कामकाज पर प्रतिबंधों के प्रभाव पर भी चर्चा की। एक्सेलसियर जम्मू ब्यूरो प्रमुख, संजीव परगल भी चर्चा में शामिल हुए। टीम ने उन्हें बताया कि भारतीय प्रेस परिषद को उग्रवाद प्रभावित जम्मू और कश्मीर में, खासकर इसके संघ राज्य–क्षेत्र बनने के बाद, समाचारपत्रों और मीडियाकर्मियों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में चिंता थी।

जम्मू प्रेस क्लब के साथ बैठक

उप–समिति ने जम्मू प्रेस क्लब (पीसीजे) के पदाधिकारियों और इसके सदस्यों के साथ बातचीत की। पीसीजे के अध्यक्ष, अश्विनी शर्मा ने दौरे पर टीम को बताया कि जम्मू में 5 अगस्त, 2019ए से लगातार मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद रहने से सूचना और समाचारों का सुचारू प्रवाह प्रभावित हुआ, जबकि जम्मू स्थित समाचारपत्रों के प्रकाशन और परिचालन में कोई व्यवधान नहीं आया। प्रेस क्लब के महासचिव, जोरावर सिंह जाम्वाल, उपाध्यक्ष, अभिमन्यु शर्मा और क्लब के पूर्व अध्यक्ष, मनु श्रीवास्तव ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए। उनकी यही राय थी, कि इंटरनेट प्रतिबंध, सूचना के वास्तविक समय के प्रवाह में देरी का कारण बन रहे थे।

प्रेस क्लब जम्मू के सदस्यों ने दौरे पर पीसीआई टीम का ध्यान सोशल मीडिया चैनलों और बिकाऊ पत्रकारों की ओर भी आकर्षित किया, जिन्हें चैक किए जाने की जरूरत है। प्रेस क्लब ने फर्जी पत्रकारों को अलग करने के लिए सूचना निदेशालय के हस्तक्षेप की मांग की, ताकि घटनाओं को कवर करते समय वास्तविक और काम करने वाले स्क्राइबों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।

पीसीआई टीम ने मीडिया के लाभ के लिए सरकारी योजनाओं पर भी चर्चा की और प्रेस क्लब से इन योजनाओं के बारे में सभी श्रमजीवी पत्रकारों को जागरूक करने के लिए कहा। उप–समिति को इस बात से भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय दैनिकों का जम्मू में कोई कार्यालय नहीं है और उनके पत्रकारों को अपने घरों से काम करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं मिल पा रही थी। जो लोग अपने व्यक्तिगत कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं उनके पास केवल 2जी स्पीड है जिससे उनके कार्य में बाधा होती है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता है। यूएनआई रिपोर्टर, विशाल भारती ने ब्रॉडबैंड मुद्दों के कारण रिपोर्टिंग में आने वाली कठिनाइयों को रेखांकित किया और यह बताया कि उन्हें अपनी रिपोर्ट हिस्सों में भेजनी पड़ती है, जिससे रिपोर्टिंग में अनावश्यक देरी होती है।

उप–समिति ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव, रोहित कंसल से बातचीत की, जिन्होंने समिति को बताया कि अनुच्छेद–370 और 35ए निरस्त करने के बाद विभाग ने श्रीनगर में एक सूचना केंद्र स्थापित किया और कंप्यूटर जैसी, रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। मीडियाकर्मियों की आवश्यकता के अनुसार, केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जा रही थी।

टीम के साथ बातचीत करते हुए, जम्मू–कश्मीर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), दिलबाग सिंह ने उप–समिति को राज्य में कानून–व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने समाचार रिपोर्टिंग के लिए मीडिया की कार्यप्रणाली को सुगम बनाया। उन्होंने यह भी कहा कि 5200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 250 को उत्तर प्रदेश की जेलों में भेजा गया।

कश्मीर टाइम्स की प्रधान संपादक, अनुराधा भसीन, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू–कश्मीर में संचार लॉकडाउन को चुनौती दी थी, ने उप–समिति को बताया कि 5 अगस्त, 2019 के बाद, समग्र मीडिया ने एक भयानक स्थिति का सामना किया और वह खतरे में आ गई। लेकिन पत्रकार ऐसी विकट परिस्थितियों में भी अपना काम करते रहे। उन्होंने कहा कि अधिकतर समाचार श्रीनगर क्षेत्र से नहीं आ रहे थे और इस बात पर उन्होंने अफसोस जताया कि कठोर उपायों के कारण देश के नागरिक, क्षेत्र में सही स्थिति जानने के अधिकार से वंचित रह गए थे।

प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के बैनर तले कार्यरत, फोटो पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल उप–समिति से मिला और उन्हें फोटो पत्रकारों की मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया "जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने के बाद, इंटरनेट प्रतिबंध के कारण हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।"

फोटो–पत्रकार, अमित भारद्वाज और मीर इमरान ने भी उप–समिति के साथ बातचीत की और उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों से रिपोर्टिंग में आने वाली अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सीमा पार से गोलाबारी के दौरान उनकी जान को लगातार खतरा बना हुआ है। उन्होंने मांग की, कि प्रशासन उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर करने के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट उपलब्ध कराये।

निष्कर्ष

1. सभी प्रतिबंधों को हटाने की तत्काल आवश्यकता है और इस क्षेत्र में मीडिया को

उसके दैनंदिन कार्यों में बिना किसी बाधा के अपने कर्तव्यों को पूरा करने की सुविधा दी जानी चाहिए। प्रतिबंधों को हटाए बिना, मीडिया, राज्य के विभिन्न हिस्सों से घटनाओं की रिपोर्ट नहीं कर सकता। अगर मीडिया के कामकाज में बाधाएं आती हैं, तो वह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अपनी भूमिका को ठीक से नहीं निभा सकेगा।

2. इंटरनेट और संचार नाकाबंदी के साथ, जिलों से रिपोर्ट एकत्र करना और समाचारपत्र प्रकाशित करना मुश्किल है। इसके बिना मीडिया को सरकारी हैंडआउट्स पर निर्भर रहना पड़ता है जिससे मीडिया की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

3. लॉकडाउन में, प्रकाशन सामग्री के अभाव में, समाचारपत्र–प्रबंधन को अपने–अपने समाचारपत्र या तो बंद करने पड़े या समाचारपत्रों के पृष्ठों की संख्या को कम करना पड़ा और ज्यादातर मामलों में, सोलह पृष्ठों के समाचारपत्र चार पृष्ठ तक सिमट कर रह गए और उनके परिचालन में भी समस्या आई।

4. कश्मीर टाइम्स, ग्रेटर कश्मीर, अल–जम्होर और कश्मीर रीडर आदि जैसे कई अखबारों को बिना कोई कारण बताए सरकारी विज्ञापन देने बंद कर दिया गया और इससे मीडिया की वित्तीय स्थिति पर भारी असर पड़ा।

5. पत्रकारों, संपादकों और स्वामियों के अनुसार, कुपवाड़ा जिले के 42 में से 35 मीडियाकर्मियों की 5 अगस्त की घटना के बाद नौकरी चली गई। कश्मीर घाटी के विभिन्न मीडिया घरानों में काम करने वाले लगभग 30 प्रतिशत युवा पत्रकारों ने आर्थिक तंगी के कारण अपनी नौकरी खो दी।

6. वीडियो/फोटो जर्नलिस्ट्स जैसे फ्रंटलाइन कर्मियों को किसी गलती या कानून के उल्लंघन के बिना भी अक्सर बेरहमी से पीटा जाता था।

7. ऐसे आरोप हैं कि घाटी में पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज करके पत्रकारिता को एक अपराध बना दिया गया है और सुरक्षा बलों ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों तक को भी पीटा, जब वे समाचार कवर करने के लिए मैदान में थे। पुलिस नियमित रूप से पत्रकारों को पुलिस स्टेशनों और उग्रवाद विरोधी अभियान केंद्रों पर समन करती है और उन्हें गिरफ्तार करती है।

8. सरकार की स्वीकृति के बिना किसी भी समाचार को लिखने पर पूर्ण प्रतिबंध था और अनुच्छेद 370 और 35 ए के निरस्त होने की पूर्व संध्या पर घाटी के प्रमुख समाचारपत्रों को निदेश दिया गया था कि वे निरस्त किए जाने के संबंध में कोई

भी रिपोर्ट या कॉलम/राय प्रकाशित न करें, न ही विरोध–संबंधी कोई समाचार दें।

9. पत्रकारों ने कहा कि स्थानीय पत्रकारों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दिल्ली की सरकार–समर्थक मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने की सुविधा प्रदान की गई है।

10. श्रीनगर शहर में, मीडिया सुविधा केंद्र ने श्रीनगर के पत्रकारों के लिए बहुत सीमित इंटरनेट सेवाओं की सुविधा प्रदान की है, लेकिन किसी भी जिले में संचार नाकाबंदी के लिए कोई मीडिया सुविधा केंद्र या समर्थन नहीं दिया गया।

11. सोशल मीडिया चैनलों और स्वयंभू पत्रकारों की तेजी से बढ़ रही संख्या पर लगाम लगाने की जरूरत थी।

संस्तुतियां

1. समिति यह संस्तुति करती है कि सभी मौजूदा प्रतिबंधों को हटाने की तत्काल आवश्यकता है और क्षेत्र में मीडिया को उनके दैनंदिन कार्यों में बिना किसी बाधा के अपने कर्तव्यों को पूरा करने की सुविधा दी जानी चाहिए। चूंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर इसके कामकाज में बाधाएं होंगी, तो यह अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पाएगा।

2. जल्द से जल्द हाई–स्पीड इंटरनेट सुविधा की बहाली होनी चाहिए।

3. जब भी अपरिहार्य परिस्थितियों में पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है, तब डीआईपीआर को राज्य और जिला स्तर पर बेहतर इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। लॉकडाउन या ऐसी परिस्थितियों के दौरान नौकरी गंवाने वाले मीडियाकर्मियों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए कॉर्पस फंड की स्थापना की जानी चाहिए।

4. समाचार एकत्र करने और पेशे से जुड़े अन्य कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान पत्रकारों को होने वाली कठिनाइयों को हल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

5. स्थानीय पत्रकारों के लिए जिला स्तर पर भी प्रत्यायन की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

6. सूचना विभाग के मीडिया सेंटर में पत्रकारों के कार्य हेतु आधारभूत इनफ्रास्ट्रक्चर बेहतर (अपग्रेड) होना चाहिए।

7. सुरक्षा बलों, मीडिया के साथ प्रशासन को भी एक दूसरे के सहयोग से काम करना चाहिए, जोकि लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।

8. अन्य राज्यों की तर्ज पर पत्रकारों को सरकारी आवास का आवंटन किया जाना चाहिए।

9. अन्य राज्यों की तर्ज पर पत्रकारों के लिए पेंशन एवं अन्य कल्याणकारी योजनाएँ लागू की जानी चाहिए।

10. प्रत्येक जिला मुख्यालय में पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब की स्थापना की जानी चाहिए।

****

अध्याय–VI

प्रेस द्वारा दर्ज़ मामलों में दिये गए न्यायनिर्णयों का सांख्यिकीय विश्लेषण

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13, में भारतीय प्रेस परिषद के उद्देश्यों और कार्यों को निर्धारित किया गया है। उक्त प्रावधान के तहत, भारतीय प्रेस परिषद को न केवल प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण का कार्य दिया गया है अपितु भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने का कार्य भी सौंपा गया है। इस धारा में, अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, परिषद के लिए कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं जैसे, समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों की स्वतंत्रता बनाए रखने में उनकी सहायता करना और सार्वजनिक हित के समाचारों की सप्लाई और प्रचार–प्रसार को सीमित करने वाली किसी भी घटना की समीक्षा करना।

उपर्युक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परिषद, समाचारपत्र, पत्रकारों या किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा केंद्र सरकार या राज्य प्राधिकरण, या किसी संगठन या व्यक्ति के खिलाफ प्रेस की स्वतंत्र कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करने या प्रेस की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण को लेकर दर्ज की गई शिकायतों का संज्ञान लेती है। परिषद के न्यायिक आदेशों को परिषद की राय/ टिप्पणियों के आधार पर तैयार किया जाता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद को प्रेस की मुक्त कार्यप्रणाली को कम करने के प्रयासों के आरोपों के संबंध में सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों के विरुद्ध **290** शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष के **216** मामलों पर विचार किया जाना लंबित था। **506** मामले जिन पर परिषद का ध्यानाकर्षण आवश्यक था, उनमें से न्याय–निर्णयन के द्वारा **30** मामले समाप्त कर दिये गये, जबकि **131** मामले जांच के लिए पर्याप्त आधार न होने, परिषद के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने या न्यायाधीन होने के कारण प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिये गये। शेष **345** मामलों पर समीक्षाधीन अवधि की समाप्ति के समय कार्रवाई चल रही थी। निम्नलिखित आलेख, प्रतिवादियों, शिकायतकर्ताओं और राज्यों की श्रेणियों की स्थिति स्पष्ट करता है।

शिकायतकर्ताओं की श्रेणियां

क. अंग्रेजी प्रेस	7%
ख. भारतीय भाषायी प्रेस	50%
ग. पत्रकार संगठन/समाचार एजेंसी	20%
घ. स्वप्रेरणा से कार्रवाई	23%

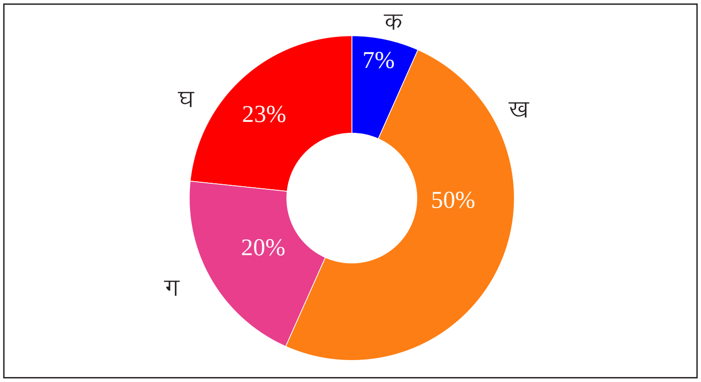

प्रतिवादियों की श्रेणियां

क. सूचना विभाग	70%
ख. संस्थान/निजी कंपनियां/समाचारपत्र प्रबंधन	17%
ग. पुलिस/सरकारी प्राधिकरण	7%
घ. गैर सरकारी व्यक्ति	7%

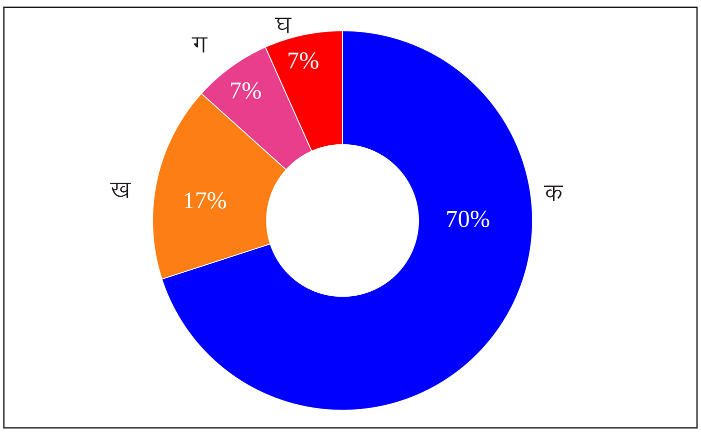

शिकायतकर्ता प्रकाशनों का राज्यवार विवरण

संक्षिप्तियों का विवरण

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 30

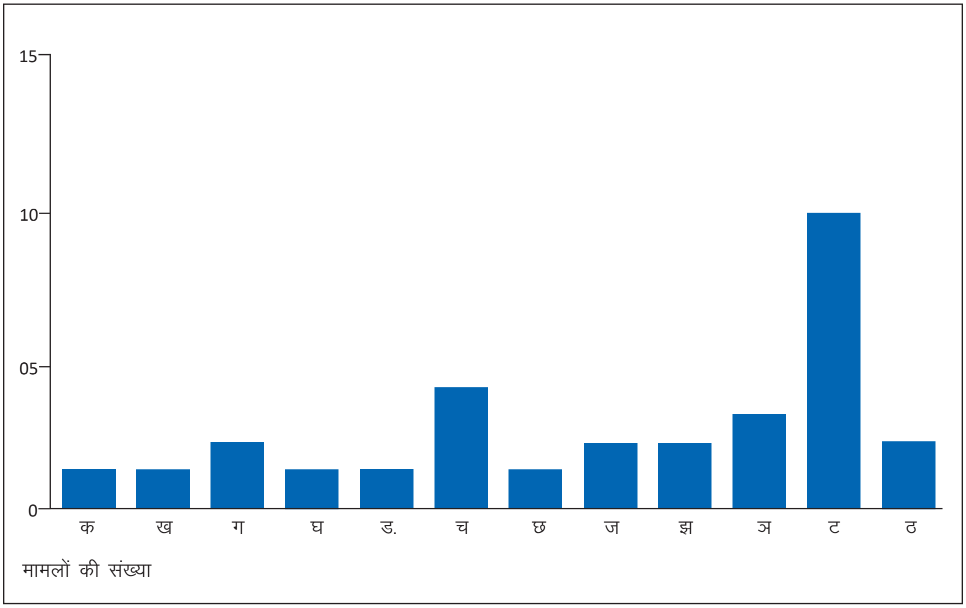

संक्षिप्तियों का विवरण

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 30

क.	आंध्र प्रदेश	1
ख.	चंडीगढ़	1
ग.	दिल्ली	2
घ.	जम्मू और कश्मीर	1
ड.	कर्नाटक	1
च.	मध्य प्रदेश	4
छ.	महाराष्ट्र	1
ज.	पंजाब	2
झ.	राजस्थान	2
ञ.	तेलंगाना	3
ट.	उत्तर प्रदेश	10
ठ.	उत्तराखंड	2

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसमें जनमत को ढालने की अपार शक्ति है। इससे, जनहित में जनता को सही जानकारी से अवगत कराकर, उसके संरक्षक और अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। ईमानदारी और निष्पक्षता से अपने वृतिक कर्तव्य का निर्वहन करने में प्रेस को अक्सर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित करने से प्रेस को रोकने के लिए प्राधिकारियों का दबाव समय के साथ कभी कम नहीं हुआ है; विशेष रूप से संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रेस समय–समय पर प्राधिकारियों और उग्रवादियों दोनों के दबाव के आगे घुटने टेक देती है। कार्यकारिणी के कामकाज की वैध आलोचना और उग्रवादी संगठन और असामाजिक तत्वों के दुष्कृत्यों की रिपोर्टिंग करने की प्रतिक्रिया में, पत्रकारों के साथ मारपीट की जाती है, उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जाता है, उनकी प्रेस/घर पर छापे मारे जाते हैं, उनका अपहरण कर लिया जाता है और गंभीर मामलों में, उनके द्वारा अपने पत्रकारीय कर्तव्य का निर्वहन करने पर, उनकी हत्या तक कर दी जाती है। इसके अलावा, सोशल मीडिया पत्रकारिता के युग में, समय पर रिपोर्टिंग के दबाव ने समाचारपत्रों के लिए अतिरिक्त खतरा पैदा कर दिया है। प्राधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे, पत्रकारों के वृतिक कर्तव्यों का वैध निर्वाह करने पर, उनपर हो रहे किसी भी प्रकार के शारीरिक हमले या नुकसान को रोकें।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, परिषद ने ऐसे कुल **(बारह) 12** मामलों का न्याय–निर्णयन किया। इनमें से, **दो (2)** मामलों में दोष सिद्ध हुआ जबकि **दो (2)** मामले गुण–दोष के आधार पर खारिज किये गये। **एक (1)** मामले में, संबद्ध प्रतिवादी द्वारा पर्याप्त सुधार करने अथवा सुधार करने का आश्वासन दिये जाने पर परिषद ने जांच बंद कर दी । मामलों के न्यायाधीन हो जाने या परिषद द्वारा मामले में अपेक्षित कार्रवाई करने की आवश्यकता न होने के कारण शेष **सात (7)** शिकायतों को समाप्त कर दिया गया। नीचे दिया गया आलेख इस स्थिति को और स्पष्ट करता है ।

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 12

क.	अनुमोदित	2
ख.	अस्वीकृत	2
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधन	1
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/ न्यायाधीन/निराधार होने के कारण बंद	7

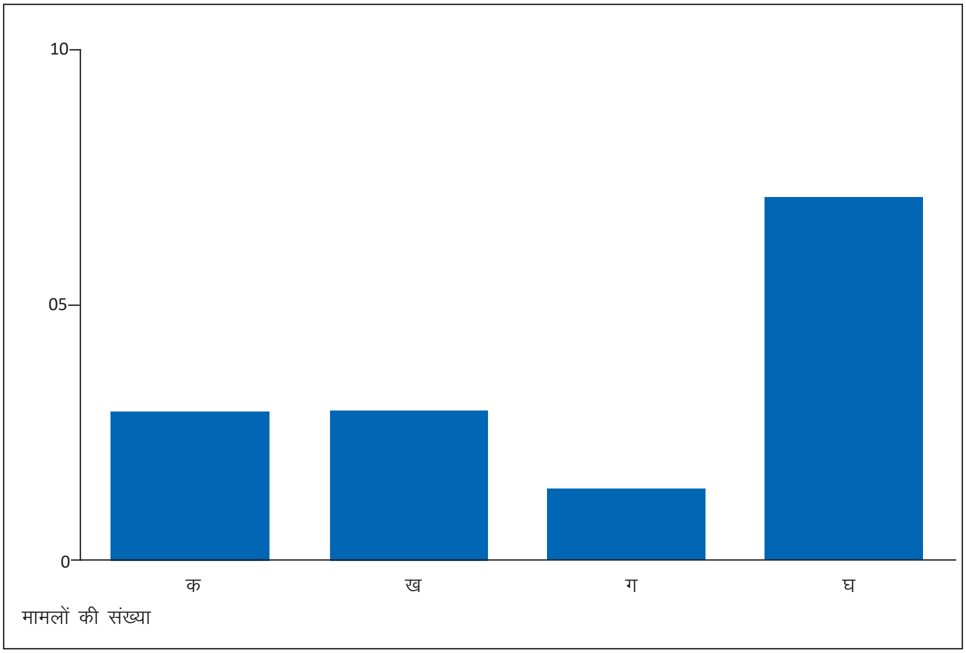

प्रेस को सुविधाएं

प्रेस को अपने वृतिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है। प्रत्यायन से पत्रकारों को अपने कार्य (बिजनेस) को सुगमता से करने में काफी हद तक सहायता मिलती है। इसी प्रकार, विज्ञापन, एक ओर जनता तक नीतियों व कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचाने के लिए प्राधिकारियों को सक्षम बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर, वे समाचारपत्र को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में सहायता करते हैं। हालांकि, प्राधिकारियों द्वारा समाचारपत्रों को यह सुविधाएं उपलब्ध करवाना बंद करने का कार्य आवश्यक रूप से स्पष्टतः निर्धारित नीतियों व नियमों के अंतर्गत किया जाना चाहिए ताकि यह न केवल समाचारपत्रों की आवश्यकता को पूरा कर सके, बल्कि पत्रकारिता संबंधी कर्तव्यों के निर्वाह में भी उनकी सहायता कर सके। विज्ञापनों और अन्य सुविधाओं पर लघु प्रेस की यह निर्भरता, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उन पर दबाव डालती है। यह देखा गया है कि कई बार, प्राधिकारी द्वारा उन्हें यह सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु उनके लेखन को प्राधिकारी के विचारों के अनुरूप प्रस्तुत करने के लिए इन सुविधाओं को वापिस लेने या उन्हें मुहैया करने या इसका वादा किया जाता है। उपर्युक्त सुविधाओं के पक्षपातपूर्ण प्रत्याहरण/सुविधाएं देने से इंकार करने के विरुद्ध भारी मात्रा में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

इस उप–शीर्ष के अंतर्गत दिये गये **ग्यारह (11)** न्याय–निर्णयों में से **तीन (3)** शिकायतों का समर्थन किया गया, जबकि **दो (2)** को गुण–दोष के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। **तीन (3)** मामलों में संबद्ध प्राधिकारियों ने शिकायतकर्ता पक्षों की शिकायतों का निवारण किया और **तीन (3)** को न्यायाधीन होने एवं वापस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया। नीचे दिया गया आलेख स्थिति को और स्पष्ट करता है।

प्रेस को सुविधायें

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 11

क.	अनुमोदित	3
ख.	अस्वीकृत	2
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधन	3
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/निराधार होने के कारण बंद	3

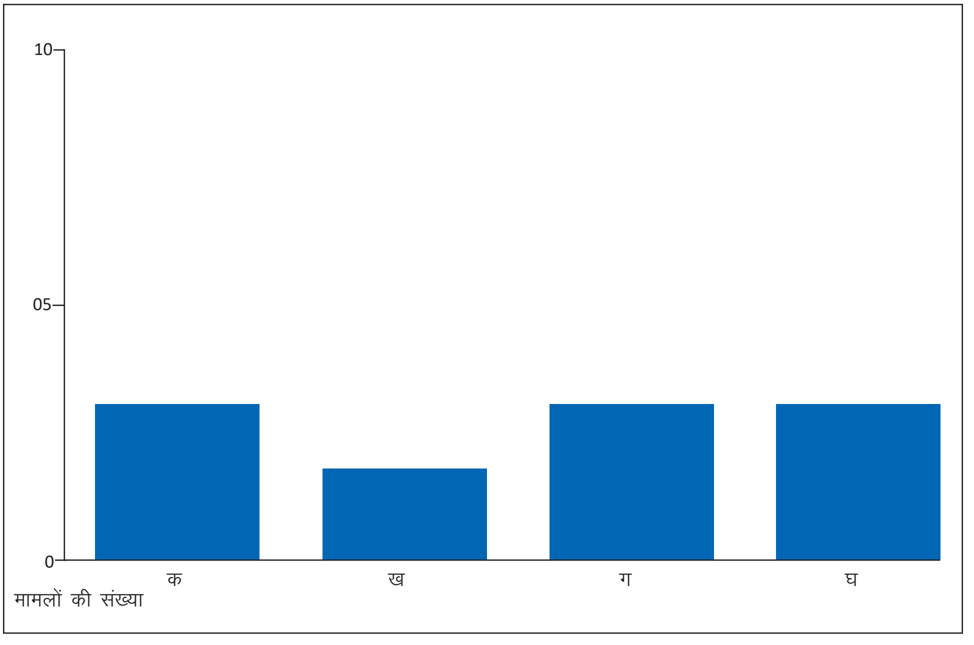

प्रेस की स्वंतत्रता के उल्लंधन के संबंध में स्व–प्रेरणा से कार्रवाई

प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियमन 13 के तहत, प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण और प्रेस के मानकों को बनाए रखने के लिए गंभीर चिंतन के मामलों में, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष स्व–प्रेरणा से संज्ञान लेने की शक्ति का प्रयोग करते हैं, और प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 और 14 के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में या उनसे संबंधित मामलों में, जैसा भी मामला हो, नोटिस जारी करते हैं या कार्रवाई करते हैं।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान, इस श्रेणी में आने वाले **सात (7)** न्यायनिर्णय उन विशिष्ट साधनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका उपयोग प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए किया जा सकता है। **दो (2)** का समर्थन किया गया जबकि **तीन (3)** मामलों में कार्रवाई बंद कर दी गई। **दो (2)** मामलों को न्यायनिर्णयों में परिषद द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित न होने के कारण ख़ारिज़ कर दिया गया। निम्नलिखित आलेख इस स्थिति को स्पष्ट करता है।

प्रेस की स्वंतत्रता के उल्लंधन के संबंध में स्व–प्रेरणा से कार्रवाई

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 7

क.	अनुमोदित	2
ख.	कार्रवाई बंद	3
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधन	0
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/ न्यायाधीन/निराधार होने के कारण बंद	2

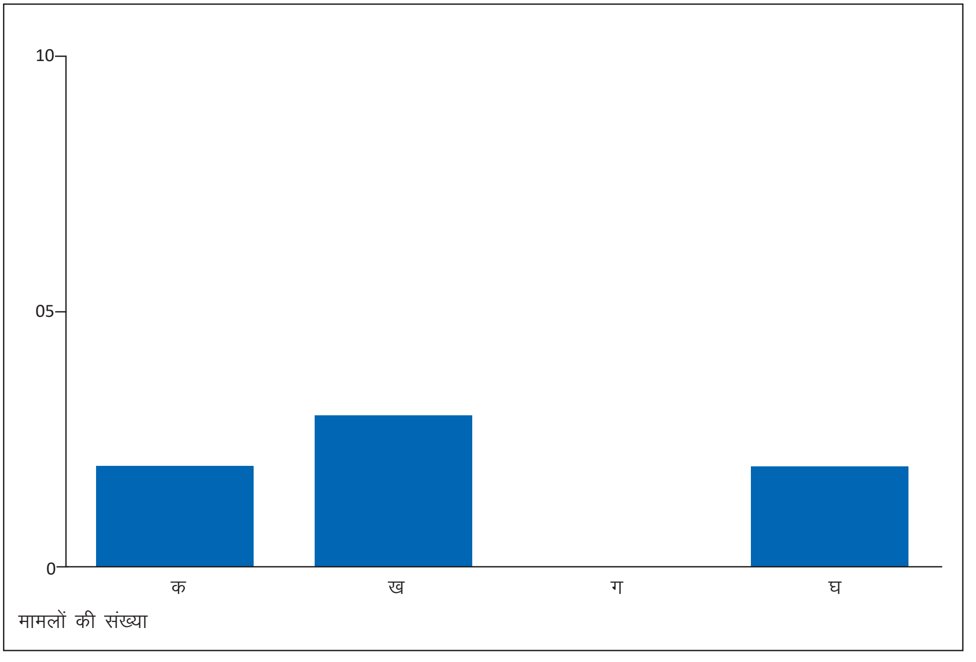

अध्याय–VII

प्रेस के विरूद्ध दर्ज़ मामलों में दिए गए न्यायनिर्णयों का सांख्यिकीय विश्लेषण

पिछले अध्याय में हमने, प्राधिकारियों और अन्य लोगों द्वारा समाचारपत्रों को अपने पक्ष में करने के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न दबाव युक्तियों का अवलोकन किया है। लेकिन यह समग्र तस्वीर का मात्र एक पहलू है। प्रेस के कुछ वर्ग अक्सर स्वयं ही अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं, जो उच्च पत्रकारिता के विपरीत हैं।

प्रेस मानकों में गिरावट को रोकना और पत्रकारिता–नीति को बनाए रखना और उसके विकास को बढ़ावा देना, भारतीय प्रेस परिषद का प्रमुख दायित्व है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु, परिषद प्रेस के कर्तव्यों के प्रति उसका मार्गदर्शन करने के लिए, न्यायनिर्णयों के माध्यम से आचार संहिता का निर्माण करती है। परिषद के समक्ष दर्ज की गई शिकायतों के आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि कुल शिकायतों का एक बड़ा हिस्सा प्रेस के खिलाफ था।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद को प्रेस के विरूद्ध **885** शिकायतें प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के **427** मामले लंबित थे। अतः समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रेस के विरूद्ध परिषद को कुल मिलाकर **1312** शिकायतों पर विचार करना था। इनमें से, **65** मामलों का न्यायनिर्णयों के ज़रिये निपटान किया गया, **446** मामले दोनों पक्षों की संतुष्टि से निपटाये जाने या कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार की कमी या अनभियोजन आदि के कारण शिकायतों को खारिज किये जाने के कारण प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त कर दिये गये। अतः समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के अंत में इस श्रेणी में **801** मामले लंबित थे। निम्नलिखित आलेख प्रतिवादियों, शिकायतकर्ताओं और राज्यों की श्रेणियों को दर्शाता है।

शिकायतकर्ताओं की श्रेणियां

क. सरकारी प्राधिकरण / सरकारी अधिकारी	45%
ख. संस्थान / निजी कंपनियां / समाचारपत्र संघ	37%
ग. गैर सरकारी व्यक्ति	15%
घ. स्व–प्रेरणा से कार्रवाई	3%

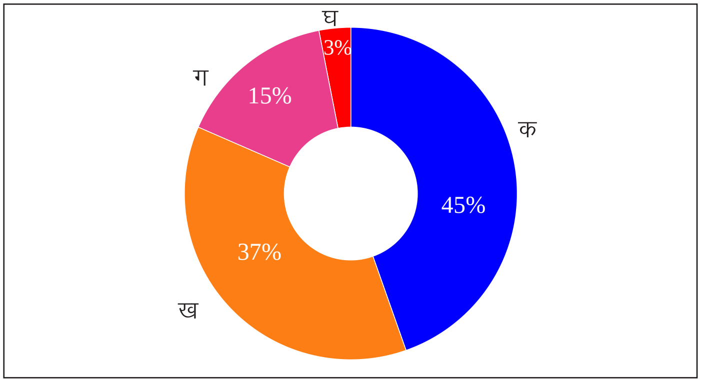

प्रतिवादियों की श्रेणियां

क अंग्रेजी प्रेस	9%
ख भारतीय भाषायी प्रेस	91%

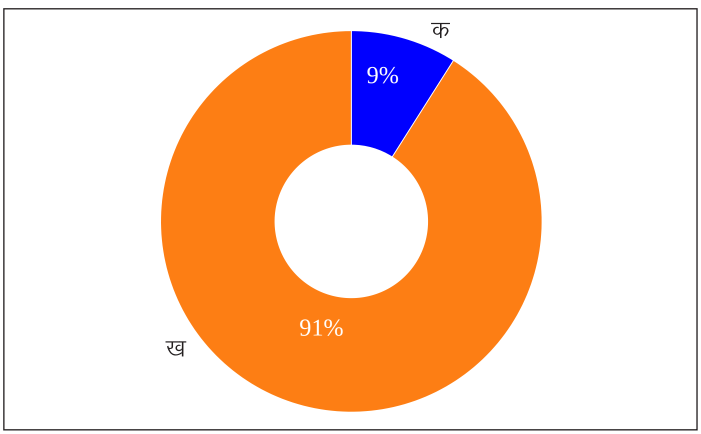

प्रतिवादी प्रकाशनों का राज्यवार विवरण

संक्षिप्तियों का विवरण

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 65

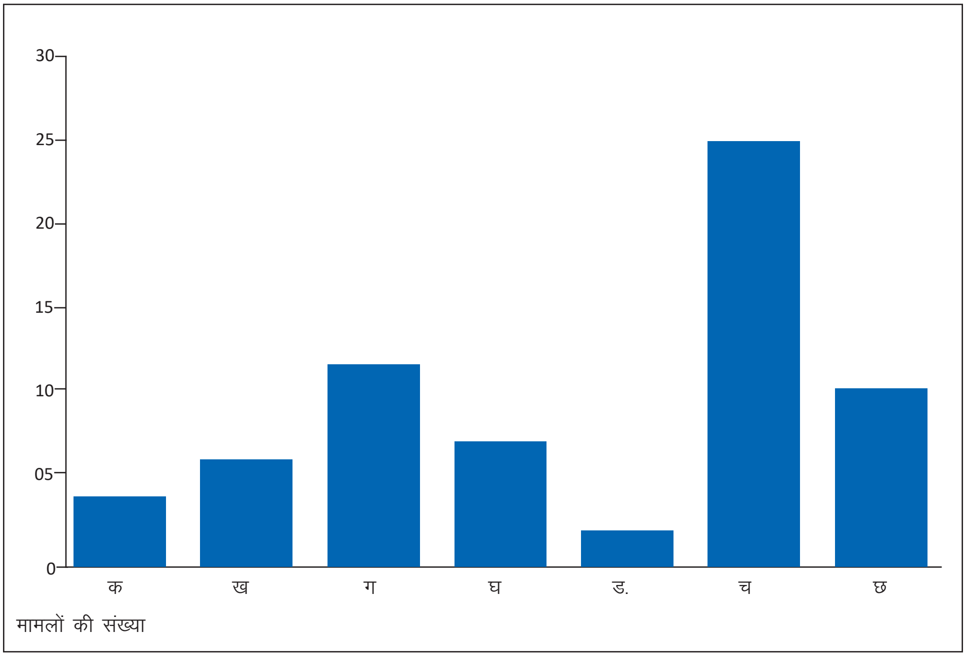

संक्षिप्तियों का विवरण

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 65

क.	दिल्ली	4
ख.	गुज़रात	6
ग.	मध्य प्रदेश	11
घ.	महाराष्ट्र	7
ड.	पंजाब	2
च.	राजस्थान	25
छ.	उत्तर प्रदेश	10

सिद्धांत और प्रकाशन

कई बार समाचारपत्र झूठी कहानियां या लेख प्रकाशित करते हैं, जिससे लोगों की या सार्वजनिक हस्तियों और संगठनों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है और अक्सर समाचारपत्र तक पहुंचना संभव नहीं होता है या समाचारपत्र, उन व्यक्तियों, जिनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, द्वारा दिये गए शुद्धिपत्र या प्रत्युत्तर को प्रकाशित करने के इच्छुक नहीं होते।

ऐसी कई अन्य सामान्य आचार नीतियां हैं, जो प्रेस को कार्रवाई करने में और पाठकों के प्रति उनके रवैये के लिए मार्गदर्शन करती हैं। इनके कथित उल्लंघन के कारण पाठक अपनी शिकायतों के निवारण के लिए परिषद का रुख करते हैं। अपनी सांविधिक ज़िम्मेदारी को निभाते हुए, प्रेस परिषद ने, कई वर्षों में भिन्न–भिन्न मामलों के आधार पर अपने न्यायनिर्णयों व मार्गदर्शी सिद्धांतों के जरिये पत्रकारिता के आचरण के मानक विकसित किये हैं। परिषद का इन न्यायनिर्णयों के जरिये यही प्रयास रहा है कि वह उस विश्वास, आदर व गरिमा को बनाए रखने में प्रेस की सहायता कर सके, जिसके वह योग्य है।

परिषद को पत्रकारिता नीति के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें मिलीं। इस वर्ष जिन **दस (10)** मामलों पर निर्णय दिया गया, उन मामलों में सामान्य नियमों के उल्लंघन के आरोप थे, लेकिन उनमें से अधिकतर में, शिकायतकर्ताओं ने अपने वर्तन को प्रतिवादी समाचारपत्रों में प्रकाशित किए जाने के अधिकार पर जोर दिया। इन शिकायतों में से **छह (6)** को आरोपों की पुष्टि न होने के कारण, अस्वीकार कर दिया गया, जबकि **चार (4)** को अनिवार्य अपेक्षा के अनुपालन में दोषपूर्ण होने, वापस लेने आदि के कारण खारिज कर दिया गया। निम्नलिखित आलेख स्थिति को दर्शाता है।

सिद्धांत और प्रकाशन

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 10

क.	अनुमोदित	0
ख.	अस्वीकृत	6
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधन	0
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/ न्यायाधीन/निराधार होने के कारण बंद	4

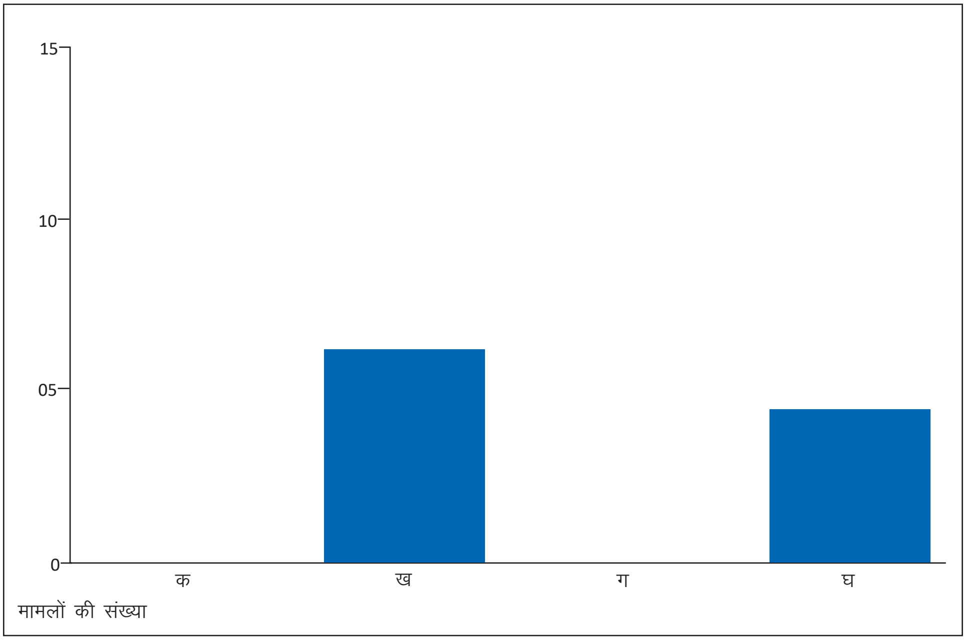

प्रेस और मानहानि

किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा एक अमूल्य रत्न है, जिसे व्यक्ति को लंबे समय तक कड़ी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्य करके एवं प्रयासों द्वारा अर्जित करना और प्राप्त करना होता है और कई मामलों में यह जीवन भर की उपलब्धि भी हो सकती है। जब बेईमानी और अनुचित तरीकों से प्रतिष्ठा को धूमिल करने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो पीड़ित व्यक्ति जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो सकता है और उसे ऐसी मानसिक पीड़ा और यातना का सामना करना पड़ता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खंडन या क्षमायाचना या यहां तक कि कानून द्वारा उचित दंड भी इसकी पर्याप्त भरपाई नहीं कर सकता। आम तौर पर प्रेस से अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी व्यक्ति के जीवन की निजता में दखल न दे और किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन और घर की शांति, खुशी और शांत वातावरण को भंग न करे।

निस्संदेह, सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट करने के लिए प्रेस स्वतंत्र है, और कुछ परिस्थितियों में, यह तर्क भी दिया जा सकता है कि यह उनका दायित्व है। हालांकि, जहां कोई सार्वजनिक हित शामिल नहीं है, उस स्थिति में एक गैर–सरकारी नागरिक के खिलाफ अपमानजनक, मिथ्या और मानहानिजनक सामग्री प्रकाशित करने के लिए, सत्य कहना, बचाव नहीं है। प्रेस का कर्तव्य, विवेक और अधिकार है कि वह पाठकों का ध्यान, संदिग्ध पूर्ववृत और संदेहास्पद चरित्र वाले नागरिकों की ओर आकृष्ट करके जनहित में सेवा करे, लेकिन जिम्मेदार पत्रकारों के रूप में उन्हें किसी भी व्यक्ति को 'धोखेबाज' या 'हत्यारे' आदि के रूप में दर्शाने में अपनी राय या निष्कर्ष का जोखिम लेने में डालने में उचित संयम और सावधानी बरतनी चाहिए। प्रेस को यह याद रखना चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो चौथे स्तंभ को प्रदान की जाती है, वह उस पर एक जिम्मेदारी भी डालती है। समाचारपत्रों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे इस स्वतन्त्रता का प्रयोग, पहले स्वयं ही साक्ष्य उत्पन्न करने और बाद में अपनी पत्रिका में झूठा प्रचार करने के माध्यम के रूप में उन्हीं साक्ष्यों का उपयोग करें।

शिकायत की इस श्रेणी में **पच्चीस (25)** परिणामों में से **चार (4)** शिकायतों का समर्थन किया गया और **पांच (5)** आरोपों को खारिज कर दिया गया। **चार (4)** शिकायतों में, दोनों पक्ष के बीच मामले का समाधान हो गया, जबकि **बारह (12)** शिकायतों पर परिषद द्वारा कार्रवाई बंद कर दी गई जब यह निर्णय लिया गया कि उनमें आगे कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं थी या इसमें शामिल पक्ष अब मुद्दों को लेकर दबाव नहीं डाल रहे थे, या पर्याप्त आधार की कमी थी या मामले न्यायाधीन थे। निम्नलिखित आलेख स्थिति को स्पष्ट करता है।

प्रेस और मानहानि

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 25

क.	अनुमोदित	4
ख.	अस्वीकृत	5
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधन	4
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/निराधार होने के कारण बंद	12

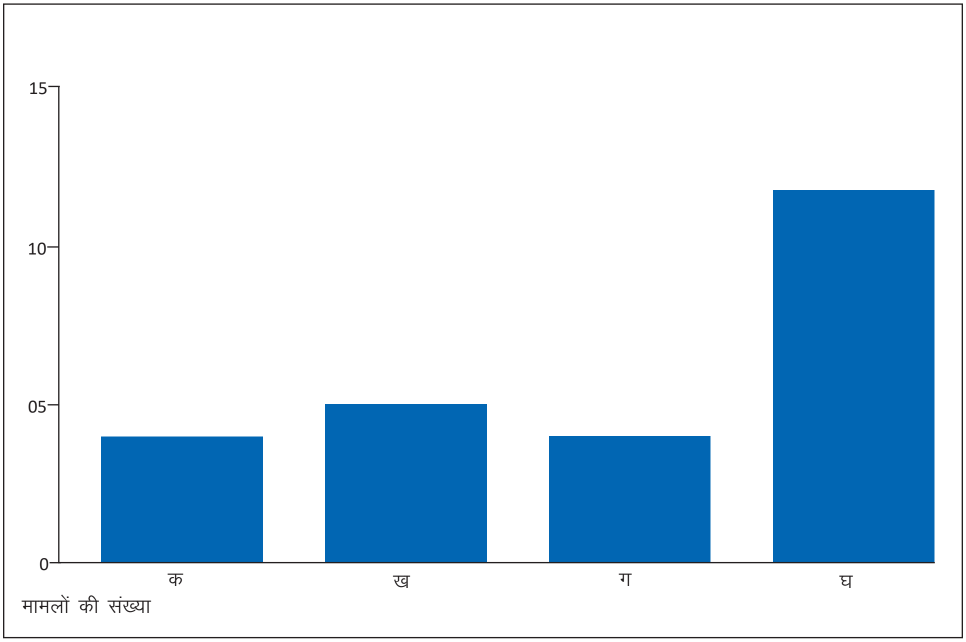

प्रेस और नैतिकता

मीडिया एक अद्वितीय भूमिका निभाता है और अन्य व्यवसायों तथा उद्योगों से अलग है। इस नाते, मीडिया के कर्तव्यों में से एक है– हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करना एवं उन्हें बढ़ावा देना। वैश्वीकरण और उदारीकरण, मीडिया को सामाजिक मूल्यों को कम करने तथा मीडिया की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की छूट नहीं देते हैं। कुछ प्रेस आउटलेट्स आक्रामक छवियों और निबंध, जोकि किसी भी प्रकार से जनहित में नहीं हैं, प्रकाशित करके पश्चिमी सभ्यता की नकल कर रहे हैं। इसके विपरीत, ऐसे प्रकाशन किशोरों के विचारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।

चार (4) मामलों में, परिषद ने प्रेस की नैतिकता के प्रश्न पर न्यायनिर्णय दिया। जबकि **दो (2)** मामलों को योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया था और **दो (2)** मामलों पर परिषद द्वारा कार्रवाई बंद कर दी गई जब यह निर्णय लिया गया कि उनमें आगे कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं थी या इसमें शामिल पक्ष अब मुद्दों को लेकर दबाव नहीं डाल रहे थे, या पर्याप्त आधार की कमी थी या मामले न्यायाधीन थे। आलेख स्थिति को दर्शाता है।

प्रेस और नैतिकता

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 4

क.	अनुमोदित	0
ख.	अस्वीकृत	2
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधन	0
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/निराधार होने के कारण बंद	2

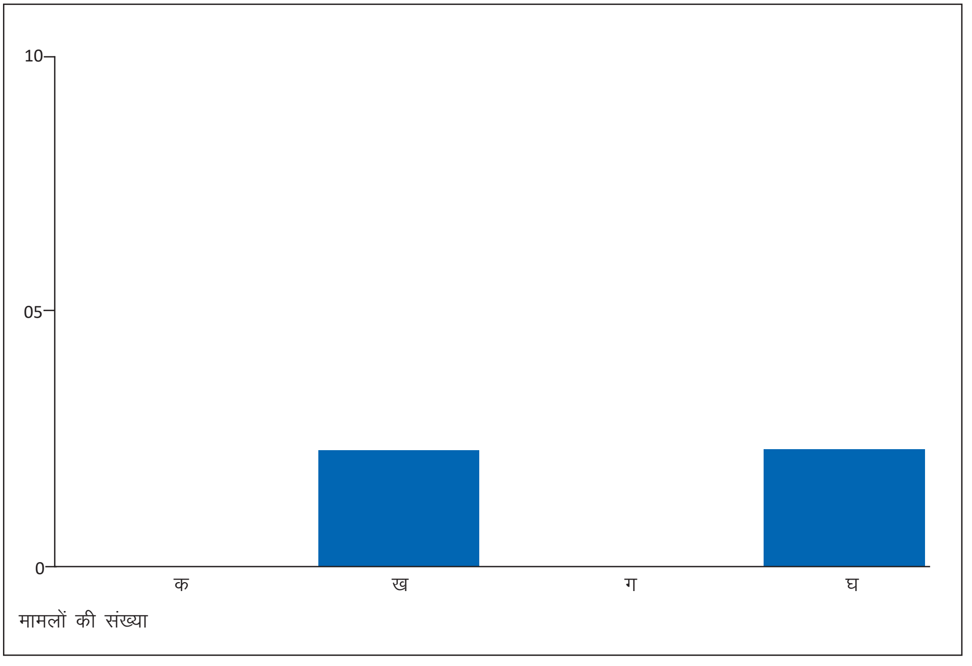

पेड समाचार

पेड समाचार से अभिप्राय ऐसे शब्दों से है, जो मीडिया दिखाई देते हुए, लगातार अपना सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, या जो प्रकाशन से पूर्व, प्रकाशन के समय या प्रकाशन के पश्चात, प्राप्त भुगतान के बदले में, किसी भी प्रकार से मीडिया कवरेज से हटा दिये जायें। इस गुप्त वित्तीय लेन–देन को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण पाना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसका सौदा धोखे से किया गया। हालांकि, स्पष्ट आंकड़े न होने पर, ठोस परिस्थितिजन्य साक्ष्य से खरीदे गए समाचार के प्रचलन का निष्कर्ष निकालना अभी भी संभव है।

चुनाव के समय, पेड समाचार क्रिया के तीन आयाम होते हैं, पहला है–पाठक या दर्शक को उस उम्मीदवार के व्यक्तित्व या कार्य की सही तस्वीर नहीं मिलती है जिसके पक्ष में या जिसके खिलाफ वह अपना वोट डालने का फैसला करता है। यह लोकतंत्र के मूल तत्व को नष्ट कर देता है, दूसरा है–चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार शायद इसे चुनाव के खर्च खाते में नहीं दिखाते हैं, जिससे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का उल्लंघन होता है और अंत में वे समाचारपत्र हैं, जिन्होंने नकद रकम ली लेकिन अपने आधिकारिक लेखा–विवरण में इसका खुलासा न करके, कंपनी अधिनियम, 1956 के साथ–साथ आयकर अधिनियम, 1961 के अलावा अन्य कानूनों का भी उल्लंघन किया है। हालांकि, प्रेस पर जनता के विश्वास और भरोसे की कीमत पर पत्रकारिता की नैतिकता एवं आचार से समझौता किया जाता है।

परिषद ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान, इस प्रकार की शिकायतों के संबंध में न्यायनिर्णय दिए। **चौबीस (24)** में से **चार (4)** शिकायतों का समर्थन किया गया, जबकि **बीस (20)** शिकायतों पर परिषद द्वारा कार्रवाई बंद कर दी गई जब यह निर्णय लिया गया कि उनमें आगे कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं थी या इसमें शामिल पक्ष अब मुद्दों को लेकर दबाव नहीं डाल रहे थे, या पर्याप्त आधार की कमी थी या मामले न्यायाधीन थे। स्थिति को चित्र की सहायता से स्पष्ट किया गया है।

पेड समाचार

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 24

क.	अनुमोदित	4
ख.	अस्वीकृत	0
ग.	आश्वासन / निपटान / संशोधन	0
घ.	जारी न रखने / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / निराधार होने के कारण बंद	20

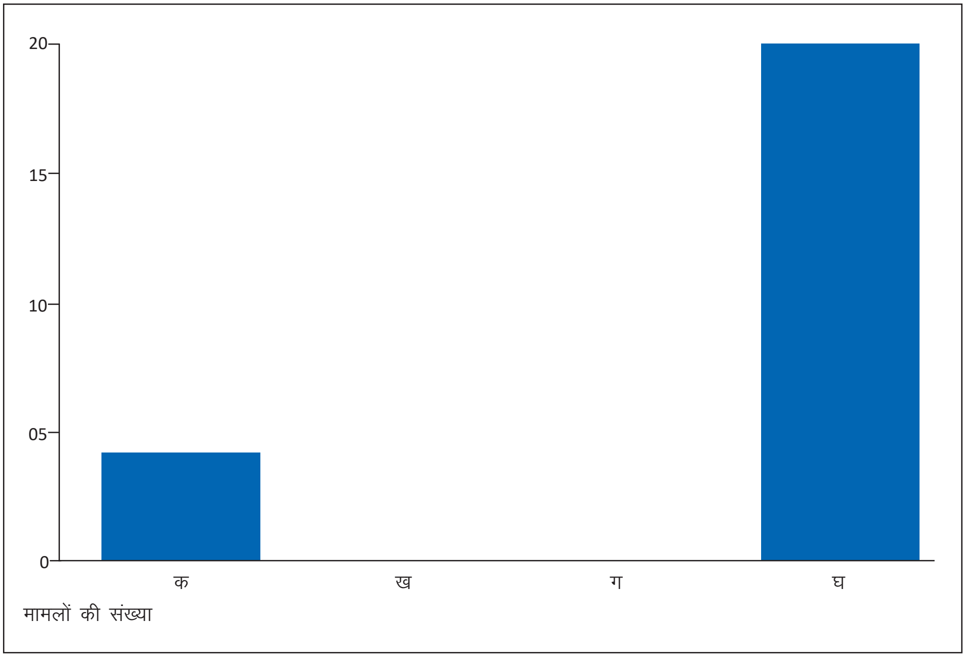

स्व–प्रेरणा से कार्रवाई– प्रेस के विरूद्ध

परिषद, प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 14(1) या धारा 13 से सम्बद्ध या इनके अंतर्गत आने वाले किसी मामले के संबंध में स्व–प्रेरणा से संज्ञान लेती है और नोटिस जारी करती है या सम्बद्ध मामले के अनुसार कार्रवाई करती है। तत्पश्चात् विनियम 3 के अंतर्गत शिकायत दर्ज किये जाने की तरह जांच विनियम 5 से आगे निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

स्व–प्रेरणा से कार्रवाई यह पता लगाने के लिए की जाती है कि क्या एक समाचारपत्र या समाचार संगठन ने पत्रकारिता नीति के मानकों या लोक रूचि का उल्लंघन किया है या कि एक संपादक या श्रमजीवी पत्रकार ने नीतिविरोधी व्यवहार किया है या सरकार द्वारा उनकी स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी गयी है।

इस संबंध में, इस वित्तीय वर्ष के दौरान, परिषद ने **दो (2)** मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया और विचार करने के बाद उनपर कार्रवाई बंद कर दी गई। स्थिति को आलेख की सहायता से स्पष्टतः प्रस्तुत किया गया है।

स्व–प्रेरणा से कार्रवाई

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 2

क.	अनुमोदित	0
ख.	अस्वीकृत	2
ग.	आश्वासन / निपटान / संशोधन	0
घ.	जारी न रखने / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / निराधार होने के कारण बंद	0

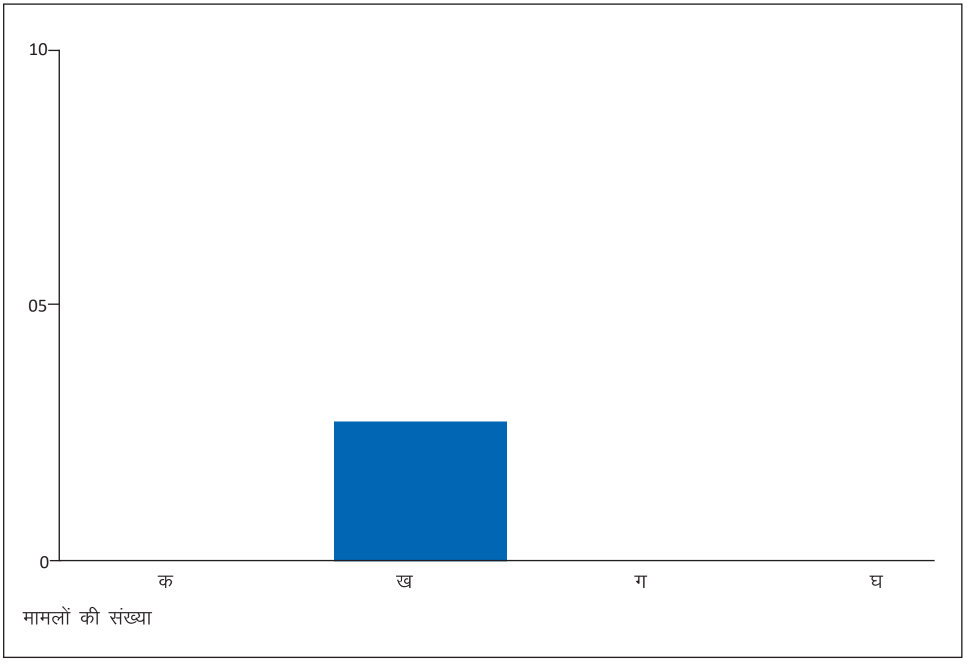

अध्याय–VIII
परिषद का वित्त 2021–2022

परिषद की निधि के मुख्य स्त्रोत हैं:– (i) भारतीय समाचारपत्र रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं पर तथा समाचार एजेंसियों पर परिषद द्वारा लगाया गया शुल्क और अन्य विविध प्राप्तियां यथा जमा राशि पर ब्याज आदि और (ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए परिषद का बजट अनुमान, जैसाकि केंद्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 में फ़रवरी 2021 में स्वीकृत किया गया था, 2000.00 लाख रूपये था। वर्ष 2021–22 हेतु अनुमानों में परिशोधन करके केंद्र सरकार ने 1302.00 लाख रूपये (सहायता अनुदान) स्वीकार किये जिसमें अनुमानित 236.83 लाख रूपये की परिषद की राजस्व आवतियां शामिल हैं।

परिषद ने वर्ष 2021–22 में केंद्र सरकार से 1301.00 लाख रूपये (सहायता अनुदान के रूप में 11,84,50,292.00 रू० + पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि के रूप में 1,16,21,328 रू०) का कुल सहायता अनुदान प्राप्त किया जबकि परिषद ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समाचारपत्रों/पत्रिकाओं व समाचार एजेंसियों पर लगाये गए शुल्क और अन्य विविध प्राप्तियों यथा बैंक खाते पर ब्याज, बैंक मे एफ०डी०आर० पर ब्याज इत्यादि से 274.43 लाख रू० एकत्रित किये। इसमें से 195.87 लाख रूपये लेवी शुल्क से प्राप्त हुए और 78.56 लाख रूपये समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अन्य विविध प्राप्तियों, जैसे बैंक खाते पर ब्याज, बैंक में एफडीआर पर ब्याज इत्यादि से प्राप्त हुए।

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 22 में यह प्रावधान है कि भारतीय प्रेस परिषद के लेखे उस विधि से रखे और लेखा परीक्षित किए जाएंगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्धारित की जाए। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भारतीय प्रेस परिषद के वार्षिक लेखे उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार रखे गए थे। लेखा परीक्षा महानिदेशक, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली के लेखा परीक्षा दल ने उनकी लेखा परीक्षा करके प्रमाणित किया है कि वे उनसे संतुष्ट हैं।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय प्रेस परिषद के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

हमने प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 22 के साथ पठनीय नियंत्रक और महा–लेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत उस तिथि तक भारतीय प्रेस परिषद (परिषद) के संलग्न तुलनपत्र और आय तथा व्यय लेखे/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखों की 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण परिषद प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों के अनुरूप, लेखा स्तरों और मानकों का प्रकटीकरण आदि के संबंध में लेखा विवेचन पर ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां हैं। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता–सह–निष्पादन के पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा टिप्पणी, यदि कोई हो, की निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती है।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानको में अपेक्षित है कि वित्तीय विवरण गलत विवरण से मुक्त है अथवा नहीं, के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखा परीक्षा की योजना एवं निष्पादन करें। लेखा परीक्षा में जांच आधार पर वित्तीय विवरणों के प्रकटन और राशि के समर्थन में साक्ष्य का परीक्षण सम्मिलित है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमान के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए समुचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हमारा प्रतिवेदन है कि:

i. हमने सारी सूचना और स्पष्टीकरण, जोकि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे, प्राप्त कर लिये हैं;

ii. तुलन पत्र, आय और व्यय लेखे/प्राप्तियां और भुगतान लेखे जिनका इस रिपोर्ट से संबंध है, को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट में तैयार किया गया है।

iii. हमारी राय में, जहां तक इन बहियों के हमारे परीक्षण से दृष्टिगोचर होता है, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 19 एवं 20 के अनुसार भारतीय प्रेस परिषद द्वारा समुचित खाता बहियां और अन्य संबंधित रिकार्ड रखे गये हैं।

iv. हमारा आगे प्रतिवेदन है किः

क सामान्य

क.1 85.21 लाख रुपये की राशि को "उगाही शुल्क उचंत" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। पीसीआई को इस राशि का मूल अभिलेखों से समाधान करने और सस्पेंस खाते का जल्द से जल्द निपटान करने की जरूरत है। पिछले वर्ष के दौरान भी यह चिन्हित किया गया था, तथापि परिषद द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

क.2 1990–91 से 2021–22 तक अनुसूची–6 (विविध देनदारों के रूप में वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि) के तहत 'लेवी शुल्क के कारण' (6 महीने से अधिक समय से) के अंतर्गत 14.58 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। इसमें से 95.32 लाख रू. की राशि 1990–91 से 2017–18 की अवधि के लिए लंबित थी। इन लंबे समय से लंबित अग्रिमों की समीक्षा की जानी चाहिए और उपयुक्त प्रावधान किए जाने चाहिए या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इस राशि को बट्टे खाते डाल दिया जाना चाहिए।

क.3 पीसीआई ने 2021–22 के दौरान जीवनांकिक आधार पर सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए प्रावधान नहीं किया है जो कि आईसीएआई द्वारा जारी एएस 15 और एकरूप लेखा फॉर्मेट का उल्लंघन है।

ख सहायता अनुदान

भारतीय प्रेस परिषद के संबंध में, वर्ष 2021–22 के लिए प्राप्त सहायता अनुदान और उसका उपयोग संबंधी विवरण नीचे दिया गया हैः

(रु॰ लाख में)

विवरण	***राशि***
पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि	116.21
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान	1,184.50
वर्ष के दौरान आंतरिक प्राप्तियां	274.43
कुल उपलब्ध निधि	1,575.14
वर्ष के दौरान व्यय	1,376.49
अव्ययित शेष राशि	**198.65**

इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2021—22 के अंत में, 1.99 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि है।

ग प्रबंधन पत्र :

जिन कमियों को ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से परिषद के ध्यान में लाया गया है ।

v. पूर्व अनुच्छेद में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हमारा प्रतिवेदन है कि तुलनपत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, जिनका संबंध इस रिपोर्ट से था, खाता बहियों के अनुरूप हैं ।

vi. हमारी राय और सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कथित वित्तीय विवरण जोकि लेखा नीतियों तथा लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठनीय है और उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखा—परीक्षा प्रतिवेदन के संलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन हैं, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित पक्ष रखते हैं।

(क) जहां तक इसका संबंध 31 मार्च, 2022 को भारतीय प्रेस परिषद के कार्य के तुलनपत्र से है, तथा

(ख) जहां तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए अधिशेष के आय एवं व्यय लेखे से है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हेतु और उनकी ओर से

ह0/—
लेखापरीक्षा महानिदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 07.10.2022

संलग्नक

1. **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**

परिषद की अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा नहीं है। परिषद की आंतरिक लेखा परीक्षा 2017–18 से 2020–21 की अवधि के लिए मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई थी।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तताः**

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित कारणों से सुदृढ़ करने की आवश्यकता हैः

- सांविधिक ऑडिट आपत्तियों के लिए प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं है क्योंकि 2008 से 2021 की अवधि के लिए बाह्य ऑडिट (सीएण्डएजी) के 21 ऑडिट पैरा और आंतरिक ऑडिट के 2017–21 की अवधि के 13 लेखापरीक्षा पैरा अभी भी बकाया हैं।
- जोखिम निर्धारण और प्रबंधन सूचना प्रणाली, जोकि परिषद की निर्विघ्न कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक हैं, परिषद में नहीं पाए गए।
- परिसंपत्ति संबंधी रजिस्टर निर्धारित फॉर्मेट में नहीं बनाया गया।
- वर्ष के दौरान नियत परिसंपत्तियों और वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया।

3. **परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली**

नियत परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष 2020–21 तक किया गया था।

4. **वस्तुसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली**

पुस्तकों और प्रकाशनों, स्टेशनरी एवं अन्य उपभोज्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष 2020–21 तक किया गया था।

5. **देय राशि के भुगतान में नियमितता**

लेखा बही के अनुसार 31.03.2022 को सांविधिक देयता के संबंध में छह महीनों से अधिक भुगतान बकाया नहीं था।

तुलन पत्र

31 मार्च 2022 तक

भारतीय प्रेस परिषद
31 मार्च, 2022 तक का तुलन पत्र

	अनुससूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
देयता			
पूंजीगत निधि	1	21,05,28,861	15,97,83,552
अंशदायी भविष्य निधि	2	7,72,91,273	7,56,42,517
वर्तमान देयता और प्रावधान	3	3,73,03,696	2,43,69,337
कुल		**32,51,23,830**	**25,97,95,406**
परिसम्पत्ति			
नियत परिसम्पत्ति	4	6,05,77,805	1,11,21,474
निवेश–उदिद्ष्ट निधि	5	7,64,34,638	7,56,69,906
वर्तमान परिसम्पत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	6	18,81,11,387	17,30,04,026
कुल		**32,51,23,830**	**25,97,95,406**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	13		
आकस्मिक देयता और लेखा टिप्पणियां	14		

ह0/–
अनुपमा भटनागर
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
लेवी शुल्क एवं अन्य से आय	7	2,41,65,144	3,10,27,608
सरकार से अनुदान	8	5,38,21,586	6,07,88,821
अर्जित ब्याज	9	49,84,188	51,91,830
कुल (क)		**8,29,70,918**	**9,70,08,259**
व्यय			
स्थापना व्यय	10	6,67,97,278	6,22,16,637
अन्य प्रशासनिक व्यय	11	1,44,52,252	1,97,10,262
वित्त खर्च	12	2,986	-
मूल्यह्रास	4	18,01,885	17,58,879
कुल (ख)		**8,30,54,401**	**8,36,85,778**
– पूर्व अवधि समायोजन जमा (नामे)		(5,08,129)	51,376
– आय के व्यय से अधिक होने के कारण शेष राशि (क–ख)		(83,483)	1,33,22,481
– सामान्य रिजर्व में/से अंतरण		-	-
अधिशेष/(घाटा) तुलन पत्र में ले जाया गया		(5,91,612)	1,33,73,857
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	13		
आकस्मिक देयता और लेखा टिप्पणियां	14		

ह0/–
अनुपमा भटनागर
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2022 के तुलन पत्र का अंग हैं

<u>अनुसूची 1–पूंजी निधि</u>

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. पूंजी निधि				
वर्ष के आरंभ में शेष	2,54,03,830		2,24,65,379	
जोड़े : वर्ष के दौरान पूंजीकृत निधि	5,13,36,921		29,38,451	
	7,67,40,751		2,54,03,830	
घटाएंः अनुपयोगी घोषित परिसंपत्तियों पर बट्टे खाते डाली गई राशि	-	7,67,40,751	-	2,54,03,830
ख. आय और व्यय लेखाः				
वर्ष के आरंभ में शेष	13,43,79,722		12,10,05,866	
जोड़ें/(घटाएं) अन्य समायोजन	(5,91,612)		1,33,73,857	
		13,37,88,110		13,43,79,722
योग		**21,05,28,861**		**15,97,83,552**

ह0/–
अनुपमा भटनागर
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2022 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 2 – सी.पी.एफ. निधि

	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क)	निधि का अथ शेष		7,56,42,517		7,79,40,993
ख)	निधि में वृद्धि				
i.	सी.पी.एफ. में परिषद का योगदान	17,59,649		19,62,730	
ii.	सी.पी.एफ. अग्रिम वसूली	-		-	
iii	सी.पी.एफ. में कर्मचारियों का योगदान	66,92,180		82,84,810	
iv	सी.पी.एफ. निधि पर ब्याज - कर्मचारियों का योगदान	31,36,981		34,54,387	
v	सी.पी.एफ. निधि पर ब्याज –	19,10,689		17,55,264	
	परिषद का योगदान–	-	1,34,99,499	-	1,54,57,191
vi	एनपीएस में परिषद का योगदान (सेवाभार ग्रहण करने से लेकर 31.3.2021 तक की विभेदक राशि)				
योग (क+ख)			**8,91,42,016**		**9,33,98,184**
ग)	निधि के उद्देश्यों पर उपयोग/व्यय सी.पी.एफ. प्रत्याहरण	(39,46,300)		(3,00,000)	
	सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को अंतिम भुगतान	(89,41,467)		(1,71,18,047)	
	वसूल किए गए/(भुगतान किए गए) सीपीएफ अग्रिम	5,74,498		(3,37,620)	
	पूर्व अवधि समायोजन	4,62,526		-	
	एनपीएस में अंतरण		**(1,18,50,743)**	-	**(1,77,55,667)**
वर्ष के अंत में निधि का निवल शेष (क+ ख+ग)			**7,72,91,273**		**7,56,42,517**

अनुसूची 3–चालू देयताएं और प्रावधान

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	शुल्क की अग्रिम उगाही	22,78,995	20,30,398
2	उगाही शुल्क उचंत	85,20,749	97,10,738
3	प्रतिभूति जमा	75,335	1,20,121
4	अव्ययित अनुदान	1,98,65,443	1,16,21,328
5	अन्य चालू देयताएं	-	-
6	पूर्व कर्मचारी के वारिस को देय	-	7,75,341
7	सांविधिक देय राशि	29,637	-
8	एनपीएस अभिदान	1,17,681	41,390
9	व्यय के लिए प्रावधान	64,15,856	70,021
योग		**3,73,03,696**	**2,43,69,337**

ह0/–
अनुपमा भटनागर
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

अनुसूची: 4
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2022

विवरण	सकल ब्लॉक					
	1.04.2021 को लागत	अथ समायोजन	वर्ष के दौरान वृद्धि			
			180 दिन तक	180 दिन के बाद	वर्ष के दौरान बिक्री/अंतरण	31.3.2022 को लागत
वातानुकूलक और कूलर	29,72,094.00		2,13,416.00	-	4,44,705.40	27,40,804.60
बायोमेट्रिक मशीन	-		-	41,347.00	-	41,347.00
कार और बाइसिकल	25,49,890.70		-	-	-	25,49,890.70
कंप्यूटर/पेरिफ़रल	59,50,302.83		73,815.00	1,73,071.00	60,000.00	61,37,188.83
संगोष्ठी कक्ष			-	-	-	
– सिविल कार्य	21,32,836.00		-	-	-	21,32,836.00
– संगोष्ठी तंत्र	1,97,595.00		-	-	-	1,97,595.00
– इलैकिट्रकल फिटिंग्स एवं फिक्सचर्स	5,09,211.00		-	-	-	5,09,211.00
– फर्नीचर और फिक्सचर्स	5,00,000.00		-	-	-	5,00,000.00
संगोष्ठी तंत्र	27,820.00		-	-	-	27,820.00
ईपीएबीएक्स तंत्र	5,41,485.00		-	-	-	5,41,485.00
फ्रैंकिंग मशीन	67,558.00		-	-	-	67,558.00
फर्नीचर और फ़िक्सचर	60,07,234.86		12,450.00	4,07,380.00	1,51,089.00	62,75,975.86
हीट कन्वैक्टर और हीटर	2,58,195.74		5,060.00	23,730.00	4,082.00	2,82,903.74
पट्टे पर ज़मीन	15,63,767.00		4,86,68,112.00	14,44,335.00	-	5,16,76,214.00
पुस्तकालय की किताबें	10,93,468.46		7,696.00	23,758.00	-	11,24,922.46
मोबाइल फ़ोन	73,021.00		-	-	-	73,021.00
कागज कतरन मशीन	-		-	64,936.00	-	64,936.00
रेफ्रिजरेटर	1,74,675.00		-	-	-	1,74,675.00
सौर वाटर हीटिंग तंत्र	1,10,227.00		-	-	-	1,10,227.00
स्टेबिलाइज़र	52,458.76		-	-	6,297.00	46,161.76
टेप रिकार्डर	18,924.00		-	-	-	18,924.00
टेलीविजन	5,26,059.00		-	-	-	5,26,059.00
जल वितरक	1,18,321.00		-	-	-	1,18,321.00
इंवर्टर और बैट्रियां	13,894.00		-	-	-	13,894.00
जूसर मिक्सर ग्राइंडर	7,000.00		-	-	-	7,000.00
एयर प्यूरीफायर	3,49,289.00		12,896.00	32,419.00	-	3,94,604.00
सीसीटीवी कैमरा (एक्सेसरी सहित)	2,45,135.00		-	-	-	2,45,135.00
वैक्यूम क्लीनर	4,499.00		-	-	-	4,499.00
सेनिटाइज़र डिस्पेंसर	**7,990.00**		**-**	**-**	**-**	**7,990.00**
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	**5,63,922.00**		**-**	**1,32,500.00**	**-**	**6,96,422.00**
योग	**2,66,36,873.35**		**4,89,93,445.00**	**23,43,476.00**	**6,66,173.40**	**7,73,07,620.95**

अनुसूचीः 4
के तुलन पत्र का अंग हैं

मूल्यह्रास दर	मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक		
	31.3.2021 तक	अथ समायोजन	वर्ष हेतु	31.3.2022 तक बेची गई संपत्तियों का मूल्यह्रास	बट्टे खाते	कुल मूल्यह्रास	31.3.2022 को डब्ल्यू डी वी	31.3.2021 को डब्ल्यू डी वी
15.00%	16,34,626.00		2,22,726.00	3,78,664.11	-	14,78,687.89	12,62,116.71	13,37,468.00
15.00%	-		3,101.00	-	-	3,101.00	38,246.00	-
15.00%	15,68,380.00		1,47,227.00	-	-	17,15,607.00	8,34,283.70	9,81,510.70
40.00%	49,29,124.00		4,71,492.00	57,200.64	-	53,43,415.36	7,93,773.47	10,21,178.83
	-							-
15.00%	12,57,462.00		1,31,306.00	-	-	13,88,768.00	7,44,068.00	8,75,374.00
15.00%	98,925.00		14,801.00	-	-	1,13,726.00	83,869.00	98,670.00
10.00%	2,61,123.00		24,809.00	-	-	2,85,932.00	2,23,279.00	2,48,088.00
10.00%	2,19,518.00		28,048.00	-	-	2,47,566.00	2,52,434.00	2,80,482.00
15.00%	27,570.00		38.00	-	-	27,608.00	212.00	250.00
15.00%	4,13,981.00		19,126.00	-	-	4,33,107.00	1,08,378.00	1,27,504.00
15.00%	38,405.00		4,373.00	-	-	42,778.00	24,780.00	29,153.00
10.00%	30,23,983.00		3,19,013.00	1,41,830.48	-	32,01,165.52	30,74,810.34	29,83,251.86
15.00%	1,00,770.00		26,107.00	3,779.05	-	1,23,097.95	1,59,805.79	1,57,425.74
-	-		-	-	-	-	5,16,76,214.00	15,63,767.00
40.00%	10,13,917.46		39,650.00	-	-	10,53,567.46	71,355.00	79,551.00
15.00%	36,304.00		5,508.00	-	-	41,812.00	31,209.00	36,717.00
15.00%	-		4,870.00	-	-	4,870.00	60,066.00	-
15.00%	1,09,619.00		9,758.00	-	-	1,19,377.00	55,298.00	65,056.00
40.00%	1,06,541.00		1,474.00	-	-	1,08,015.00	2,212.00	3,686.00
15.00%	47,345.00		722.00	5,994.48	-	42,072.52	4,089.24	5,113.76
15.00%	9,814.00		1,367.00	-	-	11,181.00	7,743.00	9,110.00
15.00%	3,18,811.00	-	31,087.00	-	-	3,49,898.00	1,76,161.00	2,07,248.00
15.00%	70,652.00		7,150.00	-	-	77,802.00	40,519.00	47,669.00
15.00%	5,635.00		1,239.00	-	-	6,874.00	7,020.00	8,259.00
15.00%	4,361.00		396.00	-	-	4,757.00	2,243.00	2,639.00
15.00%	42,184.00		50,432.00	-	-	92,616.00	3,01,988.00	3,07,105.00
15.00%	62,291.00		27,427.00	-	-	89,718.00	1,55,417.00	1,82,844.00
15.00%	675.00		574.00	-	-	1,249.00	3,250.00	3,824.00
15.00%	**599.00**		**1,109.00**	**-**	**-**	**1,708.00**	**6,282.00**	**7,391.00**
40.00%	**1,12,784.00**		**2,06,955.00**	**-**	**-**	**3,19,739.00**	**3,76,683.00**	**4,51,138.00**
	1,55,15,399.46		**18,01,885.00**	**5,87,468.77**	**-**	**1,67,29,815.69**	**6,05,77,805.26**	**1,11,21,473.89**

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2022 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 5 – निवेश

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
मियादी जमा				
अथ शेष : मूल राशि	7,25,20,384		7,23,42,484	
: प्रोदभूत ब्याज	31,49,522	7,56,69,906	40,74,087	7,64,16,571
जोड़ें : वर्ष के दौरान एफ डी आर में बढ़ोतरी		9,05,28,932		8,65,51,384
: वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	11,41,094		13,54,362	
: वर्ष के दौरान प्रोदभूत ब्याज	28,60,418	40,01,512	31,49,522	45,03,884
घटायें : वर्ष के दौरान भुनाये गये अथवा परिपक्व एफडीआर	7,35,74,220	(9,37,65,712)	7,25,20,384	(9,18,01,933)
योग		**7,64,34,638**		**7,56,69,906**

ह0/–
अनुपमा भटनागर
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2022 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 6 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क.	चालू परिसंपत्तियां:				
1.	*विविध देनदार:*				
	- उगाही शुल्क के कारण (6 महीने के भीतर)	-	-	-	-
	- उगाही शुल्क के कारण (6 महीने से अधिक)	14,57,94,061	14,57,94,061	14,32,30,099	14,32,30,099
2.	*रोकड़ शेष*				
	(डाक टिकटों और अग्रदाय सहित)				
	अग्रदाय लेखा शेष	50,000		50,000	
	डाक टिकटें	23,973	73,973	29,379	79,379
3.	*बैंक शेष:*				
	- अनुसूचित बैंकों के पास:				
	बचत खाते				
	- इलाहाबाद बैंक	97,61,922		53,77,174	
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – सामान्य खाता	1,00,53,521		61,94,155	
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – परिक्रामी खाता	3,72,831		1,79,552	
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – उगाही शुल्क खाता	-		-	
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – सी.पी.एफ. खाता	1,19,28,701	3,21,16,975.67	81,86,998	1,99,37,878.72
	निक्षेप खाते				
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – परिक्रामी खाता	75,05,487		72,52,552	
	पूर्व कर्मचारी लाभार्थियों के लिए एफडीआर				
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – शशि टंडन	-		3,93,479	
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – रमेश गोयल	-		2,18,240	
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – संगीता मलिक	-		60,047	
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – अजय मदान	-	75,05,487	76,209	80,00,527
	योग (क)		**18,54,90,497**		**17,12,47,884**

ह0/–
अनुपमा भटनागर
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2022 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 6 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

	ख. ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां				
1	**स्टाफ को ऋणः**				
	- मनोरंजन एवं आतिथ्य अग्रिम	-		91,261	
	- स्टाफ को विविध व्यय के लिए अग्रिम	24,667		23,468	
	- उत्सव अग्रिम	281		2,08,806	
	- एल.टी.सी. अग्रिम	66,387		12,000	
	- स्टेशनरी सामग्री, डाक की खरीदारी के लिए अग्रिम	-	91,335	-	3,35,535
2	**प्राप्त मूल्य के लिए रोकड़ या जिन्स में वसूल की जाने वाली अन्य राशियां और अग्रिम**				
	- पुस्तकों, पत्रिकाओं के लिए अग्रिम				
	- पार्टियों को अग्रिम	12,62,241		3,28,913	
	- यात्रा भत्ता अग्रिम	6,787		78,686	
	- स्रोत पर काटा गया कर	7,96,148		7,96,148	
			20,65,176		12,03,747
3	**प्रोद्भूत आय**				
	क) परिक्रामी खाते के निक्षेपों पर		4,61,305		1,86,420
	ख) श्रीमती शशि टंडन (पूर्व कर्मी) के निक्षेपों पर		-		13,335
	ग) श्री अजय मदान के निक्षेपों पर		-		2,471
	घ) सुश्री संगीता मलिक के निक्षेपों पर		-		817
	ड.) श्री रमेश गोयल (पूर्व कर्मी) के निक्षेपों पर		-		10,743
4	**विभिन्न विभागों के पास निक्षेप**		3,074		3,074
	योग (ख)		**26,20,890**		**17,56,142**
	योग (क+ख)		**18,81,11,387**		**17,30,04,026**

ह0/–	ह0/–
अनुपमा भटनागर	**रंजना प्रकाश देसाई**
सचिव	अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद	भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2022 के आय एवं व्यय लेखा का अंग हैं

अनुसूची 7–उगाही शुल्क से तथा अन्य आय

	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1	समाचारपत्रों / पत्रिकाओं / समाचार एजेंसियों से प्राप्त कुल उगाही शुल्कः	1,95,87,346		1,60,37,879	
	जोड़ेः पिछले वर्ष के लिए की गई मांग	2,30,92,500		3,05,79,000	
	घटाएं : पिछले वर्षों के लिए प्राप्त शुल्क	(84,31,629)		(32,00,723)	
	घटाएं : चालू वर्ष के लिए प्राप्त शुल्क	(1,01,89,051)		(1,20,25,426)	
	घटाएं : अग्रिम / उचंत / विविध प्राप्त शुल्क	(9,66,666)	2,30,92,500	(8,11,730)	3,05,79,000
2	अन्य (स्पष्ट करें)				
	- स्थायी परिसंपत्ति एवं रद्दी कागज़ की बिक्री पर लाभ	1,42,395		3,905	
	- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना के लिए शुल्क	871		930	
	- स्मारिका में विज्ञापन से आय	-		1,62,600	
	- बट्टे खाते में डाली गई शेष राशि से आय	7,68,442		-	
	- अन्य	1,60,936	10,72,644	2,81,173	4,48,608
	योग		**2,41,65,144**		**3,10,27,608**

ह0 / –
अनुपमा भटनागर
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0 / –
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2022 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 8 – अनुदान

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(प्राप्त अप्रतिसंहरणीय अनुदान और सहायिकी)				
- केंद्र सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय)				
- वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	11,84,50,292		7,87,30,006	
- जोड़ें: पिछले वर्ष का अव्ययित अनुदान	1,16,21,328		18,34,300	
	13,00,71,620		8,05,64,306	
- घटाएं : सी.पी.एफ. निधि पर ब्याज के लिए प्रयुक्त अनुदान	50,47,670		52,15,706	
- घटाएंः स्थिर परिसंपत्तियों के लिए प्रयुक्त अनुदान	5,13,36,921		29,38,451	
- घटाएंः पिछले वर्ष से संबंधित अव्ययित अनुदान लौटाया गया	-		-	
- घटाएंः चालू वर्ष का अव्ययित अनुदान	1,98,65,443	5,38,21,586	1,16,21,328	6,07,88,821
योग		**5,38,21,586**		**6,07,88,821**

अनुससूची 9 – अर्जित ब्याज

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1	**सावधि निक्षेपों पर**				
	क) अनुसूचित बैंकों के पास				
	- सीपीएफ खाता (सामान्य निधि में अंतरित)	39,37,759		44,62,927	
	- परिक्रामी निधि खाता	5,27,820		3,94,746	
	- सामान्य निधि खाता	63,753	45,29,332	40,957	48,98,630
2	**बचत खातों परः**				
	क) अनुसूचित बैंकों के पास				
	- सामान्य निधि खाता	2,66,264		85,686	
	- सीपीएफ खाता (सामान्य निधि में अंतरित)	1,80,357		1,81,683	
	- उगाही शुल्क खाता	-		-	
	- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	8,235	4,54,856	24,618	2,91,987
3	**ऋणों पर**				
	क) कर्मचारी/स्टाफ़				
	- आवास निर्माण अग्रिम		-		1,213
	योग		**49,84,188**		**51,91,830**

ह0/–
अनुपमा भटनागर
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2022 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 10 – स्थापना व्यय

विवरण		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1	वेतन और मजदूरी		5,41,33,581		4,83,85,443
2	वेतन की बकाया राशि		6,11,597		10,68,259
3	समयोपरि भत्ता		-		-
4	ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति		9,85,280		5,74,500
5	चिकित्सा प्रतिपूर्ति		16,60,639		14,75,767
6	एल.टी.सी.		5,16,276		4,53,934
7	अर्जित छुट्टी का नकदीकरण		20,21,831		16,36,317
8	भविष्य निधि में अंशदान		34,39,035		35,74,854
9	स्टाफ़ को प्रशिक्षण		-		-
10	सेवा निवृत्ति लाभ		35,48,178		54,69,056
			6,69,16,417		6,26,38,130
11	घटाएं : स्टाफ़ को उपदान		(1,19,139)		(4,21,493)
योग			**6,67,97,278**		**6,22,16,637**

ह0/–
अनुपमा भटनागर
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2022 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 11 – अन्य प्रशासनिक व्यय

	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1	बिजली और पानी		21,92,057		32,11,468
2	कार्यालय व्यय		25,595		29,690
3	मरम्मत और रखरखाव		41,93,814		47,98,359
4	वाहनों की मरम्मत और रखरखाव		2,74,026		2,67,263
5	यात्रा और परिवहन व्यय		19,54,240		40,41,698
6	किराया, पौर कर और कर		6,41,672		6,66,329
7	डाक टिकट, टेलीफोन और संचार प्रभार		6,64,458		8,84,665
8	मुद्रण और स्टेशनरी		19,47,662		20,12,962
9	समाचारपत्र और पत्रिकाएं		1,63,890		1,38,874
10	हिंदी प्रोत्साहन पुरस्कार		31,157		25,580
11	बीमा		74,430		77,671
12	कानूनी और वृत्तिक प्रभार		3,96,842		1,79,106
13	मनोरंजन		1,58,611		3,09,522
14	प्रदर्शनी और संगोष्ठी		9,20,019		1,73,578
15	अन्य – विविध		16,300		5,348
16	विज्ञापन व्यय		-		16,66,016
17	अन्य व्यय		73,504		4,75,197
18	फ्रैकिंग मशीन की एएमसी		22,066		-
19	भिन्न–भिन्न अनुभागों के लिए अन्य पुस्तकें		11,085		9,698
20	लेवी शुल्क बट्टे खाते		-		44,500
21	कोविड–19 संबंधी व्यय		19,520		47,071
22	वेबसाइट डेवलपमेंट संबंधी खर्च		5,44,636		5,36,304
23	स्वच्छ भारत परियोजना संबंधी व्यय		1,26,668		1,09,364
	योग		**1,44,52,252**		**1,97,10,262**

अनुसूची 12–वित्त प्रभार

	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क)	नियत ऋणों पर		-		-
ख)	अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)		2,986		-
	योग		2,986		-

ह0/–
अनुपमा भटनागर
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद

31.3.2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं की अंश निर्माण संबंधी अनुसूची

अनुसूची 13—महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखा परिपाटी

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी, जब तक कि कोई अन्य विवेचित न की जाए, के आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. लेखा प्रणाली

परिषद लेखा प्रोद्भवन प्रणाली का पालन कर रही है—जब तक कि कोई अन्य विवेचित न की जाए।

3. निवेश

क. अंशदायी भविष्य निधि के विरूद्ध निवेश को उद्दिष्ट निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
ख. परिक्रामी (ऋण एवं अग्रिम) लेखे के विरूद्ध निवेश को वर्तमान परिसंपत्तियां माना गया है।
ग. निवेश को मूलधन मूल्य पर दर्शाया गया है क्योंकि उस पर प्रोद्भूत ब्याज से वृद्धि हुई।

4. नियत परिसंपत्तियां

नियत परिसंपत्तियों को, उन पर ड्यूटी तथा कर सहित अर्जन की मूल्य लागत पर विवेचित किया गया है। अर्जन से संबद्ध अन्य प्रत्यक्ष व्ययों को पूंजी में परिणत नहीं किया गया है।

5. मूल्यह्रास

मूल्यह्रास आयकर नियमों में विहित दरों के अनुसार चार्ज किया जा रहा है। हालांकि निश्चित परिसंपत्ति की बिक्री के मामले में लाभ/हानि, बिक्री के वर्ष में ही स्वतः अंकित हैं।

6. सरकारी अनुदान

(क) सरकारी अनुदान में से एक वर्ष में खर्च हुई राशि के अनुसार हिसाब किया जाता है। प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अव्ययित अनुदान को अलग रख लिया जाता है या वर्ष—प्रति—वर्ष अपनाई गई नीति के अनुसार इसे वर्ष के अंत में सरकार को लौटा दिया जाता है।

(ख) नियत परिसंपत्तियों में जोड़ने के लिए उपयोग किए गए अनुदान को पूजीगत निधि में अंतरित किया गया है।

(ग) अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज के लिए प्रयुक्त अनुदान को अंशदायी भविष्य निधि खाते में अंतरित किया गया है।

7. सेवानिवृत्ति लाभ

(क) सेवानिवृत्ति लाभ का लेखा नकद आधार पर रखा गया है इसलिए देय उपदान, छुट्टी भुनाने आदि का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) वे कर्मचारी, जिनके खाते को एनपीएस में अंतरित कर दिया गया है, के अतिरिक्त परिषद अपने स्वयं के सी.पी.एफ. फंड को संधारित कर रही है।

ह0/—	ह0/—
(अनुपमा भटनागर)	**(रंजना प्रकाश देसाई)**
सचिव	अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद	भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद

31.3.2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं की अंश निर्माण संबंधी अनुसूची

अनुसूची 14– आकस्मिक देयता और लेखाओं पर टिप्पणियां

क. आकस्मिक देयता

परिषद के विरूद्ध दावे की ऋण के रूप में प्राप्ति स्वीकार नहीं की गई है– रूपये शून्य (गत वर्ष शून्य)।

ख. लेखाओं पर टिप्पणियां

1. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम एवं सीपीएफ निधि

क. वर्गीकृत राशियों में विविध देनदारों, पुस्तकों और आवधिकों के लिए अग्रिमों, पक्षों को अग्रिम, परिवहन भत्ता का अग्रिम एवं कर्मचारियों को लोन/की संबद्ध पक्षों/विभागों से पुष्टि नहीं की गई है/समाधान नहीं किया गया है।

ख. परिषद–प्रबंधन की राय में, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों, कर्जों और अग्रिमों का वसूली योग्य मूल्य होता है जोकि कम–से–कम, आमतौर पर व्यवसाय में तुलनपत्र में दर्शायी गई राशि के समान है।

ग. सीपीएफ निधि में शेष राशि और सीपीएफ के लिए तदनुरूपी उद्दिष्ट निवेश का समाधान नहीं किया गया है।

2. कराधान हेतु प्रावधान

यह देखते हुए कि परिषद की आय को कर से मुक्त रखा गया है, कराधान का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है ।

3. आंकड़ों का समूहीकरण

गत वर्ष के समान आंकड़ों का, जहां कहीं आवश्यक हो, पुनरू समूहीकरण/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

4. उगाही शुल्क

(क) उगाही शुल्क उचंत (कुल 85,20,749/– रू.):

उगाही शुल्क उचंत खाता, जिसकी राशि **85,20,749/**– रू. है, उगाही शुल्क से संबंधित है जोकि एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए या सीधे बैंक में जमा कराने से प्राप्त हुए। प्रबंधन के पास इसकी पहचान के लिए कोई विवरण/दस्तावेज़ नहीं हैं। अतः इसे उचंत खाते में रखा गया है तथा पिछले वर्षों में अपनाई गई नीति के अनुसार प्रकाशकों के साथ इसका समाधान होने के बाद ही इसे लेवी शुल्क में जोड़ा जाएगा।

(ख) अग्रिम उगाही शुल्क (कुल 22,78,995/– रू.):

पिछले वर्षों की **13,12,529/–** रू. बकाया राशि के साथ वर्ष के दौरान रिकॉर्ड किया गया इस वर्ष **9,66,466/–**रू. का अग्रिम उगाही शुल्क समाधान के अधीन है । (01 अप्रैल 2021 को रु. **20,30,398/–** रुपये की बकाया राशि मे से रु. **7,17,869/–** रुपये घटा दिये गए हैं, यानी पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान अग्रिम रूप से प्राप्त राशि, चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान समायोजित है।)

5. **टीडीएस/आय कर 7.96 लाख रू.**: शीर्ष 'नकद या जिन्स में वसूल किया जाने वाला अग्रिम' और अन्य राशि के अंतर्गत दर्शाया गया टीडीएस, जोकि 7.96 लाख रू. है, पिछले वर्ष का है, और वसूली योग्य नहीं है। प्रबंधन वित्त वर्ष 22–23 के दौरान अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इसे बट्टे खाते में डालने पर विचार कर रहा है।

6. **बोनस की घोषणा**: परिषद ने वित्तीय वर्ष 2021–22 में अपने कर्मचारियों के लिए किसी बोनस की घोषणा नहीं की और न ही कोई भुगतान किया है।

7. **बैंक शेष :** बैंक शेष को परिषद के बही खातों के अनुसार लिया गया है। हालांकि बैंकों के अनुसार शेष राशि का समाधान करने के लिए समाधान विवरण तैयार कर दिया गया है। प्रबंधन ने समाधान में बकाया राशि की निम्नलिखित प्रविष्टियों पर गौर किया है।

ह0/–	ह0/–
(अनुपमा भटनागर)	**(रंजना प्रकाश देसाई)**
सचिव	अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद	भारतीय प्रेस परिषद

प्राप्तियां	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
I. अथ शेष				
क) हाथ रोकड़ (अग्रदाय लेखा)		50,000		50,000
ख) बैंक शेष				
- इलाहाबाद बैंक	53,77,174		1,26,788	
- सामान्य निधि	61,94,155		16,45,005	
- उगाही शुल्क खाता	1,79,552		90,470	
- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	-		13,50,954	
- सी.पी.एफ खाता	81,86,998	1,99,37,879	1,00,17,293	1,32,30,511
ग) डाक टिकटें		29,379		13,529
II. प्राप्त अनुदान				
क) भारत सरकार		11,84,50,292		7,87,30,006
(सूचना और प्रसारण मंत्रालय) से				
III. प्राप्त ब्याज				
क) बैंक निक्षेपों पर				
- एफडीआर पर प्रोत्भुत ब्याज	27,07,643		40,74,087	
- सावधि निक्षेप	9,74,978		13,55,448	
- बचत खाते	4,52,188	41,34,809	2,91,987	57,21,522
ख) ऋण, अग्रिम आदि		-		1,213
IV. उद्ग्रहण शुल्क और अन्य आय (स्पष्ट करें)				
उद्ग्रहण शुल्क प्राप्त	1,95,87,346		1,60,37,879	
विज्ञापन पावती	-		1,62,600	
स्थायी परिसंपत्ति की बिक्री	2,21,100		10,661	
सूचना का अधिकार	871		930	
विविध प्राप्तियां	1,60,736		2,80,188	
रद्दी कागज़ की बिक्री	-		3,905	
वसूली –				
- वेतन (विविध)	77,222		4,21,493	
- पुस्तकों से	-			
- ई ओएल से	-			
- स्मारिका में विज्ञापन से आय		2,00,47,275		1,69,17,656
V. परिपक्व निवेशों से प्राप्तियां				
क) एफडीआर को भुनाना				
- परिक्रामी निधि लेखा			-	
- सी.पी.एफ. लेखा	7,28,06,403		8,22,42,484	
- सामान्य निधि	57,68,812		41,31,000	
- कर्मचारी हेतु	-	7,85,75,215	-	8,63,73,484

परिषद
के लिए प्राप्तियां और भुगतान

भुगतान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
I. व्यय				
क) स्थापना व्यय	5,69,14,911		6,14,10,705	
(अनुससूची 10 के अनुसार)				
ख) प्रशासनिक व्यय	1,20,05,787		1,85,15,749	
(अनुसूची 11 के अनुसार)				
		6,89,20,698		7,99,26,454
II. निधि के प्रति किए गए भुगतान				
क) परिक्रामी निधि में से किए गए भुगतान (ऋण और अग्रिम)	-		-	
- ऋणों का संवितरण	-		-	
- उत्सव अग्रिम	-		-	
- गृह निर्माण अग्रिम	-		-	
- मोटर कार अग्रिम	-		-	
- माननीय अध्यक्ष को सी.जी.एच.एस. अग्रिम	-	-	-	-
ख) सी.पी.एफ. निधि से	-		-	
- स्टाफ को अग्रिम/आहरण	-		-	
- परिषद से जा रहे कर्मचारियों को अंतिम भुगतान	-	-	-	-
III. किए गए निवेश और निक्षेप				
क) उद्दिष्ट/एन्डाउमेंट निधियों से				
- परिक्रामी निधि के प्रति (ऋण और अग्रिम)	-		10,00,000	
- सी.पी.एफ. निधि के प्रति	1,30,35,085		1,81,91,892	
ख) अपनी निधि से				
(निवेश–अन्य)	7,90,18,388		8,65,51,384	
- सुरक्षा जमा राशि	75,000		10,000	
- कर्मचारी के लिए	1,99,890	9,23,28,363	2,45,232	10,59,98,508
IV. स्थिर परिसंपत्तियों और चल रहे पूंजीगत काम पर व्यय				
क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद				
- पुस्तकालय की पुस्तकें	31,454		38,725	
- वातानुकूलक एवं कूलर	2,13,416		2,93,530	
- कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1,32,500		5,63,922	
- फर्नीचर तथा अन्य	4,19,830		8,61,535	
- हीट कन्वेक्टर	28,790		22,414	
- वैक्यूम क्लीनर	-		4,499	
- कंप्यूटर एवं पेरिफेरल्स	2,46,886		8,83,244	
- एयर प्यूरीफायर	45,315		2,50,278	
- सीसीटीवी कैमरा	-		-	
- बॉयोमीट्रिक मशीन	41,347		-	
- लीज होल्ड लैंड	5,01,12,447		-	
- पेपर श्रेडिंग मशीन	64,936		-	
- सेनिटाइज़र डिस्पेंसर	-		7,990	
- टेलीवीजन, अडियो सीस्टम और अन्य	-		12,314	
		5,13,36,921		29,38,451
ख) पूंजी गज अग्रिम (सीडब्ल्यूआईपी)		-		-
V. अधिशेष धनराशि/ऋणों की वापसी				
क) भारत सरकार को				
- अधिक अव्ययित अनुदान				

Hkxrku	pkyw o"k		fiNyk o"k	
VI. कोई अन्य प्राप्तियां				
क) जमा राशि को भुनाना	7,75,341	7,75,341	-	-
ख) अग्रिमों की वसूली				
- आवास निर्माण अग्रिम	-			
- पक्षों से	-		2,26,561	
- उत्सव अग्रिम	-		-	
- सदस्यों या कार्यालय से परिवहन भत्ता/ महंगाई भत्ता अग्रिम	57,278		5,03,683	
- स्टाफ अग्रिम	4,32,439		3,32,655	
- स्कूटर अग्रिम	-		-	
- मोटर कार अग्रिम	-		-	
- सीपीएफ अग्रिम	-		-	
- संगोष्ठी/राष्ट्रीय प्रेस दिवस	-		-	
- माननीय अध्यक्ष को सी.जी.एच.एस. अग्रिम	-		-	
		4,89,717		10,62,899
ग) कर्मचारी से वसूली				
- यात्रा व्यय	1,35,182		2,45,232	
- यात्रा व्यय	-		-	
- सी.पी.एफ. अग्रिम वापसी	5,68,660		5,62,380	
- स्थायी संपत्ति की बिक्री/अंतरण				
- सीपीएफ अंशदान	49,63,150		84,21,139	
- एनपीएस अभिदान	12,61,969		19,21,564	
- रिकवरी ऑफीसर, को–ओप सोसाइटी	-	69,28,961	-	1,11,50,315
घ) सामान्य निधि से सी.पी.एफ.निधि में अंतरित राशि:				
- पीएफ में परिषद के अंशदान के लिए	25,875		53,380	
- कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज के लिए	-		-	
- परिषद के अंशदान पर ब्याज के लिए	-		-	
- अन्य	-		-	
		25,875		53,380
ड.) अन्य प्राप्तियां				
- जीवन बीमा प्राप्ति	-		-	
- सुरक्षा जमा राशि	30,214		19,121	
- प्राप्त जुर्माना	-		-	
- अन्य	-	30,214	-	19,121
च) स्रोत पर काटा गया कर	12,57,244	12,57,244		18,03,182
कुल		**25,07,32,201**		**21,51,26,817**

VI. **वित्त प्रभार (ब्याज)**	-			-
VII. **अन्य भुगतान (स्पष्ट करें)**				
क) सामान्य निधि से सी.पी.एफ. निधि में अंतरित राशिः	-			-
- कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज के लिए	-			-
- परिषद के अंशदान पर ब्याज के लिए	-			-
- अन्य	-	-		-
ख) अग्रिम				
- पक्षों के लिए	-			-
- पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिए	-			-
- संगोष्ठी के लिए	-			-
- ऑडिटोरियम बुक करने के लिए	-			-
- स्टेशनरी खरीदने के लिए	-			-
- पूँजीगत परिसंपत्तियों के लिए	9,33,328		3,28,913	
- स्टाफ अग्रिम	6,61,315		12,32,589	
- सदस्यों/अधिकारियों को परिवहन भत्ता/महंगाई भत्ता अग्रिम	-		5,00,000	
- अन्य के लिए		15,94,643		20,61,502
ग) स्रोत पर काटा गया कर		24,70,628		18,03,182
घ) अन्य भुगतान				
- एनपीएस अभिदान	17,99,791		23,52,049	
- पूर्वाअवधि समायोजन	20,187		29,413	
- ऋणदाता	**70,021**		-	
- लेवी शुल्क		18,89,999		23,81,462
VIII. इति शेष				
क) हाथ रोकड़ (अग्रदाय खाता)		50,000		50,000
ख) बैंक शेष				
- इलाहाबाद बैंक	97,61,922		53,77,174	
- सामान्य निधि	1,00,53,521		61,94,155	
- उगाही शुल्क खाता	3,72,831		1,79,552	
- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	-		-	
- सी.पी.एफ. खाता	1,19,28,701	3,21,16,976	81,86,998	1,99,37,879
ग) डाक टिकटें		23,973		29,379
		25,07,32,201		**21,51,26,817**

l;yXud&d

ekeyksa dk fooj.k
16] ekpZ 2018& 29 eÃ] 2021

Ø- l-	fooj.k	èkkjk&13	èkkjk&14	dqy
1	16.03.2018 को लंबित मामले	117	415	532
2	16 मार्च, 2018 – 29 मई, 2021 के बीच दर्ज मामले	948	4154	5102
3	16 मार्च, 2018 – 29 मई, 2021 के बीच निर्णीत मामले	236	477	713
4	मामले, जो सीधे परिषद को रिपोर्ट किए गए	0	0	0
5	16 मार्च, 2018 से 29 मई, 2021 के बीच प्रारंभिक चरण में खारिज़ करके समाप्त किए गए तथा परिषद को रिपोर्ट किए गए मामले	574	3542	4116
6	29 मई, 2021 को कुल लंबित मामले	255	550	805

संलग्नक–ख

ekeyksa dk fooj.k
1] vçSy 2021&31 ekpZ] 2022

Ø- l-	fooj.k	èkkjk&13	èkkjk&14	dqy
1	31.03.2021 को लंबित मामले	216	427	643
2	1 अप्रैल, 2021 – 31 मार्च, 2022 के बीच दर्ज मामले	290	885	1175
3	1 अप्रैल, 2021 – 31 मार्च, 2022 के बीच निर्णीत मामले	30	65	95
4	मामले, जो सीधे परिषद को रिपोर्ट किए गए	-	-	-
5	1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के बीच प्रारंभिक चरण में खारिज़ करके समाप्त किए गए तथा परिषद को रिपोर्ट किए गए मामले	131 (14+107+10)	446 (44+364+38)	577
6	**31 मार्च, 2022 को कुल लंबित मामले**	**345**	**801**	**1146**

संलग्नकः ग

प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरे संबंधी शिकायतों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची (2021–22)

न्यायनिर्णयों की तिथिः 27 मई, 2021

क्र.सं.	पक्ष	न्यायनिर्णयों की श्रेणी
समाचारकर्मियों का उत्पीड़न		
1	श्री योगेश पोरवाल, संपादक,/प्रकाशक, दशपुर दिशा की श्री पवन जैन, उपायुक्त, राजस्व एवं लोक सूचना अधिकारी, उज्जैन एवं अन्य के विरुद्ध शिकायत। (13/156/18–19)	सुधारात्मक कार्यवाही के बाद मामला बंद
2	श्री अविजितानंद, संपादक/पत्रकार, प्रगति यात्रा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की श्री शुभचंद्र झा, निदेशक कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, लखनऊ के विरुद्ध शिकायत। (13/112/19–20)	खारिज़
3	श्री लवलेश पांडे, मुख्य संपादक, "दैनिक चर्चा आज की" कर्वी की पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत। (13/110/19–20)	खारिज़
4	श्री मनीष कुमार राठौर, संपादक, प्राइम संदेश पत्रिका, म.प्र. की तहसीलदार, गोधाडोंगरी, बैतूल, एम.पी. के विरुद्ध शिकायत । (78/2020–B)	मामला समाप्त
5	श्री दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, की श्री रत्नेश कुमार, बेसिक उत्थान एवं ग्रामीण सेवा संस्थान, बाराबंकी, उ.प्र. के विरुद्ध शिकायत । (15/2020–B)	खारिज़
6	श्री हिमांशु सिंह, संवाद्दाता, दैनिक जनमोर्चा, सीतापुर की पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत। (13/28/19–20)	निदेश सहित समाप्त

क्र.सं.	पक्ष	न्यायनिर्णयों की श्रेणी
7	श्री सुरेश चंद्र, संपादक, सिटी ग्लांस हिन्दी साप्ताहिक बदायूं (यू०पी०) की स्वास्थ्य विभाग के विरुद्ध शिकायत। (22/2020–B)	खारिज़
8	श्री सुमित राठी, पत्रकार, दैनिक जागरण, शामली, उत्तर प्रदेश की पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत। (159/2020–B)	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त
9	श्री शेख नज़र मोहम्मद,पत्रकार, दैनिक जनबाज पत्रिका, की पुलिस अधिकारियों और किराना व्यापार संघ, लखेरी,बूंदी, राजस्थान के विरुद्ध शिकायत। (82/2020–B)	समाप्त
10	श्री मनोज टिबरेवाल, वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली की जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज एवं अन्य के विरुद्ध शिकायत। (13/148/19–20)	न्यायाधीन होने के कारण खारिज
11	श्री सोहन सिंह, पायनियर, बस्ती, उत्तर प्रदेश की श्री हरीश दिवेदी, संसद सदस्य के विरुद्ध शिकायत। (13/121/19–20)	खारिज़
12	श्री कुलवंत सिंह, प्रबंध संपादक, टेकरी टाइम्स वीकली, की (i) श्रीमती ज्योति शाह नरवरिया, खाद्य आपूर्ति नियंत्रक (ii) श्री लखविंदर सिंह गिल, खाद्य आपूर्ति निरीक्षक और (iii) श्री प्रताप सिंह ठाकुर, खाद्य आपूर्ति निरीक्षक, कलेक्टर कार्यालय, भोपाल के विरुद्ध शिकायत। (13/108/18–19)	निदेश सहित समाप्त
प्रेस को सुविधाएं		
13	श्री जयसिंह रावत, श्रमजीवी पत्रकार, देहरादून की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तराखंड के विरुद्ध शिकायत । (13/150/19–20)	समाप्त

क्र.सं.	पक्ष	न्यायनिर्णयों की श्रेणी
14–15	श्री वाटिका अशोक कुमार, उपाध्यक्ष, तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट्स फेडरेशन, महबूबनगर, तेलंगाना की आयुक्त, सूचना और जनसंपर्क विभाग, तेलंगाना के विरुद्ध शिकायत। (13/156/19–20) ख) अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ (एडब्ल्यूजेए), नई दिल्ली की सूचना और जनसंपर्क विभाग, तेलंगाना, सरकार के विरुद्ध शिकायत। (13/161/19–20)	निदेश सहित समाप्त
16	कर्फ्यू के दौरान प्रेस पास जारी न करने के संबंध में एएनबी न्यूज से श्री योहन्नान मैथ्यू से प्राप्त पत्र। (80/2020–B)	अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण समाप्त
17	श्री ओम प्रकाश खेमकर्णी, सदस्य, पीसीआई से डीएवीपी की भेदभावपूर्ण नीति के संबंध में प्राप्त पत्र। (17/27/18–19)	टिप्पणी सहित समाप्त
18	श्री सौरभ गंगवार, अध्यक्ष और कुमायूँ युवा प्रेस क्लब, सदस्यों, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड की जिला सूचना अधिकारी, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड के विरुद्ध शिकायत। (171/2020–B)	खारिज़
19	श्री अखिल बंसल, महासचिव, अखिल भारतीय जैन पात्रा, संपादक की सूचना और प्रसारण मंत्रालय एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के विरुद्ध शिकायत। (13/90/19–20)	खारिज़
20	श्री हरिशंकर उपाध्याय, संपादक, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, महाराष्ट्र की आरएनआई के विरुद्ध शिकायत। (291/2020–B)	निदेश सहित समाप्त
21	श्री तुमुल विजय, संपादक, तुमुल तूफ़ानी, साप्ताहिक, मुरादाबाद यू.पी. की डाक विभाग के विरुद्ध शिकायत। (152/2020–B)	निदेश सहित समाप्त

क्र.सं.	पक्ष	न्यायनिर्णयों की श्रेणी
22	श्री तुमुल विजय, संपादक, तुमुल तूफ़ानी, साप्ताहिक, मुरादाबाद यू.पी. की जनसंपर्क विभाग, उत्तर रेलवे, दिल्ली के विरुद्ध शिकायत। (153/2020–B)	प्रतिवादी द्वारा आश्वासन दिये जाने पर समाप्त
23	श्री किशोर कुमार दगड़ी, प्रकाशक/संपादक, कर्मज्ञ, समाचारपत्र उज्जैन, म.प्र. की डीएवीपी, पीआईबी के विरुद्ध शिकायत। (13/134/19–20)	समाप्त
स्वः प्रेरणा संज्ञान		
24	भाजपा विधायक द्वारा पत्रकार को कथित धमकी के संबंध में स्वःप्रेरणा से संज्ञान । (13/46/18–19)	कार्यवाही बंद
25	तेलंगाना में पत्रकारों की असामयिक मृत्यु – श्री के. अमरनाथ से प्राप्त पत्र के संबंध में । (13/127/18–19)	टिप्पणी सहित समाप्त
26	आंध्र प्रदेश सरकार के आदेश जीओएमएस संख्या 142 जीए (आई एंड पीआर) विभाग, दिनांक 20.11. 2019 और जीओएम नंबर 98 जीए (आई एंड पीआर) विभाग दिनांक 15.09.2020 संशोधन आदेश दिनांक 08.12.2020 से संबंधित टिप्पणियों के लिए सूचना। (एसएम/जनवरी/1/2021–B)	न्यायाधीन होने के कारण कार्यवाही बंद
27–28	पंजाब में COVID–19 लॉकडाउन अवधि के दौरान रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों को कथित रूप से निशाना बनाने के संबंध में स्वः प्रेरणा से संज्ञान। (184–185/SM/2020–B)	निदेश सहित समाप्त
29	"मैंगलोर में बंद पत्रकारों" टेलीग्राफ के समाचार के संबंध में टिप्पणियों के लिए सूचना। (स्वः प्रेरणा से संज्ञान)। (13/190/SUO&MOTU/19–20)	कार्यवाही बंद
30	सरकारी बालिका आश्रय गृह, कानपुर, उ.प्र.के बारे में समाचार प्रकाशित करने पर अज्ञात मीडिया संस्थान के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर स्वः प्रेरणा से संज्ञान। (180/2020/SM–B)	कार्यवाही बंद

संलग्नक: घ

प्रेस के विरुद्ध दर्ज़ शिकायतों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची (2021—22)

न्यायनिर्णयों की तिथि: 27 मई, 2021

क्र.सं.	पक्ष	न्यायनिर्णयों की श्रेणी
सिद्धान्त और प्रकाशन		
1	अवर सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्री अम्मार जैदी, पत्रकार पीटीआई, नई दिल्ली के विरुद्ध अग्रेषित गुमनाम शिकायत। (14/420/17—18)	कार्यवाही बंद
2	डॉ. प्रमोद मालवीय, म.प्र. की संपादक, सांझवीर टाइम्स, बैतूल के विरुद्ध शिकायत। (14/288/19—20)	खारिज़
3	श्री सुनील गजानन गोडबोले, मुंबई की संपादक, लोकसत्ता, मुंबई के विरुद्ध शिकायत। (89/2020 A)	समाप्त
4	डा. देवजीत दत्ता, सतना की पीपल्स ऑब्जर्वर, सतना, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (14/402/19—20)	समाप्त
5—6	श्री राजीव रंजन मिश्रा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत की संपादकों — हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला, उ0प्र0 के विरूद्ध शिकायत। (14/344—345/19—20)	खारिज़
7—9	श्री जमील चौहान, मेरठ की संपादकों, हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण एवं अमर उजाला के विरुद्ध शिकायत। (14/371—372 & 399/19—20)	खारिज़
10	श्री पंकज गुप्ता, मुंबई की हिंदू के विरुद्ध शिकायत। (14/317/19—20)	खारिज़

क्र.सं.	पक्ष	न्यायनिर्णयों की श्रेणी
11	श्री मनोज एस अग्रवाल, पुणे, महाराष्ट्र की संपादक, आज का आनंद, पुणे, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत। (1915/2020–A)	खारिज़
12	श्री मनोज एस अग्रवाल, पुणे, महाराष्ट्र की संपादक, आज का आनंद, पुणे, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत। (14/424/19–20)	खारिज़
प्रेस और मानहानि		
13	श्री बलराम सिंह, आवास विकास कॉलोनी, बांदा की संपादक, दैनिक आज के विरुद्ध शिकायत। (परिनिंदा) (14/362/19–20)	परिनिन्दा
14	श्री अविनाश रूपराव चंदन, महाराष्ट्र की संपादक, दैनिक राज्योन्नति, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत। (14/309/19–20)	समाप्त
15	श्री राजेंद्र सिंह, आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सूरत की गुजरात मित्र के विरुद्ध की शिकायत। (57/2020–A)	निदेश सहित समाप्त
16	श्रीमती विमला शर्मा, जिला ग्वालियर, म.प्र की चंबल चेतना के विरुद्ध शिकायत। (14/493/18–19)	समाप्त
17	श्रीमती मुक्ता पाठक की दबंग दुनिया, भोपाल के विरुद्ध शिकायत। (14/194/19–20)	समाप्त
18	सुश्री रेखा सिंह, अधिवक्ता, भोपाल की संपादक, दैनिक भास्कर, म.प्र. नगर, भोपाल के विरुद्ध शिकायत। (14/301/19–20)	समाप्त
19	श्री दिनेश कुमार शुक्ला, इलाहाबाद की सम्पादक, दैनिक जागरण, इलाहाबाद, उ0प्र0 के विरूद्ध शिकायत। (14/336/19–20)	समाप्त

क्र.सं.	पक्ष	न्यायनिर्णयों की श्रेणी
20	श्री योगेश चंद्र शर्मा द्वारा दैनिक जागरण, नई दिल्ली के खिलाफ दर्ज शिकायत को लेकर दैनिक जागरण द्वारा दर्ज पुनर्विचार याचिका। (14/815/13–14)	सावधानी बरतने के निदेश के साथ समाप्त
21	डॉ. डी.सी. प्रजापति, उपाध्यक्ष, मीडिया सेल, भाजपा, प्रभारी लोकसभा की संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया के विरुद्ध शिकायत। (180/2020 A)	समाप्त
22–25	माँ विश्वंभरी धाम चौरिटेबल ट्रस्ट, रबड़ा, जिला वलसाड, गुजरात की संपादक, (i) प्रजानाद (ii) वलसाड दर्पण (iii) दक्षिण गुजरात वर्तमान (iv) वर्ल्ड टाइम्स के विरुद्ध शिकायत। (14/294–297/19–20)	समाप्त
26–27	श्री अनिल कुमार मिश्रा, प्रयागराज की दैनिक जागरण और दैनिक आज के विरुद्ध शिकायत। (236–237/2020 A)	खारिज़
28	श्री शमशेर सिंह, यमुना नगर की संपादक, दैनिक भास्कर, भोपाल के विरुद्ध शिकायत। (14/583/18–19)	खारिज़
29–30	श्री सतनाम सिंह सोनी, लुधियाना, पंजाब की संपादक, जगबानी और पंजाब केसरी के विरुद्ध शिकायत। (14/342–343/19–20)	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त
31	श्री ओम प्रकाश शर्मा, सचिव, श्री बाबा एज्यूकेश्नल इंस्टीट्यूट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजस्थान की संपादक, अनुचार के विरुद्ध शिकायत। (14/237/19–20)	समाप्त
32	श्री आर.के. सोनी, संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, संभाग भोपाल, 26, किसान भवन, भोपाल की संपादक, बुलंद राष्ट्र, म.प्र. के विरुद्ध शिकायत। **(परिनिन्दा)** (14/133/19–20)	परिनिन्दा
33	श्री राम निवास शर्मा, अधिवक्ता, सतना की संपादक, रेवाचल रोशनी, सतना, म.प्र. के विरुद्ध शिकायत। (14/311/19–20)	समाप्त

क्र.सं.	पक्ष	न्यायनिर्णयों की श्रेणी
34–35	श्री मुस्तफा मंडल, इंदौर की क्राइम दर्पण, इंदौर, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (14/385–386/19–20)	समाप्त
प्रेस और नैतिकता		
36	श्रीमती मुक्ता पाठक, भोपाल, मध्य प्रदेश की दबंग दुनिया के विरुद्ध शिकायत। (14/112/19–20)	कार्यवाही बंद
37	श्री जे.एन.नायक, अध्यक्ष, सुदर्शन सीएचएस लिमिटेड, महाराष्ट्र की संपादक डोंबिवली वार्ता के विरुद्ध शिकायत। (14/617/18–19)	समाप्त
38	श्री हाजी अबरार हुसैन, आगरा की आगरा भारत के विरुद्ध शिकायत। (14/222/19–20)	खारिज़
39	श्री किरण अशोक कराचीवाला, मुंबई महाराष्ट्र की संपादक, दबंग खबरे, ठाणे, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत। (14/469/19–20)	सावधान किया गया
स्वः प्रेरणा से संज्ञान		
40–41	प्रेस परिषद "पत्रकारिता के आचरण के मानक संस्करण, 2019" के मानक 28 (I, V,VII) 'अश्लीलता और अशिष्टता से बचे' का उल्लंघन करने वाले अश्लील और अशिष्ट समाचार के प्रकाशन के संबंध में स्वः प्रेरणा से संज्ञान (अहमदाबाद मिरर, गुजरात और नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली के विरुद्ध)। (93–94/SM/2020 A)	कार्यवाही बंद
पेड समाचार		
42	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संपादक, दैनिक तेज, जयपुर के विरूद्ध प्राप्त पत्र। (14/662/18–19)	कार्यवाही बंद
43	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संपादक, राजस्थान पत्रिका, राजस्थान के विरूद्ध प्राप्त पत्र। **(परिनिंदा)** (14/663/18–19)	परिनिन्दा
44	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संपादक, विराट वैभव, राजस्थान के विरूद्ध प्राप्त पत्र। (14/664/18–19)	कार्यवाही बंद

क्र.सं.	पक्ष	न्यायनिर्णयों की श्रेणी
45	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संपादक, राजस्थान खोज खबर, राजस्थान के विरूद्ध प्राप्त पत्र। (14/665/18–19)	कार्यवाही बंद
46	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संपादक, प्रातः काल, राजस्थान के विरूद्ध प्राप्त पत्र। **(परिनिंदा)** (14/666/18–19)	परिनिन्दा
47	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संपादक, दैनिक नवज्योति, उदयपुर, राजस्थान के विरूद्ध प्राप्त पत्र। (14/667/18–19)	कार्यवाही बंद
48	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संपादक, राष्ट्रदूत, राजस्थान के विरूद्ध प्राप्त पत्र।(14/670/18–19)	कार्यवाही बंद
49	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संपादक, जलते दीप, राजस्थान के विरूद्ध प्राप्त पत्र। (14/675/18–19)	कार्यवाही बंद
50	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संपादक, संध्या ज्योति दर्पण के विरूद्ध प्राप्त पत्र। (14/676/18–19)	कार्यवाही बंद
51	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संपादक, खबरों की दुनिया के विरूद्ध प्राप्त पत्र। (14/677/18–19)	कार्यवाही बंद
52	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संपादक, "ईवनिंग पोस्ट" जयपुर, राजस्थान के विरूद्ध प्राप्त पत्र। (14/681/18–19)	कार्यवाही बंद
53	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया के विरुद्ध प्राप्त पत्र। (14/682/18–19)	कार्यवाही बंद
54	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संपादक, "सीमा संदेश" जयपुर, राजस्थान के विरुद्ध प्राप्त पत्र। (14/689/18–19)	कार्यवाही बंद
55	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संपादक, हमारा समाचार, राजस्थान के विरुद्ध प्राप्त पत्र। (14/690/18–19)	कार्यवाही बंद

क्र.सं.	पक्ष	न्यायनिर्णयों की श्रेणी
56	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संपादक, 'मॉर्निंग न्यूज' जयपुर, राजस्थान के विरुद्ध प्राप्त पत्र। (14 / 694 / 18–19)	कार्यवाही बंद
57	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संपादक, दैनिक नवयत्न, राजस्थान के विरुद्ध प्राप्त पत्र। (14 / 695 / 18–19)	कार्यवाही बंद
58	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संपादक, समाचार जगत, जयपुर के विरुद्ध प्राप्त पत्र। (14 / 696 / 18–19)	कार्यवाही बंद
59	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संपादक, "आस पास", पटेल मार्ग, सीकर, राजस्थान के विरुद्ध प्राप्त पत्र। **(परिनिंदा)** (14 / 697 / 18–19)	परिनिन्दा
60	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संपादक, कांठल की आवाज, प्रतापगढ़, राजस्थान के विरुद्ध प्राप्त पत्र। (14 / 698 / 18–19)	कार्यवाही बंद
61	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संपादक, जय कांठल, राजस्थान के विरुद्ध प्राप्त पत्र। (14 / 699 / 18–19)	कार्यवाही बंद
62	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संपादक, राष्ट्र का वचन, राजस्थान के विरुद्ध प्राप्त पत्र। **(परिनिंदा)** (14 / 700 / 18–19)	परिनिन्दा
63	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संपादक, "जननायक" जयपुर, राजस्थान के विरुद्ध प्राप्त पत्र। (14 / 701 / 18–19)	कार्यवाही बंद
64	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संपादक, पंजाब केसरी, राजस्थान के विरुद्ध प्राप्त पत्र। (14 / 669 / 18–19)	कार्यवाही बंद
65	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से संपादक, दैनिक भास्कर, राजस्थान के विरुद्ध प्राप्त पत्र। (14 / 679 / 18–19)	कार्यवाही बंद

संलग्नक: ङ़

न्यायनिर्णयों का आलेख 2021–2022

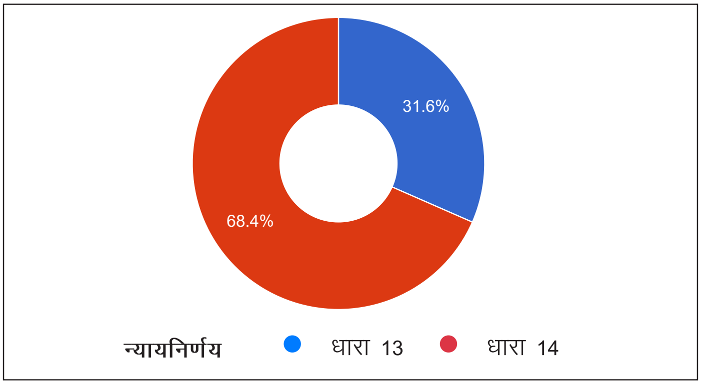

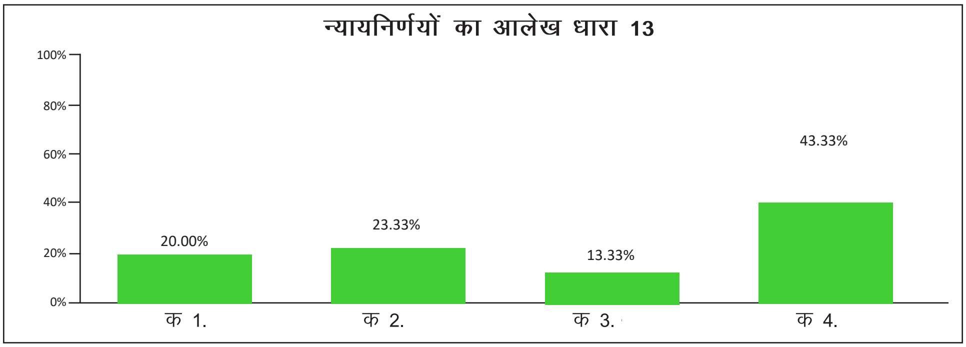

पाद टिप्पणी:
क 1. समर्थित (20%)
क 2. अस्वीकृत/कार्रवाई बंद कर दी गई (23.33%)
क 3. आश्वासन/निपटान/संशोधन (13.33%)
क 4. जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन होने/निराधार होने के कारण बंद (43.33%)
कुल मामले = 30

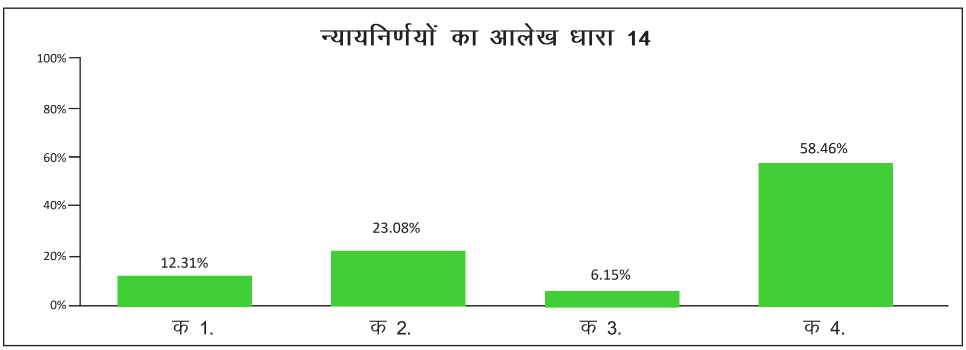

पाद टिप्पणी:
क 1. समर्थित (12.31%)
क 2. अस्वीकृत/कार्रवाई बंद कर दी गई (23.08%)
क 3. आश्वासन/निपटान/संशोधन (6.15%)
क 4. जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन होने/निराधार होने के कारण बंद (58.46%)
कुल मामले = 65

संलग्नक: च

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072021-228315
CG-DL-E-15072021-228315

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 15, 2021/आषाढ़ 24, 1943
No. 287] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 15, 2021/ASHADHA 24, 1943

भारतीय प्रेस परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2021

सं. 19/07/2021-पी.सी.आई.—भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उपधारा (4) के साथ पठनीय प्रेस परिषद (व्यक्तियों के संगमों की अधिसूचना हेतु प्रक्रिया) नियम, 2021 के अनुसरण में उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के निम्नलिखित व्यक्ति संगमों और खंड (ग) के प्रयोजन के लिए समाचार अभिकरणों को परिषद की 14वीं तीन वर्षीय सेवावधि के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा अधिसूचित करती हैं, अर्थात:

(I) धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (क) मे निर्दिष्ट प्रवर्ग के व्यक्तियों के संगम:

(1)	अखिल भारतीय समाचार पत्र एसोसिएशन	श्रमजीवी पत्रकार, जो कि संपादक हैं
(2)	दी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	
(3)	हिन्दी समाचार पत्र सम्मेलन	

(4)	चंडीगढ़ – पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स	संपादकों से भिन्न, श्रमजीवी पत्रकार
(5)	इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन – मीडियामैन	
(6)	मुंबई प्रेस क्लब *(प्रेस क्लब, बॉम्बे)*	
(7)	उड़ीसा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स	
(8)	प्रेस एसोसिएशन	
(9)	प्रेस क्लब कोलकाता	
(10)	रायपुर प्रेस क्लब	
(11)	वैस्ट बंगाल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स	

(II) धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (ख) मे निर्दिष्ट प्रवर्ग के व्यक्तियों के संगम:

(1)	दी इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी	बड़े समाचार पत्रों के स्वामी और प्रबंधक
(2)	ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़ पेपर्स फेडरेशन	मध्यम समाचार पत्रों के स्वामी और प्रबंधक
(3)	स्मॉल - मीडियम - बिग न्यूज़ पेपर्स सोसाइटी	
(4)	ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज़ पेपर्स एसोसिएशन	छोटे समाचार पत्रों के स्वामी और प्रबंधक
(5)	एसोसिएशन आफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़ पेपर्स ऑफ इंडिया	

(III) धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ग) मे निर्दिष्ट व्यक्तियों के प्रवर्ग में से एक व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करने के प्रयोजन के लिए समाचार अभिकरण :

(1) *दी प्रेस* ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड

अनुपमा भटनागर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./151/2021-22]

संलग्नक: छ

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082021-229263
CG-DL-E-26082021-229263

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 26, 2021/भाद्र 4, 1943
No. 353] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 26, 2021/BHADRA 4, 1943

भारतीय प्रेस परिषद

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2021

सं. 19/07/2021-पीसीआई भाग-II.—भारतीय प्रेस परिषद की अधिसूचना सं. 287, दिनांक 15 जुलाई, 2021, जोकि भारत के राजपत्र असाधारण भाग III खंड 4, सं. 19/7/2021 दिनांक 12.7.2021 को प्रकाशित की गई थी, के पृष्ठ सं. 2 में व्यक्तियों के संगमों के प्रवर्ग (I), जिसका संदर्भ धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (क) में दिया गया है, के अंतर्गत क्रम सं. 10 पर संगम ''रायपुर प्रेस क्लब'' का नाम विलोपित किया जाता है।

अनुपमा भटनागर, सचिव

[विज्ञापन- III/4/असा./217/2021-22]

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102021-230199
CG-DL-E-06102021-230199

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3773] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 6, 2021/आश्विन 14, 1943
No. 3773] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 6, 2021/ASVINA 14, 1943

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4107(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (5) के अनुसरण में, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य के रूप में नामित निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

श्रमजीवी पत्रकार - संपादक [धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अधीन नामित]

1. श्री अंकुर दुआ संपादक, मुजफ्फरनगर बुलेटिन वर्तमान पता : 224 साउथ सिविल लाइंस, मुजफ्फरनगर, उ.प्र.।	
2. डॉ. बलदेव राज गुप्ता समूह संपादक, एक्सप्रेस न्यूज वर्तमान पता: 340, पाकेटः 1 और 2, एकता अपार्टमेंट सेक्टर-3, द्वारका, नई दिल्ली।	भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के संपादक
3. डॉ. खैदेम अथौबा मीतेई निवासी संपादक, ह्यूयेन लानपाओ वर्तमान पता : ह्यूयेन लानपाओ, सेगा रोड, थौडा भाबोक, लेइकाई, इंफाल पश्चिम – मणिपुर।	

4. श्री प्रकाश दुबे समूह संपादक, दैनिक भास्कर वर्तमान पता : विशंभर भवन, 17-ए, ग्रेट नागपुर रोड, नागपुर। 5. डॉ. सुमन गुप्ता संपादक, जन मोर्चा वर्तमान पता : ए-603, लालबाग ऑफिसर्स कॉलोनी नोवेल्टी सिनेमा, लालबाग के पास, लखनऊ – उ.प्र.।	
6. श्री विनोद के. जोस कार्यकारी संपादक, द कारवां वर्तमान पता: ई-8, तीसरी मंजिल, दिल्ली प्रेस भवन, झंडेवालान एक्सटेंशन, दिल्ली।	अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के संपादक

श्रमजीवी पत्रकार - संपादकों से भिन्न [धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अधीन नामित]

7. श्री अंशु चक्रवर्ती श्रमजीवी पत्रकार, आज काल वर्तमान पता : 28, लोक गेट रोड, डाकघर कोसीपोर, कोलकाता। 8. श्री जय शंकर गुप्ता संवाद्दाता , देशबंधु वर्तमान पता : 26 बी, स्काईलार्क अपार्टमेंट, गाजीपुर, दिल्ली। 9. श्री किंगशुक प्रमाणिक श्रमजीवी पत्रकार, संगबाद प्रतिदिन वर्तमान पता : 22/8, रीजेंट पार्क, गवर्नमेंट हाउसिंग, 131, एनएससी बोस रोड, कोलकाता। 10. श्री प्रजनानंद चौधुरी श्रमजीवी पत्रकार, आनंद बाजार पत्रिका वर्तमान पता : 244/1, बी. बी. चटर्जी रोड, कोलकाता। 11. श्री विनोद कोहली श्रमजीवी पत्रकार, उत्कल मेल कोठी नंबर 1092, सेक्टर 44-बी, चंडीगढ़।	भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के श्रमजीवी पत्रकार (संपादकों से भिन्न)
12. श्री गुरबीर सिंह श्रमजीवी पत्रकार, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस वर्तमान पता : 2301-01, 'स्ट्रेटा' टावर 4, प्लानेट गोदरेज, केशवराव खडे मार्ग, जैकब सर्कल के बाहर, मुंबई। 13. श्री प्रसन्ना कुमार मोहंती श्रमजीवी पत्रकार, इंडस वैली टाइम्स	भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों से भिन्न समाचार-पत्रों के श्रमजीवी पत्रकार (संपादक से भिन्न)

वर्तमान पता : वीए-29/4, यूनिट-2, अशोक नगर,
भुवनेश्वर, उड़ीसा।

वे व्यक्ति, जो समाचार पत्रों के प्रबंधन का कारबार स्वयं करते हैं या चलाते हैं [धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के अधीन नामित]

14. श्री गुरिंदर सिंह भारतीय पर्यवेक्षक वर्तमान पता : 26-एफ, कनॉट प्लेस, पहली मंजिल, नई दिल्ली। 15. श्री एल सी भारतीय आकाशदीप वर्तमान पता : आकाशदीप सेक्टर-11, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर।	मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों से
16. श्रीमती आरती त्रिपाठी जय प्रदेश वर्तमान पता : 25/26, गोखले विहार मार्ग, लखनऊ, उ.प्र.। 17. श्री श्याम सिंह पंवार जन सामना वर्तमान पता : 804, वरुण विहार, बर्रा-8, कानपुर, उ.प्र.।	लघु श्रेणी के समाचार पत्रों से

समाचार एजेंसियों का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति [धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अधीन नामित]

18. श्री जी. सुधाकर नायर कार्यकारी संपादक, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया वर्तमान पता : द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीटीआई भवन, पहली मंजिल, 4, संसद, नई दिल्ली।	समाचार एजेंसियों का प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों में से सदस्य

शिक्षा और विज्ञान, विधि और साहित्य एवं संस्कृति के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति [धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (घ) के अधीन नामित]

19. प्रो जे. एस. राजपूत वर्तमान पता : ए-16 सेक्टर पी/7, मित्रा एन्क्लेव ग्रेटर वैली स्कूल के विपरीत नोएडा-उ.प्र.।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित
20. श्री शैलेंद्र दुबे वर्तमान पता : 1, शिवायतन, हरि कृष्ण कॉलोनी बिलासपुर, छत्तीसगढ़।	भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा नामित
21. श्री माधव कौशिक वर्तमान पता : मकान नंबर 3277, सेक्टर-45डी चंडीगढ़।	साहित्य अकादमी द्वारा नामित

संसद सदस्य [धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (ड.) के अधीन नामित]

22. डॉ. के. केशव राव वर्तमान पता: 21, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।	राज्यों की परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित

[फा. सं. एम-22011/2/2020-प्रेस]
विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112021-231033
CG-DL-E-11112021-231033

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4335] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 11, 2021/कार्तिक 20, 1943
No. 4335] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 2021/KARTIKA 20, 1943

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2021

का.आ. 4700(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ड.) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (5) के अनुसरण में, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 13 जुलाई, 2024 जिस दिन वह उस सदन, जिससे वह नामनिर्दिष्ट हुए हैं, के सदस्य नहीं रहेंगे, तक की अवधि के लिए भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित निम्नलिखित व्यक्ति का नाम अधिसूचित करती है, अर्थात् :--

संसद सदस्य [धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ड.) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

"श्री राकेश सिन्हा

वर्तमान पता : राज्य सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट

ए बी -98, शाहजहां रोड

नई दिल्ली-110011।

स्थायी पता :

ग्राम-मनसेरपुर

जिला-बेगूसराय, बिहार-851211।"

[फा. सं. एम-22011/2/2020-प्रेस]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 4107(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2021

का.आ. 4701(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978(1978 का 37) की धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (5) के अनुसरण में, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अक्तूबर, 2021 में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 4107(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2021, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. एम-22011/2/2020-प्रेस]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 4107(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

संलग्नकः ञ

प्रेस द्वारा दर्ज़ शिकायतों में न्यायनिर्णयों से प्रतिपादित सिद्धांतों की सूची

1. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार को अपने–अपने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में मीडिया प्रत्यायन नीति के कार्यान्वयन के लिए उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए। सभी मामलों में, उन्हें किसी भी प्रचलित निर्धारित नियम से विचलित नहीं होना चाहिए और सभी हितधारकों द्वारा इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(न्यायनिर्णय संख्या 13/156 और 161/19–20–पीसीआई दिनांकित 27.5.2021, प्रेस परिषद समीक्षा, जुलाई, 2021 अंक)

2. सार्वजनिक कर्मियों/राजनेताओं को प्रेस/पत्रकारों/पत्रकार संघों के संबंध में सार्वजनिक भाषण/बयान देते समय ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो उनकी गरिमा को हानि पहुंचाए/आहत करे। यदि ऐसी कोई घटना घटित होती है, तो संबंधित सार्वजनिक हस्ती को इसके लिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए।

(न्यायनिर्णय संख्या 13/46/18–19–पीसीआई दिनांकित 27.5.2021, प्रेस परिषद समीक्षा, जुलाई, 2021 अंक)

3. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार यह सुनिश्चित करें कि जिन पत्रकारों के पास उनकी सरकार द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य कार्ड हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाए।

(न्यायनिर्णय संख्या 13/127/18–19– पीसीआई दिनांकित 27.5.2021, प्रेस परिषद समीक्षा, जुलाई, 2021 अंक)

4. राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक यह सुनिश्चित करें कि पत्रकार(पत्रकारों) पर हमले से संबंधित मामलों की जांच और छानबीन तेजी से सम्पन्न हो, जैसे प्राथमिकता के आधार पर दो (2) महीने की अवधि के भीतर।

(न्यायनिर्णय संख्या 184–185/एसएम/2020–बी–पीसीआई दिनांकित 27.5.2021, प्रेस परिषद समीक्षा, जुलाई, 2021 अंक)

5. परिचालन सत्यापन के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार द्वारा तैयार की गई विज्ञापन नीति, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है, क्योंकि कोई भी कानून, उन्हें ऐसे कानून बनाने से नहीं रोकता है।

(न्यायनिर्णय संख्या 13/90/2019–2020– पीसीआई दिनांकित 27.5.2021, प्रेस परिषद समीक्षा, जुलाई, 2021 अंक)

6. भारतीय डाक सेवा विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन समाचारपत्रों को डाक शुल्क की रियायती दरों के लिए पंजीकृत किया गया है, उन्हें डाक रियायती दर सुविधाओं का लाभ मिल सके, जिसके लिए उनके सिस्टम में आवश्यक प्रविष्टियां की जानी चाहिए। यदि उनके सिस्टम में कोई तकनीकी कठिनाई उत्पन्न होती है/ सिस्टम सात दिनों से अधिक समय तक काम नहीं करता है, तो डाक विभाग को प्रेषण हेतु, समाचार पत्रों को रियायती दरों पर मैन्युअल रूप से स्वीकार करने के लिए एक सिस्टम बनाना होगा।

(न्यायनिर्णय संख्या 152/2020–बी– पीसीआई दिनांकित 27.5.2021, प्रेस परिषद समीक्षा, जुलाई, 2021 अंक)

संलग्नकः ट

प्रेस के खिलाफ दर्ज़ शिकायतों में न्यायनिर्णयों से प्रतिपादित सिद्धांतों की सूची

1. चुनाव के दौरान, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को सद्गुणी दर्शाकर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास पेड समाचार है।

(न्यायनिर्णय संख्या 14/697/पेड न्यूज/18–19–पीसीआई दिनांकित 27.5.2021, प्रेस परिषद समीक्षा, जुलाई, 2021 अंक)

2. किसी समाचार का एक उम्मीदवार के नकारात्मक पहलू और साथ ही किसी अन्य राजनीतिक दल के उम्मीदवार के सकारात्मक पहलू को निराधार देना, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह पेड़ समाचार है।

(न्यायनिर्णय संख्या 14/700/पेड न्यूज/18–19–पीसीआई दिनांकित 27.5.2021, प्रेस परिषद समीक्षा, जुलाई, 2021 अंक)

3. समाचार में ऐसी घटना का संदर्भ देना जोकि काफी समय पहले घटी थी और अब, जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, तथा जिसकी मंशा किसी को बदनाम करना है।

(न्यायनिर्णय संख्या 14/362/19–20–पीसीआई दिनांकित 27.5.2021, प्रेस परिषद समीक्षा, जुलाई, 2021 अंक)

भारतीय प्रेस परिषद